

सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2017-2018



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2017-2018

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रस्तावना	iv-v
विनियोग लेखे का सार	vi-xvii
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	xix-xxi
अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	1-4
भारित विनियोग - लोक ऋण	5-6
01. सामान्य प्रशासन	7-14
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	15-16
03. पुलिस	17-28
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	29-32
05. जेल	33-34
06. वित्त	35-41
07. वाणिज्यिक कर	42-47
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	48-54
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	55-57
10. वन	58-64
11. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	65-67
12. ऊर्जा	68-72
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	73-80
14. पशुपालन	81-87
15. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	88
16. मछली पालन	89-90
17. सहकारिता	91-93
18. श्रम	94-95
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	96-103
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	104-111
21. लोक सेवा प्रबन्धन	112-113
22. नगरीय विकास एवं पर्यावरण	114-120
23. जल संसाधन	121-139

24.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	140-144
25.	खनिज साधन	145-147
26.	संस्कृति	148-153
27.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	154-157
28.	राज्य विधान मंडल	158-160
29.	विधि और विधायी कार्य	161-166
30.	ग्रामीण विकास	167-170
31.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	171-173
32.	जनसंपर्क	174-175
33.	आदिम जाति कल्याण	176-187
34.	सामाजिक न्याय	188-190
35.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	191-194
36.	परिवहन	195-196
37.	पर्यटन	197-198
38.	आयुष	199-203
39.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	204-207
40.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	208-214
41.	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	215
42.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	216-220
43.	खेल और युवक कल्याण	221-223
44.	उच्च शिक्षा	224-230
45.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	231-234
46.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	235-236
47.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	237-242
48.	नर्मदा घाटी विकास	243-253
49.	अनुसूचित जाति कल्याण	254-260
50.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	261-264
51.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	265-267
52.	चिकित्सा शिक्षा	268-271
53.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	272-280
54.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	281

	पृष्ठ
55. महिला एवं बाल विकास	282-288
56. ग्रामोद्योग	289-294
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	295-296
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	297-302
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	303
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	304-305
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	306
62. पंचायत	307
63. अल्प संख्यक कल्याण	308-309
64. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	310-316
65. विमानन	317-318
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण	319-321
67. लोक निर्माण कार्य-भवन	322-327
68. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	328
69. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	329-330

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	332-333
परिशिष्ट-II	शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	334

प्रस्तावना

वर्ष 2017-18 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उपशीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उपशीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत की राशि:-
 - क. बचत की राशि 40 लाख ₹ से कम नहीं हो और कुल प्रावधान 30 करोड़ ₹ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि 20 लाख ₹ से कम नहीं हो और कुल प्रावधान 10 करोड़ ₹ से 30 करोड़ ₹ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि 10 लाख ₹ से कम नहीं हो और कुल प्रावधान 10 करोड़ ₹ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अन्तर्गत कुल बचत 10 लाख ₹ से कम नहीं हो।

आधिक्य के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
2. किसी उपशीर्ष के कुल प्रावधान में उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य 10 लाख ₹ और दस प्रतिशत से अधिक हो।
3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
 - क. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान 30 करोड़ ₹ से अधिक है और आधिक्य 40 लाख ₹ से अधिक है।
 - ख. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान 10 करोड़ ₹ से 30 करोड़ ₹ के मध्य है और आधिक्य 20 लाख ₹ से अधिक है।
 - ग. एक उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान 10 करोड़ ₹ से कम है और आधिक्य 10 लाख ₹ से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना		
			बचत	आधिक्य	
(हजार ₹ में)					
	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व- <i>प्रभारित</i>	1,15,40,73,23	1,10,45,33,77	4,95,39,46	
	भारित विनियोग- लोक ऋण पूजीगत- <i>प्रभारित</i>	95,46,26,86	57,76,38,32	37,69,88,54	
01.	सामान्य प्रशासन राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	4,77,98,49 52,26,95	4,27,15,82 36,45,68	50,82,67 15,81,27	
	पूजीगत- दत्तमत	49,51,13	43,83,46	5,67,67	
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व- दत्तमत	1,34,93,07	86,04,86	48,88,21	
03	पुलिस राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	59,45,48,46 1,22,31	54,45,05,36 39,39	5,00,43,10 82,92	
	पूजीगत- दत्तमत	4,05,77,22	4,05,22,22	55,00	
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	66,28,28 1,00	37,10,77 00	29,17,51 1,00	
	पूजीगत- दत्तमत	1,60,01	23,27	1,36,74	
05	जेल राजस्व- दत्तमत	2,97,36,27	2,92,74,88	4,61,39	
06	वित्त राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i>	1,25,80,86,48 20,74,22	94,65,62,99 3,12,01	31,15,23,49 17,62,21	
	पूजीगत- दत्तमत	16,97,10,97	1,85,39,41	15,11,71,56	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
07	वाणिज्यिक कर राजस्व-			
	दत्तमत	23,88,65,27	20,51,75,21	3,36,90,06
	प्रभारित	1,60	00	1,60
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व-			
	दत्तमत	13,97,72,24	11,69,72,27	2,27,99,97
	प्रभारित	2,33,77	1,78,93	54,84
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1,38,60,50	1,08,16,02	30,44,48
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय राजस्व-			
	दत्तमत	63,63,91	43,59,32	20,04,59
	प्रभारित	1,05	00	1,05
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	10,20,01	00	10,20,01
10	वन राजस्व-			
	दत्तमत	23,44,48,89	19,06,59,85	4,37,89,04
	प्रभारित	80,00	43,21	36,79
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	3,88,81,01	3,70,43,98	18,37,03
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार राजस्व-			
	दत्तमत	6,76,26,73	6,59,75,68	16,51,05
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	3,54,41,04	3,54,40,50	54
12	ऊर्जा राजस्व-			
	दत्तमत	97,00,67,20	95,09,25,47	1,91,41,73
	प्रभारित	5,86,59,38	5,16,71,97	69,87,41
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	87,61,39,11	80,39,74,14	7,21,64,97

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
	राजस्व-				
	दत्तमत	83,83,15,97	51,83,38,78	31,99,77,19	
	प्रभारित	13,85	7,74	6,11	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1	00	1	
14	पशुपालन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	9,81,50,89	7,56,17,05	2,25,33,84	
	प्रभारित	10,00	1,00	9,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	15,83,80	3,07,60	12,76,20	
15	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ				
	राजस्व-				
	दत्तमत	67,17	52,96	14,21	
16	मछली पालन				
	राजस्व-				
	दत्तमत	87,48,41	65,41,75	22,06,66	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	20,00	16,29	3,71	
17	सहकारिता				
	राजस्व-				
	दत्तमत	20,13,83,20	17,40,14,40	2,73,68,80	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,72,26,04	1,54,71,32	17,54,72	
18	श्रम				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,82,14,45	1,65,28,25	16,86,20	
	प्रभारित	1,00	00	1,00	
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
	राजस्व-				
	दत्तमत	53,97,60,50	50,90,51,84	3,07,08,66	
	प्रभारित	9,01	00	9,01	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	3,00,00,02	1,45,89,14	1,54,10,88	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व-				
	दत्तमत	7,80,05,68	5,91,90,76	1,88,14,92	
	प्रभारित	1,00,00	60,89	39,11	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	23,98,23,35	17,31,14,80	6,67,08,55	
21	लोक सेवा प्रबन्धन राजस्व-				
	दत्तमत	86,62,01	42,98,04	43,63,97	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	15,00,00	4,69,06	10,30,94	
22	नगरीय विकास एवं पर्यावरण राजस्व-				
	दत्तमत	50,50,81,62	45,25,18,30	5,25,63,32	
	प्रभारित	1,00	00	1,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	15,47,10,46	6,52,75,72	8,94,34,74	
	प्रभारित	10,00,00	00	10,00,00	
23	जल संसाधन राजस्व-				
	दत्तमत	10,62,33,26	8,21,13,52	2,41,19,74	
	प्रभारित	10,30	00	10,30	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	63,03,96,51	52,51,90,68	10,52,05,83	
	प्रभारित	1,10,00	92,04	17,96	
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल राजस्व-				
	दत्तमत	14,18,47,36	10,66,99,08	3,51,48,28	
	प्रभारित	10,00	3,04	6,96	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	65,76,03,58	63,45,01,82	2,31,01,76	
	प्रभारित	50,00,00	49,90,72	9,28	
25	खनिज साधन राजस्व-				
	दत्तमत	62,46,51	32,58,36	29,88,15	
	प्रभारित	6,50,05,00	00	6,50,05,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	8,00,00	8,18	7,91,82	
26	संस्कृति राजस्व-				
	दत्तमत	2,77,00,25	2,50,84,48	26,15,77	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	38,97,53	28,13,82	10,83,71	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) राजस्व-				
	दत्तमत	84,89,38,26	75,14,45,59	9,74,92,67	
	प्रभारित	36	00	36	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	7,34,00,67	2,18,42,28	5,15,58,39	
28	राज्य विधान मंडल राजस्व-				
	दत्तमत	98,33,73	86,68,23	11,65,50	
	प्रभारित	64,09	44,45	19,64	
29	विधि और विधायी कार्य राजस्व-				
	दत्तमत	11,02,82,81	8,48,94,07	2,53,88,74	
	प्रभारित	1,61,51,68	1,23,92,22	37,59,46	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	10,00	00	10,00	
30	ग्रामीण विकास राजस्व-				
	दत्तमत	13,01,81,74	11,87,89,56	1,13,92,18	
	प्रभारित	3,00	00	3,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	33,35,70,01	25,67,41,09	7,68,28,92	
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी राजस्व-				
	दत्तमत	1,32,28,25	1,07,67,82	24,60,43	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,77,90,56	1,45,44,92	32,45,64	
32	जनसंपर्क राजस्व-				
	दत्तमत	4,06,50,00	3,82,64,47	23,85,53	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	1,00,00	30,00	70,00	
33	आदिम जाति कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	32,68,40,14	27,86,84,89	4,81,55,25	
	प्रभारित	5,00	00	5,00	
	पूंजीगत-				
	दत्तमत	15,60,71,58	8,90,95,65	6,69,75,93	
34	सामाजिक न्याय राजस्व-				
	दत्तमत	6,11,66,60	4,42,98,93	1,68,67,67	
	प्रभारित	3,00	00	3,00	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व-				
	दत्तमत	7,69,76,45	7,64,35,34	5,41,11	
	प्रभारित	3,01	00	3,01	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,42,00,04	2,22,71,23	19,28,81	
36	परिवहन राजस्व-				
	दत्तमत	75,06,87	63,45,58	11,61,29	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	55,01,00	23,89,71	31,11,29	
37	पर्यटन राजस्व-				
	दत्तमत	1,64,66,67	1,56,14,85	8,51,82	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,15,05,88	1,14,05,87	1,00,01	
38	आयुष राजस्व-				
	दत्तमत	3,90,41,82	3,42,78,60	47,63,22	
	प्रभारित	1,00	00	1,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	46,50,00	8,68,65	37,81,35	
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण राजस्व-				
	दत्तमत	16,31,00,93	15,76,25,60	54,75,33	
	प्रभारित	60	00	60	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,50,05	50,59	99,46	
40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) राजस्व-				
	दत्तमत	31,18,94,76	27,55,13,36	3,63,81,40	
	प्रभारित	1	00	1	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	3,26,80,02	75,74,16	2,51,05,86	
41	सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय राजस्व-				
	दत्तमत	86,52	00	86,52	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
42	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राजस्व-				
	दत्तमत	1,07,14,72	93,85,47	13,29,25	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,45,02	2,17,86	3,27,16	
43	खेल और युवक कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	1,53,36,95	1,33,49,59	19,87,36	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	70,45,00	41,09,49	29,35,51	
44	उच्च शिक्षा राजस्व-				
	दत्तमत	17,44,16,92	15,47,20,27	1,96,96,65	
	प्रभारित	20,00	90	19,10	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,49,20,02	1,62,22,77	3,86,97,25	
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य राजस्व-				
	दत्तमत	1,91,20,37	1,58,98,55	32,21,82	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	8,25,16,15	8,06,10,03	19,06,12	
	प्रभारित	10,00	7,94	2,06	
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी राजस्व-				
	दत्तमत	2,30,53,21	2,07,53,13	23,00,08	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	4,00,00	4,00,00	00	
47	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राजस्व-				
	दत्तमत	13,88,64,92	6,71,76,54	7,16,88,38	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	3,26,85,13	2,29,32,86	97,52,27	
48	नर्मदा घाटी विकास राजस्व-				
	दत्तमत	52,38,50	28,36,74	24,01,76	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	29,99,54,77	25,07,42,45	4,92,12,32	
	प्रभारित	25,00	4,81	20,19	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
49	अनुसूचित जाति कल्याण राजस्व-			
	दत्तमत	10,64,88,77	8,79,55,40	1,85,33,37
	प्रभारित	1	00	1
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	2,62,50,03	2,04,14,91	58,35,12
50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण राजस्व-			
	दत्तमत	9,42,15,66	6,49,85,79	2,92,29,87
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व राजस्व-			
	दत्तमत	2,32,81,37	2,20,91,02	11,90,35
	प्रभारित	30	00	30
52	चिकित्सा शिक्षा राजस्व-			
	दत्तमत	8,47,08,62	7,46,58,77	1,00,49,85
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	9,24,80,07	8,83,20,62	41,59,45
53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व-			
	दत्तमत	3,14,05,40,33	2,87,92,43,52	26,12,96,81
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	2,21,50,11	7,01,79	2,14,48,32
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा राजस्व-			
	दत्तमत	1,79,38,52	1,78,88,50	50,02
55	महिला एवं बाल विकास राजस्व-			
	दत्तमत	42,38,95,24	37,13,77,09	5,25,18,15
	प्रभारित	10,01	3,61	6,40
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1,96,38,05	1,17,82,96	78,55,09
56	ग्रामोद्योग राजस्व-			
	दत्तमत	2,48,35,97	2,11,07,70	37,28,27
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	97,90	36,25	61,65

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूंजीगत- दत्तमत	30,00,01	3,28,48	26,71,53
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय राजस्व- दत्तमत	34,85,04,59	26,00,20,48	8,84,84,11
	पूंजीगत- दत्तमत	28,81,67	8,53,38	20,28,29
59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्व- दत्तमत	1	00	1
	पूंजीगत- दत्तमत	2,00,00,00	2,00,00,00	00
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय राजस्व- दत्तमत	44,65,00	44,27,22	37,78
	पूंजीगत- दत्तमत	6,12,94,26	4,91,12,80	1,21,81,46
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय राजस्व- दत्तमत	7,98,07	7,98,00	7
	पूंजीगत- दत्तमत	95,00,13	94,99,99	14
62	पंचायत राजस्व- दत्तमत	1,72,10,68	1,49,63,50	22,47,18
	प्रभारित	1,20	00	1,20
63	अल्प संख्यक कल्याण राजस्व- दत्तमत	19,19,84	12,62,19	6,57,65
	पूंजीगत- दत्तमत	6,00,00	4,05,00	1,95,00
64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व- दत्तमत	77,75,64,21	70,91,73,78	6,83,90,43
	प्रभारित	3,91,46,20	3,90,91,91	54,29
	पूंजीगत- दत्तमत	1,13,00,00	14,60,16	98,39,84

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
65	विमानन राजस्व-				
	दत्तमत	46,30,79	36,66,17	9,64,62	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,00,02	00	2,00,02	
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	9,39,98,85	7,97,96,37	1,42,02,48	
	प्रभारित	20	00	20	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	18,95,02	10,25,09	8,69,93	
67	लोक निर्माण कार्य-भवन राजस्व-				
	दत्तमत	6,83,85,02	5,09,26,20	1,74,58,82	
	प्रभारित	2,10,00	1,09,66	1,00,34	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	3,49,98,72	1,99,69,93	1,50,28,79	
68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राजस्व-				
	दत्तमत	1,59,46,46	1,51,09,42	8,37,04	
69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत	37,59,30	16,64,23	20,95,07	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	7,65,00	2,92,05	4,72,95	
	योग-				
	राजस्व:				
	दत्तमत	13,98,18,81,02	12,00,96,12,58	1,97,22,68,44	00
	प्रभारित	1,34,12,53,33	1,21,21,40,36	12,91,12,97	00
	पूँजीगत:				
	दत्तमत	4,36,30,49,19	3,40,87,54,48	95,42,94,71	00
	प्रभारित	96,07,71,86	58,27,33,83	37,80,38,03	00
	महायोग-				
	राजस्व	15,32,31,34,35	13,22,17,52,94	2,10,13,81,41	00
	पूँजीगत	5,32,38,21,05	3,99,14,88,31	1,33,23,32,74	00

विनियोग लेखे का सार—जारी

दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोग में अधिक व्यय नहीं हुआ है:-

विनियोग लेखे के सार में दर्शित व्यय से राजस्व अनुभाग में 47,64.76 लाख ₹ (दत्तमत) एवं पूंजीगत अनुभाग में 46,07.70 लाख ₹ (दत्तमत) कुल राशि 93,72.46 लाख ₹ 31 मार्च 2018 को आहरित कर शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा कर दी गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2017-18 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	12,00,96,12,58	1,21,21,40,36	3,40,87,54,48	58,27,33,83
घटाइये-वसूलियों का जोड़	18,52,03,31	1,19,40,82	16,75,08,60	00
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	11,82,44,09,27	1,20,01,99,54	3,24,12,45,88	58,27,33,83

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:-

[क] दत्तमत अनुदान

- (i) राजस्व-अनुदान संख्या 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69
- (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या 01, 04, 06, 08, 09, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 69

[ख] प्रभारित विनियोग

- (i) राजस्व-अनुदान संख्या 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 44, 49, 51, 55, 62, 66, 67
- (ii) पूंजीगत-अनुदान संख्या लोक ऋण, 06, 22, 23, 45, 48

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हे एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा इन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये वाउचरों, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुये विवरणों से संकलित किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिये की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।


इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे वित्तीय अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

ध्यानाकर्षण के महत्वपूर्ण मामले

मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों/मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इन लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता तथा पूर्णता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और लोक वित्त पर विधायिका के वित्तीय नियंत्रण हेतु आवश्यक हैं।

1. राज्य विधान सभा द्वारा 16 अनुदानों तथा 15 विनियोगों के अन्तर्गत वर्ष 2003-17 की अवधि में प्राधिकृत राशि से किये गये अधिक संवितरण ₹ 660.67 करोड़ का राज्य विधान सभा द्वारा नियमितिकरण होना अभी शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि संचित निधि से कोई धन राज्य विधान सभा के विधि द्वारा बनाये गये विनियोग के बिना नहीं निकाला जायेगा।
2. वर्ष 2017-18 के दौरान कुल अनुदान या विनियोग तथा किये गये व्यय के मध्य उल्लेखनीय अन्तर के फलस्वरूप 10 अनुदानों के अन्तर्गत ₹ 18,042.78 करोड़ की बचत हुई है, राज्य सरकार द्वारा बचत के कारणों को उपलब्ध नहीं कराये जाने से विनियोग लेखे में समुचित व्याख्या नहीं की जा सकी है।

उक्त मामलों पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षकों का विवरण मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिया गया है।



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 29 जुलाई, 2019

स्थान: नई दिल्ली

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049-ब्याज अदायगियों)

राजस्व:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,15,40,73,23			
पूरक	0	1,15,40,73,23	1,10,45,33,77	(-)/4,95,39,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,98,85

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 4,95,39.46 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 8,98.85 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.5898- 8.20 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	मूल	14,35.12	14,35.12	0.00	(-)/14,35.12 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-01.101.7887- 5.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2017	मूल	23,39.88	23,39.88	0.00	(-)/23,39.88 सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.1217- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिए गए ऋणों पर ब्याज	मूल	33,00.00	33,00.00	28,71.89	(-)/4,28.11 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-01.200.3752- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गए ऋणों पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-)/8,98.84	21,01.16	21,01.16	0.00 समर्पण के रूप 8,98.84 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत एन.सी.डी.सी. द्वारा ब्याज राशि की कम मांग किये जाने से हुई।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.200.6816- पॉवर बाण्डस-2 ब्याज भुगतान	मूल	20,75.04	20,75.04	16,97.76	(-)3,77.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-01.200.6973- स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-01.305.2205- नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय	मूल	5,00.00	5,00.00	2,90.68	(-)2,09.32	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-01.305.2624- पुराने ऋणों का प्रबंध	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	16,46.03	(-)83,53.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-03.104.0095- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	12,00.00	12,00.00	8,34.27	(-)3,65.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-03.104.0807- कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-03.104.4033- विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	85,00.00	85,00.00	58,30.49	(-)26,69.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-03.104.4487- सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	12,00,00.00	12,00,00.00	10,12,07.53	(-)1,87,92.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-03.104.6854- अंशदायी पेंशन योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-03.108.0117- परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-03.108.3360- मध्य भारत जीवन बीमा निधि पर ब्याज	मूल	2,21.82	2,21.82	0.00	(-)2,21.82	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-04.102.0930- केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	मूल	2,12.15	2,12.15	0.00	(-)2,12.15	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-04.109.5691- 12 वें वित्त आयोग की सिफरिशों के अनुसार समेकित राज्य योजना कर्जों पर ब्याज	मूल	3,80,00.00	3,80,00.00	1,93,25.31	(-)1,86,74.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.4209- शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	मूल	2,01.56	2,01.56	0.00	(-)2,01.56	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-60.701.6587- अन्य दायित्वों पर ब्याज	मूल	1,80,00.00	1,80,00.00	2,90.74	(-)1,77,09.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6971- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	मूल	55,84.80	55,84.80	0.00	(-)55,84.80	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2049-60.701.6972- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	मूल	72,82.76	72,82.76	0.00	(-)72,82.76	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.5848- 6.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2018	मूल	40,00.00	40,00.00	51,87.50	+11,87.50	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.6763- नया बाजार ऋण	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	6,45,45.02	+5,45,45.02	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-04.101.3707- राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	मूल	3,60,00.00	3,60,00.00	4,54,72.07	+94,72.07	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

भारत विनियोग—लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष—6003—राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004—केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूँजीगत:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	95,46,26,86			
पूरक	0	95,46,26,86	57,76,38,32	(-)37,69,88,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,09,00

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:

- (1) 37,69,88.54 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 6,09.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6003-101.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	(-)1,00,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6003-108.3751- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)6,08.99	33,91.01	33,91.01	0.00	समर्पण के रूप में 6,08.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत एन.सी.डी.सी. द्वारा ऋण की राशि में मांग कम होने से हुई।
6003-110.0637- उपाय तथा साधन अग्रिम	मूल	20,00,00.00	20,00,00.00	0.00	(-)20,00,00.00	सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-110.0779- कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	मूल	20,00,00.00	20,00,00.00	0.00	(-)20,00,00.00	सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-लोक ऋण समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6004-02.101.3052-ब्लॉक कर्जे	मूल	3,45,83.06	3,45,83.06	2,38,38.11	(-)/1,07,44.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-111.6835-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतिया	मूल	11,00,00.00	11,00,00.00	15,26,15.65	+4,26,15.65	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
6004-02.101.9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक-टू-बेक ऋण	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00	4,87,78.21	+87,78.21	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद्, 2015-निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,85,97,99			
पूरक	92,00,50	4,77,98,49	4,27,15,82	(-)50,82,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (12 जनवरी, 23 फरवरी एवं 31 मार्च 2018)				31,19,51

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में 4,27,15,81,794 ₹ के कुल व्यय में 17.10.2017 एवं 26.02.2018 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 36,34,47,749 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	51,34,45			
पूरक	92,50	52,26,95	36,45,68	(-)15,81,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				14,85,39

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	24,70,22			
पूरक	24,80,91	49,51,13	43,83,46	(-)5,67,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,76,54

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

पूजीगत (दत्तमत) अनुभाग में राशि 43,83,46,033 ₹ के कुल व्यय में 07.10.2017 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 21,15,15,433 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 50,82.67 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 92,00.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान, जुलाई 2017 (10,37.50 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था, नवम्बर 2017 (71,63.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अत्यधिक था, जबकि मार्च 2018 में 10,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 50,82.67 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 12 जनवरी, 23 फरवरी एवं 31 मार्च 2018 को 31,19.51 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2013-101.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल पुनर्वि.	4,82.35 (-)80.00	4,02.35	2,49.17	(-)1,53.18	80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः पद रिक्त होने के कारण हुई (50.00 लाख ₹) 30.00 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-102.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल	7,10.00	7,10.00	4,36.03	(-)2,73.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2015-101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	25,48.00 (-)13,57.79	11,90.21	10,86.72	(-)1,03.49	13,57.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 13,59.79 लाख ₹ की कमी (समर्पण 13,43.91 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 15.88 लाख ₹) एवं 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः अनुमानित व्यय से कम व्यय होने, आगामी चुनाव ई.व्ही.एम. मशीन से होने एवं निर्धारित व्यय से कम व्यय होने के कारण हुई (40.48 लाख ₹), जबकि वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 13,19.31 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.0458- आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली का कार्यालय	मूल पुनर्वि.	13,62.94 (-)2,13.77	11,49.17	11,33.39	(-)15.78	2,13.77 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,95.07 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,13.77 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 81.30 लाख ₹) एवं 81.30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एरियर एवं चिकित्सा देयको के भुगतान न होने, सातवें वेतनमान एवं कंटीजेंसी कर्मचारियों के वेतनमान के अनुमोदन न होने, त्यौहार अग्रिम आवेदन प्राप्त न होने, चिकित्सा अग्रिम की मांग न होने, ग्रेड-पे के समाप्त होने, गृह भाड़ा भत्ता नई दरों पर स्वीकृत न होने, सर्वर में देयकों के प्राप्त न होने, देयकों विलम्ब से प्राप्त होने, सातवां वेतनमान लागू न होने, सेवानिवृत्ति एवं मितव्ययता बरतने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन, कार्यालय व्यय एवं सामग्री एवं प्रतिपूर्ति शीर्षान्तर्गत आवंटित राशि की तुलना में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-101.4544- सी. आई.डी. (इकोनामिक आफेंसेस)	मूल पुनर्वि.	21,93.54 (-)2,36.25	19,57.29	19,50.73	(-)6.56	2,36.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,34.88 लाख ₹ (समर्पण 2,36.25 लाख ₹ +पुनर्विनियोजन 1,98.63 लाख ₹) एवं 1,98.63 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मूल बजट कम होने एवं प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रस्ताव अनुसार प्रावधान न होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2059-80.001.3342- मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली	मूल पुनर्वि.	3,05.00 (-)1,55.90	1,49.10	1,48.21	(-)0.89	1,55.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, शासन से सीमा से अधिक राशि व्यय करने की स्वीकृति एवं छूट प्राप्त न होने से देयकों के लंबित रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.3541- मुख्य तकनीकी परीक्षक का कार्यालय	मूल पुनर्वि.	5,49.53 (-)1,54.75	3,94.78	3,86.67	(-)8.11	1,54.75 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,69.85 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,54.75 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15.10 लाख ₹) एवं 15.10 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन पुनरीक्षण 2017 लागू होने से मंहगाई भत्ता कम होने, जल एवं पी.ई.बी. देयक के प्राप्त न होने, देयकों के लंबित रहने एवं सरकारी वाहनों के अनुपयोगी होने के कारण हुई। वृद्धि मजदूरी, परिवहन, दूरभाष एवं अनुरक्षण शीर्ष के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-003.2716- प्रशासन अकादमी	मूल पुनर्वि.	14,56.78 (-)2,15.51	12,41.27	12,39.85	(-)1.42	2,15.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,35.89 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,15.51 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 20.38 लाख ₹) एवं 20.38 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः वेतन का आहरण न होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने, अकादमी संचालक का वेतन अन्य विभाग से आहरित होने, सातवें वेतन आयोग लागू होने से ग्रेड-पे समाप्त होने एवं आहरण पर प्रतिबंध होने से सीमित व्यय होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि अकादमी में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होने एवं मंहगाई भत्ते की दर में ग्यारह प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-104.3844- लोक आयुक्त	मूल	34,44.80	28,62.21	28,75.35	+13.14	6,10.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,84.47 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,10.59 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,73.88 लाख ₹) एवं 2,73.88 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त होने एवं मितव्ययता बरतने के कारण हुई (6,10.59 लाख ₹)। 2,73.88 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	28.00				
	पुनर्वि	(-)6,10.59				

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2013-108.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल	40.00	60.00	2,01.25	+1,41.25	20.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन, आगामी शेष तीन माहों में संभावित यात्रा दौरे हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	20.00				

प्रभारित

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 92-50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) 15,81.27 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 14,85.39 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2012-03.090.4330- सचिवालय (भारित)	मूल पूरक पुनर्वि.	4,37.29 10.00 (-)59.80	3,87.49	3,87.37	(-)0.12	59.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,21.80 लाख ₹ की कमी (समर्पण 59.80 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 62.00 लाख ₹) एवं 62.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः उप सचिव का पद रिक्त रहने एवं अवकाश यात्रा दावा अपेक्षित न होने के कारण हुई (2.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि वेतन एवं मंहगाई भत्ता शीर्ष में राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 1,19.80 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2012-03.101.3708- राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते (भारित)	मूल पुनर्वि.	31.54 (-)30.44	1.10	1.10	0.00	30.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः माननीय राज्यपाल का पद नौ माह से रिक्त पद होने के कारण बचत हुई (7.00 लाख ₹)। 23.44 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2012-03.103.9059- घरेलू कर्मचारी (भारित)	मूल पूरक पुनर्वि.	4,38.35 10.00 (-)68.07	3,80.28	3,76.03	(-)4.25	68.07 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,45.07 लाख ₹ की कमी (समर्पण 75.07 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 70.00 लाख ₹) एवं 77.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः अवकाश यात्रा दावा अपेक्षित न होने के कारण हुई (70.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि वेतन एवं मजूदरी शीर्षों के अन्तर्गत राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 75.07 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2012-03.105.1357- चिकित्सा सुविधाएँ (भारित)	मूल पुनर्वि.	40.00 (-)39.65	0.35	0.35	0.00	39.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2051-102.3689-राज्य लोक सेवा आयोग	मूल पुनर्वि.	40,60.87 (-)12,37.21	28,23.66	27,53.67	(-)69.99	12,37.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 12,61.81 लाख ₹ की कमी (समर्पण 11,52.26 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,09.55 लाख ₹) एवं 24.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः सेट (SET) परीक्षा आयोजित न होने, सातवें वेतनमान के कारण दस प्रतिशत मितव्ययता कटौती, त्रैमासिक सीलिंग, गोपनीय प्रकृति के देयक प्राप्त न होने एवं त्रुटिपूर्ण बजट प्रस्ताव के कारण हुई, जबकि वृद्धि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों में परिवर्तित किये जाने से मंहगाई भत्ते के भुगतान, सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि एवं साथ-सफाई हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) 5,67.67 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रक्ष्य में, 24,80.91 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान, जुलाई 2017 (3,65.76 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था, जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 21,15.15 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (9) 5,67.67 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पित की गई 6,76.54 लाख ₹ की राशि अत्यधिक थी।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.5817-प्रशासनिक भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	3,92.69 (-)3,71.03	21.66	20.79	(-)0.87	3,71.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.6605- प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्माण	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)1,22.03	1,77.97	2,47.63	+69.66	1,22.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,89.96 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,22.03 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 67.93 लाख ₹) एवं 67.93 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि को बी.सी.ओ. से अन्य बी.सी.ओ. को पुनराबंटित किये जाने एवं कार्य पूर्ण होने के कारण हुई (1,20.30 लाख ₹)। जबकि वृद्धि अंशतः प्रशिक्षण गतिविधियों एवं भौतिक सुविधाओं हेतु ऑडिटोरियम एवं आधुनिक छात्रावास के निर्माण हेतु राशि की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई (44.00 लाख ₹)। 69.66 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी एवं 23.93 लाख ₹ की वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4059-01.051.0101.7652- प्रशासन अकादमी में स्वीमिंग पुल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,61.13 (-)1,48.88	1,12.25	1,62.75	+50.50	1,48.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः बी.सी.ओ. से अन्य बी.सी.ओ. को राशि पुनराबंटित किये जाने के कारण हुई (74.46 लाख ₹)। 74.42 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण एवं 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,31,32,07			
पूरक	3,61,00	1,34,93,07	86,04,86	(-)48,88,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,68,28

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया 3,61.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 48,88.21 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 4,68.28 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-092.8243-मानव अधिकार आयोग को सहायक अनुदान	मूल	6,50.00	6,50.00	5,85.00	(-)65.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-105.4079-विशेष जांच आयोग	मूल पुनर्वि.	2,98.51 (-)2,34.20	64.31	64.26	(-)0.05	2,34.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-800.6910-राज्य सूचना आयोग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,58.02 (-)1,22.70	3,35.32	3,30.07	(-)5.25	1,22.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,82.70 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 1,22.70 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 60.00 लाख ₹½ एवं 60.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अव्ययित होने से हुई (9.40 लाख ₹)। वृद्धि व्यय के लिये अपर्याप्त राशि होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 1,73.30 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.107.4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	मूल	30,00.00	30,00.00	22,70.24	(-)7,29.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-60.200.5710-लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि	मूल	78,12.00	78,12.00	42,80.40	(-)35,31.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2250-800.1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता	पूरक पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	2,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान की प्रत्याशित बचत गलत लेखा शीर्ष में चले जाने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.800.1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता	मूल पुनर्वि.	3,00.00 2,00.00	5,00.00	4,71.20	(-)28.80	2,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन सड़क दुर्घटना सहायता के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	57,78,77,92			
पूरक	1,66,70,54	59,45,48,46	54,45,05,36	(-)5,00,43,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,59,19,61

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,22,31			
पूरक	0	1,22,31	39,39	(-)82,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				73,58

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,05,77,22			
पूरक	0	4,05,77,22	4,05,22,22	(-)55,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				55,00

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 1,66,70.54 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 (5,36.95 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (1,61,33.59 लाख ₹) esa izklr fd;k x;k अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 5,00,43.10 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 4,59,19.61 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-001.3680- राज्य मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	73,97.52 (-3,30.74)	70,66.78	70,19.27	(-)47.51	3,30.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,08.49 लाख ₹ की कमी (समर्पण 7,63.49 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 1,45.00 लाख ₹) एवं 5,77.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई (1,45.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि वेतन, मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते में कम बजट होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का वेतन आहरित न होने, लंबित देयकों का भुगतान होने एवं सातवां वेतनमान लागू न होने के कारण पुराने वेतनमान में वेतन आहरित होने के कारण हुई। 7,63.49 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2055-001.7189- केन्द्र/राज्यों के पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	17,00.00 (-)10,42.36	6,57.64	6,57.64	0.00	10,42.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-003.0195- पुलिस प्रशिक्षण शालाएँ	मूल पुनर्वि.	1,35,48.17 (-)15,74.52	1,19,73.65	1,17,85.06	(-)1,88.59	15,74.52 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 31,26.42 लाख ₹ की कमी (समर्पण 19,62.72 लाख ₹+पुनर्विनियोग 11,63.70 लाख ₹) एवं 15,51.90 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं अन्य शीर्ष के अन्तर्गत देयक लंबित रहने से हुई (16,55.20 लाख ₹) जबकि वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने, मशीन एवं उपकरण का वार्षिक रख-रखाव होने, मकान किराया भत्ते का भुगतान किये जाने, कर्मचारियों का वेतन आहरित होने, कम बजट प्रावधान के कारण लंबित देयकों का भुगतान किये जाने से हुई। 14,71.22 लाख ₹ की शेष कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-101.0270- अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पुनर्वि.	1,73,86.55 (-)15,63.82	1,58,22.73	1,57,26.46	(-)96.27	15,63.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 36,86.63 लाख ₹ की कमी (समर्पण 24,47.38 लाख ₹+पुनर्विनियोग 12,39.25 लाख ₹) एवं 21,22.81 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं अन्य शीर्ष के अन्तर्गत देयक लंबित रहने से हुई (12,35.25 लाख ₹) जबकि वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन आहरित किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने, प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुदान में कम बजट प्रावधान होने से लंबित देयकों का भुगतान किये जाने एवं वाहनों में जैमर का संधारण किये जाने से हुई। 24,51.38 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-101.0279-अभियोजन संचालनालय	मूल	71,35.33	71,35.33	48,28.88	(-)23,06.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-101.0801.5554-साइबर अपराध अन्वेषण	पूरक पुनर्वि.	2,30.00 (-)2,26.53	3.47	3.47	0.00	2,26.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2055-104.4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	मूल पूरक पुनर्वि.	10,65,95.89 3,00.00 (-)86,95.99	9,81,99.90	9,79,65.88	(-)2,34.02	86,95.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,38,18.09 लाख ₹ की कमी (समर्पण 63,72.12 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 1,74,45.97 लाख ₹) एवं 1,51,22.10 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई (1,71,39.50 लाख ₹) जबकि वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के वेतन आहरित किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं कम बजट प्रावधान होने से लंबित देयकों का भुगतान होने से हुई। 66,78.59 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-108.0101.7185-राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	79,26.53 (-)59,93.45	19,33.08	19,50.92	+17.84	59,93.45 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 63,44.45 लाख ₹ की कमी (समर्पण 15,93.45 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 47,51.00 लाख ₹) एवं 3,51.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने, अन्य शीर्षों के अन्तर्गत देयक लंबित होने एवं मकान किराया भत्ते का भुगतान न होने से हुई (47,01.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि मकान किराया भत्ता एवं यात्रा भत्तों के भुगतान किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 16,43.45 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.0109- अतिरिक्त पुलिस संरक्षक जिनका व्यय निजी कम्पनियों और व्यक्तियों से वसूल किया जाता है	मूल पुनर्वि.	15,15.70 (-),1,41.14	13,74.56	13,76.04	+1.48	1,41.14 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,44.94 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,94.94 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 1,50.00 लाख ₹) एवं 2,03.80 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई (1,50.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि बजट प्रावधान उपलब्ध न होने से कर्मचारियों के वेतन आहरण एवं अन्य शीर्ष हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 1,94.94 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2055-109.1816- डकैती रोधक अभियान	मूल पुनर्वि.	44,77.74 (-),4,36.49	40,41.25	40,41.59	+0.34	4,36.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,61.34 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,11.34 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 2,50.00 लाख ₹) एवं 4,24.85 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई (2,50.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन आहरित किये जाने एवं बजट उपलब्ध न होने व कम होने के कारण लंबित देयकों का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 6,11.34 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016—17, 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.4491- सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल पूरक पुनर्वि.	29,95,50.66 42,00.00 (-)72,23.30	29,65,27.36	29,65,36.71	+9.35	72,23.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,12,12.00 लाख ₹ की कमी (समर्पण 72,05.78 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 3,40,06.22 लाख ₹) एवं 3,39,88.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई (3,31,19.99 लाख ₹) जबकि वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन आहरित किये जाने, बजट उपलब्ध न होने अथवा कम होने के कारण ग्रेड पे, मकान किराया, मंहगाई भत्ते के लंबित देयकों का भुगतान किये जाने एवं नये वेतन मान में निर्धारण न होने से पुराने वेतनमान में आहरण किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 80,92.01 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-109.0703.5172- अनुसूचित जाति/ जनजाति के थानों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	47,31.40 (-)8,86.28	38,45.12	37,60.18	(-)84.94	8,86.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,94.28 लाख ₹ की कमी (समर्पण 8,86.28 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 2,08.00 लाख ₹) एवं 2,08.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सातवें वेतनमान में मंहगाई भत्ता कम किये जाने से हुई (2,08.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि जबलपुर, अनुसूचित जाति के थानों का किराया भुगतान किये जाने एवं सातवें वेतनमान लागू होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 8,86.28 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-111.9259-पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस-पश्चिम विभाग)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,08,56.32 40.00 (-)7,92.08	1,01,04.24	1,00,84.64	(-)19.60	7,92.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 22,59.63 लाख ₹ की कमी (समर्पण 7,84.63 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 14,75.00 लाख ₹) एवं 14,67.55 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई (14,75.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन आहरित किये जाने, बजट उपलब्ध न होने अथवा कम होने के कारण लंबित देयकों का भुगतान किये जाने एवं नये वेतनमान में निर्धारण न होने से पुराने वेतनमान में आहरण किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 7,84.63 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-114.4155-वेतार केन्द्र भोपाल / ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	1,39,21.54 (-)21,37.99	1,17,83.55	1,17,40.50	(-)43.05	21,37.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 37,37.99 लाख ₹ की कमी (समर्पण 22,82.99 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 14,55.00 लाख ₹) एवं 16,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई (14,55.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आहरित किये जाने एवं बजट प्रावधान उपलब्ध न होने अथवा कम होने से लंबित देयकों का भुगतान किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 22,82.99 लाख ₹ की कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-115.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पूरक पुनर्वि.	80,00.00 27,00.00 (-)50,75.23	56,24.77	54,54.77	(-)1,70.00	50,75.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 60,69.93 लाख ₹ की कमी (समर्पण 50,75.23 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 9,94.70 लाख ₹) एवं 9,94.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि बजट प्रावधान कम होने से आर्म्स एम्यूनेशन क्रय करने हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-115.0701.7348- अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	24,99.20 (-)12,05.03	12,94.17	10,44.25	(-)2,49.92	12,05.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-800.1416- राज्य सडक सुरक्षा निधि का गठन	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)50,00.00	0.00	0.00	0.00	50,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-800.8333- सडक सुरक्षा कोष से व्यय	मूल पूरक पुनर्वि.	0.07 50,00.00 (-)36,00.68	13,99.39	13,85.84	(-)13.55	36,00.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2055-800.0801.1948- नेशनल इमर्जेंन्सी रिसपान्स सिस्टम	पूरक पुनर्वि.	14,18.25 (-)14,18.25	0.00	0.00	0.00	14,18.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2055-800.0101.1418- स्ट्रेथिनिंग होम लेण्ड सिक्यूरिटी	मूल पुनर्वि.	8,72.45 (-)5,72.28	3,00.17	2,50.17	(-)50.00	5,72.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-107.2710- प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	मूल पुनर्वि.	55,63.67 (-)10,99.29	44,64.38	44,98.72	+34.34	10,99.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 12,03.41 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,26.24 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 10,77.17 लाख ₹) एवं 1,04.12 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त रहने, मितव्ययी उपाय अपनाये जाने, सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते व ग्रेड पे में कम बजट प्रावधान होने, सामग्री क्रय करने के लिये प्रक्रिया अपूर्ण रहने व अनुमति न मिलने, भारतीय पुलिस सेवा के पद रिक्त रहने, शासन से छूट न मिलने एवं एक्स ग्रेशिया राशि का प्रस्ताव न मिलने से हुई। वृद्धि मांग अनुसार कम बजट होने से राशि की आवश्यकता होने, वेतन भुगतान होने, सी.एम. हेल्प लाईन का भुगतान न होने एवं पेट्रोल व डीजल पर जी.सी.टी. लगाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2070-107.4670- स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	5,76.50 (-)3,11.70	2,64.80	2,60.43	(-)4.37	3,11.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 1,00.00 लाख ₹ के स्थान पर 60.00 लाख ₹ का भुगतान किये जाने, दस प्रतिशत मितव्ययिता के चलते, आहरण पर प्रतिबंध होने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमी होने, भोजन राशि को मानदेय में परिवर्तित किये जाने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-107.0101.7327- राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन	मूल	8,81.79	7,71.99	7,74.53	+2.54	2,25.14 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,58.77 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन के रूप में) एवं 1,33.63 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः संविदा कर्मियों के रिक्त पद नहीं भरे जाने, क्रय पर प्रतिबंध होने, मितव्ययी उपाय अपनाये जाने से हुई (66.36 लाख ₹) जबकि वृद्धि वेतन, शिक्षा भत्ता, एस.डी.आर.एफ. कार्यालय के पी.ओ.एल. के लंबित देयक व वाहन संधारण देयक, अधिकारियों के यात्रा भत्ता देयक विशेष सेवाओं हेतु मानदेय के भुगतान किये जाने हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई। 2,92.41 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	1,15.34				
	पुनर्वि.	(-)2,25.14				

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-001.1011- क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना	मूल	12,68.17	15,06.89	15,01.15	(-)5.74	2,38.72 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,10.72 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,72.00 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,78.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 94.00 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता शीर्ष का भुगतान किये जाने, बजट प्रावधान उपलब्ध न होने या कम मिलने के कारण लंबित देयकों का भुगतान किये जाने, कर्मचारियों का वेतन आहरण होने व सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण न होने से पुराने वेतनमान के अनुसार वेतन आहरण किये जाने से हुई जबकि कमी अंशतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई (94.00 लाख ₹)। 1,78.00 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	2,38.72				

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-101.7453- राज्य साइबर मुख्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	5,89.68 1,30.00 73.91	7,93.59	7,89.13	(-)4.46	73.91 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,01.25 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,27.34 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान किये जाने, बजट प्रावधान उपलब्ध न होने या कम मिलने के कारण कर्मचारियों का वेतन आहरण किये जाने के लिये राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2055-109.0101.5555- बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	1,08,00.00 21,90.72	1,29,90.72	1,29,90.71	(-)0.01	21,90.72 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मुख्यतः लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-800.7130- महिला अपराध शाखा का गठन	मूल पुनर्वि.	15,86.83 67.67	16,54.50	16,40.85	(-)13.65	67.67 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,39.65 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,71.98 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,17.98 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 1,54.00 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन व अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का वेतन भुगतान किये जाने, बजट प्रावधान उपलब्ध न होने या कम मिलने के कारण लंबित देयकों, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता शीर्ष के अन्तर्गत भुगतान किये जाने से राशि की आवश्यकता होने से हुई जबकि कमी मुख्यतः राशि अप्रयुक्त रहने एवं देयक लंबित रहने से हुई।
2055-800.0101.7346- केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	1,14,49.74 8,46.82	1,22,96.56	1,19,72.53	(-)3,24.03	8,46.82 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 22,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 13,53.18 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि बजट प्रावधान कम होने से लंबित देयकों का भुगतान किये जाने हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 03—पुलिस समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-107.0492- आव्हान पर होने वाला व्यय	मूल	2,15,46.20	2,46,68.35	2,46,54.77	(-)13.58	11,22.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 77,34.63 लाख ₹ की वृद्धि एवं 66,12.48 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,44.60 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 64,67.88 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि मानदेय का भुगतान किये जाने हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी अंशतः पद रिक्त रहने, क्रय सामग्री की प्रक्रिया पूर्ण न होने से हुई (49.65 लाख ₹)। 65,62.83 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि.	11,22.15				

प्रभारित

- (5) 82.92 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 73.58 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.4491- सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल	1,21.31	48.73	39.39	(-)9.34	72.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	(-)72.58				

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद्, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	52,32,04			
पूरक	13,96,24	66,28,28	37,10,77	(-)29,17,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				26,07,92

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	00	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,60,01			
पूरक	0	1,60,01	23,27	(-)1,36,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,25,01

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa 1/4]12-79 yk[k ₹½ ,oa uoEcj 2017 esa 1/4]83-45 yk[k ₹½ izklr fd;k x;k 13]96-24 yk[k ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 29,17.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 26,07.92 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-114.3598-मोटर गैरेज	मूल पुनर्वि.	8,54.15 (-)1,69.29	6,84.86	6,84.70	(-)0.16	1,69.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 2,58.07 लाख ₹ (समर्पण 1,69.29 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 88.78 लाख ₹) की कमी एवं 88.78 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एरियर का भुगतान न होने, व्यय मितव्ययता, वित्त विभाग द्वारा क्रय पर प्रतिबंध होने, प्रशिक्षण संस्था उपलब्ध न होने एवं नवीन वाहनों कम मरम्मत व्यय न होने के कारण हुई (1,69.29 लाख ₹)। वृद्धि 7वें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने से हुई। 88.78 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.1338-म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-)3,90.82	2,09.18	1,83.77	(-)25.41	3,90.82 लाख ₹ (समर्पण 3,10.82 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 80.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-60.200.2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,40.73	59.27	39.27	(-)20.00	1,40.73 लाख ₹ (समर्पण 1,35.73 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः व्यय मितव्ययता के कारण हुई (5.00 लाख ₹)। 1,35.73 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.200.7331- आपदा प्रबंधन क्षमता विकास	पूरक	1,08.70	1,08.70	8.19	(-)1,00.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-60.200.9262- जिला सैनिक बोर्ड	मूल	15,67.19	11,66.74	12,17.84	+51.10	5,05.50 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	1,05.05				
	पुनर्वि.	(-)5,05.50				
2235-60.200.0101.6072- आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,50.00 (-)1,48.50	4,01.50	3,46.50	(-)55.00	1,48.50 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.0101.7329- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय	मूल पुनर्वि.	3,05.24 (-)2,28.28	76.96	79.01	+2.05	2,28.28 लाख ₹ (समर्पण 91.28 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,37.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.0101.7330- आपदा सूचना एवं संचार तकनीकी विकास	मूल पुनर्वि.	1,65.00 (-)1,56.54	8.46	18.82	+10.36	1,56.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,61.54 लाख ₹ (समर्पण 36.54 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,25.00 लाख ₹) की कमी एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः राशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई (5.00 लाख ₹)। वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। 1,56.54 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.200.0101.7331- आपदा प्रबंधन क्षमता विकास	मूल पुनर्वि.	1,69.51 (-)1,03.80	65.71	40.48	(-)25.23	1,03.80 लाख ₹ (समर्पण 10.80 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 93.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
3454-01.800.9946- जिला जनगणना पुस्तिका का प्रकाशन	मूल पूरक पुनर्वि.	1.00 11,04.09 (-)6,23.03	4,82.06	4,81.96	(-)0.10	6,23.03 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) 1,36.74 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 1,25.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-60.800.1314- सैनिक आराम गृह	मूल पुनर्वि.	1,60.00 (-)1,25.00	35.00	23.27	(-)11.73	1,25.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 05—जेल
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष— 2056-जेल)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,97,36,27			
पूरक	0	2,97,36,27	2,92,74,88	(-)4,61,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 4,61.39 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) यद्यपि 4,61.39 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखित अंतर परिलक्षित हुये—

(अ) बचत:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-101.0938- केन्द्रीय तथा जिला जेलें	मूल पुनर्वि.	2,76,43.24 (-)1,31.15	2,75,12.09	2,73,38.72	(-)1,73.37	1,31.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में 38,99.50 लाख ₹ की कमी एवं 37,68.35 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016—17, 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2056-101.0101.5044- जेलों का आधुनिकरण	मूल पुनर्वि.	3,80.71 (-)16.70	3,64.01	2,19.94	(-)1,44.07	समर्पण के रूप में 16.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 05—जेल समाप्त

(ब) आधिक्य:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-001.2304- निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	8,97.75 2,25.98	11,23.73	10,03.37	(-1,20.36)	2,25.98 लाख ₹ का पुनर्विनियोग प्रावधान में 3,07.32 लाख ₹ की वृद्धि एवं 81.34 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2056-102.1524- जेल उत्पादन	मूल पुनर्वि.	5,02.63 (-)21.45	4,81.18	4,81.85	+0.67	21.45 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में 41.45 लाख ₹ की कमी एवं 20.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 06—वित्त

(मुख्य शीर्ष- 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय, 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि, 7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,25,80,76,47			
पूरक	10,01	1,25,80,86,48	94,65,62,99	(-)31,15,23,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				16,73

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,74,22			
पूरक	0	20,74,22	3,12,01	(-)17,62,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	16,97,10,97			
पूरक	0	16,97,10,97	1,85,39,41	(-)15,11,71,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 10.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 एवं मार्च 2018 (सांकेतिक) में प्राप्त **fd;k** अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31,15,23.49 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 16.73 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2054-095.2304-निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	20,25.89 1,37.00	21,62.89	15,80.98	(-)5,81.91	1,37.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,02.50 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोग के रूप में) एवं 3,39.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मंहगाई भत्ता शीर्ष में बचत को सातवें वेतन आयोग में मर्जर किये जाने से हुई जबकि वृद्धि मुख्यतः सातवें वेतन आयोग में मूल वेतन में मंहगाई भत्ता एकजाई किये जाने से राशि की आवश्यकता होने, नव नियुक्त सहायक निदेशक का वेतन एवं संविदा आधारित कर्मियों का पारिश्रमिक हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-095.4307-संभागीय स्थापना	मूल पुनर्वि.	15,10.93 20.00	15,30.93	10,17.87	(-)5,13.06	20.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-095.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	29,72.70 (-)3,45.00	26,27.70	18,31.18	(-)7,96.52	3,45.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,55.00 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोग के रूप में) एवं 10.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वर्तमान वित्तीय वर्ष के कार्य अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने, निदेशक स्थानीय निधि के बी.सी.ओ. को राशि स्थानान्तरित किये जाने, मितव्ययी उपाय अपनाये जाने एवं मशीन व औजार शीर्ष में बचत होने से हुई जबकि वृद्धि कार्यालय विद्युत संधारण हेतु कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी संभाग राजधानी परियोजना प्रशासन के देयक भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2054-097.1026- खजाना स्थापना	मूल पुनर्वि.	76,02.64 1,50.00	77,52.64	62,27.17	(-)15,25.47	1,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 8,00.00 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोग के रूप में) एवं 9,50.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मंहगाई भत्ता शीर्ष में बचत को सातवें वेतन आयोग में मर्जर किये जाने से हुई जबकि वृद्धि सातवें वेतन आयोग में मूल वेतन में मंहगाई भत्ता एकजाई किये जाने से राशि की आवश्यकता होने एवं स्थाई संपत्ति के संधारण हेतु आवश्यकता होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-098.4361- बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा	मूल पुनर्वि.	43,01.50 20.00	43,21.50	33,04.28	(-)10,17.22	20.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 78.00 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोग के रूप में) एवं 98.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः ग्रेड-पे में बचत अन्य बजट नियंत्रण अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने से हुई जबकि वृद्धि मांग अनुसार परिवहन, दूरभाष, विद्युत/जल के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने, संविदा कर्मियों को मानदेय का भुगतान किये जाने, सहायक संचालक के पद पर नव नियुक्त का वेतन भुगतान, अनुबंध पर वाहनों, तीन माह से लंबित देयकों के भुगतान किये जाने एवं कार्यालय भवन का किराया भुगतान किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.101.9998- मध्यप्रदेश	मूल	12,68,85.60	12,68,85.60	6,63,65.98	(-)6,05,19.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2071-01.101.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	61,68,92.08	61,68,92.08	50,01,02.56	(-)11,67,89.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.104.9998-मध्यप्रदेश	मूल	7,22,80.68	7,22,80.68	4,47,35.40	(-)2,75,45.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2071-01.104.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	7,96,03.92	7,96,03.92	7,73,07.61	(-)22,96.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2071-01.105.9998-मध्यप्रदेश	मूल	3,39,88.80	3,39,88.80	1,07,28.36	(-)2,32,60.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2071-01.105.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	19,69,96.80	19,69,96.80	13,56,71.55	(-)6,13,25.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.111.9998-मध्यप्रदेश	मूल	40,00.00	40,00.00	35.64	(-)39,64.36	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.115.9998-मध्यप्रदेश	मूल	2,69,14.80	2,69,14.80	1,43,50.95	(-)1,25,63.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2071-01.115.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	3,24,07.20	3,24,07.20	2,89,36.73	(-)34,70.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2071-01.200.5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	मूल	18,54.00	18,54.00	0.00	(-)18,54.00	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-800.0101.7623-वेंचर केपिटल फण्ड कंपनी की अंशपूंजी में निवेश	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,05.00	1,05.00	1,05.00	0.00	1,05.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन वेंचर केपिटल कम्पनी को स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने से हुआ।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2071-01.102.9998- मध्यप्रदेश	मूल	8,42.40	8,42.40	18,10.29	+9,67.89	वित्त विभाग से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त न होने से आधिक्य हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	16,84.80	16,84.80	31,39.65	+14,54.85	वित्त विभाग से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त न होने से आधिक्य हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.111.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	16,17.24	16,17.24	26,46.78	+10,29.54	वित्त विभाग से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त न होने से आधिक्य हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.117.6854- अंशदायी पेंशन योजना	मूल	3,85,77.12	3,85,77.12	4,28,81.40	+43,04.28	वित्त विभाग से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त न होने से आधिक्य हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित

- (5) 17,62.21 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2071-01.101.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	16,84.80	16,84.80	0.00	(-)16,84.80	संपूर्ण मूल विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश	मूल	2,10.60	2,10.60	0.00	(-)2,10.60	संपूर्ण मूल विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 06—वित्त जारी

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2071-01.101.5158- सेवानिवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	70.20	70.20	1,81.62	+1,11.42	वित्त विभाग से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त न होने से आधिक्य हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2071-01.106.9998- मध्यप्रदेश	मूल	15.44	15.44	67.68	+52.24	वित्त विभाग से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त न होने से आधिक्य हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) 15,11,71.56 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4070-800.0101.5632- जन निजी भागीदारी अंतर्गत अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	40,00.00	40,00.00	8,40.80	(-)31,59.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075-800.6787- गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	51,30.95	51,30.95	0.00	(-)51,30.95	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075.800.6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	25,00.00	25,00.00	0.00	(-)25,00.00	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06—वित्त समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6801-205.0839- उर्जा क्षेत्र के लिये वित्तीय पुनर्संरचना ऋण	मूल पुनर्वि.	15,00,00.00 (-)-1,50,00.00	13,50,00.00	0.00	(-)-13,50,00.00	1,50,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6075-800.6842- राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	मूल पुनर्वि.	50,00.00 1,30,00.00	1,80,00.00	1,52,00.00	(-)-28,00.00	1,30,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम, भोपाल के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के एरियर्स राशि का भुगतान करने हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

(मुख्य शीर्ष- 2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण, 2030-स्टाम्प और पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043—राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रह प्रभार, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,88,65,16			
पूरक	11	23,88,65,27	20,51,75,21	(-)3,36,90,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,60			
पूरक	सांकेतिक	1,60	00	(-)1,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 (0.11 लाख ₹) में एवं मार्च 2018 (सांकेतिक) 0-11 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 3,36,90.06 लाख ₹ की वृहद बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2030-01.001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल 5,84.07 पुनर्वि. 12.00	5,96.07	4,50.83	(-)1,45.24	12.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 45.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 33.00 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन के रूप में) का निवल प्रभाव थी। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2030-01.101.4612-स्टाम्पों की लागत	मूल	4,50.00	4,50.00	0.00	(-)4,50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2030-01.102.4611-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	मूल	3,00.00	3,00.00	31.27	(-)2,68.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2030-02.101.2456-न्यायिकेत्तर स्टाम्प की लागत	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)40.00	24,60.00	7.27	(-)24,52.73	40.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत नासिक एवं हैदराबाद के लंबित देयकों के भुगतान की जानकारी अप्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2030-02.102.2455-न्यायिकेत्तर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-)2,00.00	58,00.00	4,53.65	(-)53,46.35	2,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2030-03.001.1480-जिला प्रभार	मूल पुनर्वि.	44,35.35 70.50	45,05.85	43,44.91	(-)1,60.94	70.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,34.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,63.50 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम बजट प्रावधान होने, महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय हेतु 4 वाहनों के क्रय किये जाने से, कम बजट प्रावधान होने से 3 माहों के देयकों के भुगतान करने एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान मजदूरी दर में वृद्धि होने से एरियर तथा नियत मजदूरी के भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि-

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया था। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी भूमि के पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रूपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति का दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्ति में जमा की जाती है। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030-स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस-01-स्टाम्प-न्यायिक एवं 02-स्टाम्प- न्यायिकेत्तर-800-अन्य प्राप्ति-0035-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्यशीर्ष 2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-02-स्टाम्प-न्यायिकेत्तर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2017 को निधि का प्रारंभिक शेष 15,17,92.48 लाख ₹ था। वर्ष के दौरान 2,72,00.00 लाख ₹ की राशि जमा की गई तथा वर्ष के दौरान निधि में कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2018 को निधि में जमा शेष 17,89,92.48 लाख ₹ था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2017-18 के विवरण संख्या 21 एवं 22 में सम्मिलित है।

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2039-001.0123-अधीक्षण	मूल पुनर्वि.	16,06,20.59 (-)16,64.25	15,89,56.34	13,10,68.17 (-)2,78,88.17	16,64.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 19,35.81 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी एवं 2,71.56 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः विदेशी मदिरा की बिक्री में कमी होने एवं सातवां वेतनमान में मंहगाई भत्ता पांच प्रतिशत होने के कारण हुई। वृद्धि मुख्यतः कम बजट प्रावधान होने, सातवां वेतनमान लागू होने से वेतन एवं ऐरियर के भुगतान होने एवं दो संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक आहरण किये जाने के कारण हुई। 17.67 लाख ₹ की कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य+	टिप्पणी
-------	-----	----------	---------	---------

			अनुदान (लाख ₹ में)	व्यय (लाख ₹ में)	बचत (-) (लाख ₹ में)	
2039-001.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	8,48.34 (-)15.00	8,33.34	36.03	(-)7,97.31	15.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत सूचना प्रौद्योगिकी मद से मशीन एवं संयंत्र को क्रय नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2039-001.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	8,53.80 (-)3.50	8,50.30	6.50	(-)8,43.80	3.50 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत कार्यालय उपकरण क्रय नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2040-001.3569- मुख्यालय स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	17,16.85 30.00	17,46.85	12,85.26	(-)4,61.59	30.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन जी.एस.टी. का प्रशिक्षण विभाग के शासकीय सेवकों को प्रदाय करने के लिये किया गया। वेतन शीर्ष में बचत नियुक्ति/ पदोन्नति न होने, क्रय पर प्रतिबंध होने एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 के व्यय के अनुसार व्यय सीमित किये जाने से हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2040-001.7086- वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल	मूल	5,97.96	5,97.96	3,02.07	(-)2,95.89	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (8.00 लाख ₹ प्रत्येक) की वृद्धि एवं कमी हुई। वृद्धि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हेतु नया "सीआज" वाहन क्रय किये जाने के कारण वित्त वर्ष 2017-18 के लिये अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता हुई। कमी 02 अनुपयोगी वाहनों के विक्रय किये जाने, मितव्ययता बरतने एवं अपील बोर्ड हेतु दो सदस्यों के पदों की पूर्ति शासन स्तर से न होने के कारण वाहन किराये से नहीं लिये जाने के कारण बचत हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2040-001.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	28,17.61	28,17.61	24,66.20	(-)3,51.41	लीज लाईन में बैंडविथ 15 एम.पी.बी. एस. के स्थान पर 10 एम.पी.बी.एस. किये जाने से बी.एस.एन.एल. को लीज लाईन भुगतान कम होने, कार्यालय उपकरणों के क्रय में बचत होने एवं चेंज रिक्वेस्ट में कम व्यय होने से बचत हुई।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2040-001.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)50.00	50.00	0.00	(-)50.00	50.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत इस मद में व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2040-101.1509- जिला स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,65,63.04 20.00	1,65,83.04	1,40,80.38	(-)25,02.66	20.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,20.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,00.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वाहनों की संख्या 103 से 224 किये जाने, लंबित देयकों का भुगतान, नवीन भवन को कार्यालय हेतु किरोय से लेने, किराये में वृद्धि होने, जी.एस.टी. की नवीन पुस्तकें क्रय करने एवं कार्यालय फर्नीचर क्रय किये जाने के कारण हुई। कमी महंगाई भत्ते की दर परिवर्तित होने एवं दिनांक 01.07.2017 से 7 वें वेतनमान में ग्रेड-पे समाप्त किये जाने के कारण हुई। नियुक्ति/ पदोन्नति न होने, क्रय पर प्रतिबंध होने एवं वर्ष 2016-17 वित्तीय वर्ष के अनुसार व्यय सीमित किये जाने से वेतन शीर्ष में बचत हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (5) उपरोक्त टिप्पणी (4) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2030-01.001.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	6,02.00 1,57.00	7,59.00	12,20.97	+4,61.97	1,57.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 43.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने से हुई जबकि कमी कम राशि के देयकों का भुगतान किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2030-03.001.5815- परिक्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,94.38 0.50	2,94.88	17,53.25	+14,58.37	0.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2039-001.1470- जिला कार्यपालिक स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,20,63.75 5,03.10	1,25,66.85	1,93,39.43	+67,72.58	5,03.10 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 10,03.10 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5,00.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान होने एवं 7वें वेतनमान लागू किये जाने से वेतन एवं एरियर्स के भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी 7वें वेतनमान में पांच प्रतिशत मंहगाई भत्ता किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2039-104.4173- स्परिट की खरीद	मूल पुनर्वि.	10.00 12,00.00	12,10.00	10,64.73	(-)1,45.27	12,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,94,34,74			
पूरक	3,37,50	13,97,72,24	11,69,72,27	(-)2,27,99,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,19,00			
पूरक	14,77	2,33,77	1,78,93	(-)54,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,38,60,50			
पूरक	0	1,38,60,50	1,08,16,02	(-)30,44,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,00

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 3,37.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 2,27,99.97 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-001.0456- आयुक्त भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय	मूल	9,80.15	9,80.15	7,07.71	(-)2,72.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-001.6846- भू-प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	79,77.10 (-)10.00	79,67.10	59,99.83	(-)19,67.27	10.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,40.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी एवं 2,30.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-102.2193- नजूल स्थापना	मूल	29,81.45	29,81.45	24,74.06	(-)5,07.39	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (1,25.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-102.2503- परिमाणन, व्यवस्थापन तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य	मूल	33,41.81	33,41.81	27,62.01	(-)5,79.80	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (3,05.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि अंशतः वित्त वर्ष 2017-18 में शीर्ष 11-008 (अन्य भत्ते) में अपर्याप्त बजट प्रावधान होने से हुई (15.00 लाख ₹)। 2,90.00 लाख ₹ के विशिष्ट कारणों के साथ ही अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.1472- जिला प्रभार	मूल	4,97,12.78	4,97,12.78	4,16,38.92	(-)80,73.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0801.9981- लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय	मूल	2,18.22	2,18.22	56.64	(-)1,61.58	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0101.5070- कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	मूल	11,00.02	11,00.02	28.93	(-)10,71.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2029-103.0101.7167- एस.एल.टी.आई. एवं प्रशिक्षण शालाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल	2,00.00	2,00.00	97.84	(-)1,02.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2029-103.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	3,00.00	3,00.00	65.81	(-)2,34.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2052-099.3657- राजस्व बोर्ड	मूल	5,75.42	5,75.42	3,83.61	(-)1,91.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.1509- जिला स्थापना	मूल	3,57,32.73	3,66,83.23	3,18,44.57	(-)48,38.66	6,13.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 12,53.70 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6,40.70 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने, सातवां वेतनमान लागू किये जाने से, वित्तीय वर्ष 2016-17 में सिंहस्थ उत्सव में अधिक व्यय होने के कारण लंबित बिलों के भुगतान किये जाने से, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का मिड कैरियर प्रशिक्षण होने तथा मुख्य सचिव द्वारा राजस्व विभाग के कार्यालयों का संपूर्ण मध्यप्रदेश में समीक्षा किये जाने के कारण हुई। कमी सातवां वेतनमान लागू किये जाने से मंहगाई भत्ते की दर में कमी होने एवं ग्रेड-पे समाप्त किये जाने तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम व्यय होने के कारण बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	3,37.50				
	पुनर्वि.	6,13.00				
2053-094.0441- आदेशिका वाहक स्थापना	मूल	77,40.79	77,95.79	66,51.51	(-)11,44.28	55.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन 76.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 21.50 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने से हुई जबकि कमी कम व्यय होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	55.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-094.0619- उप संभागीय स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,46,63.47 (-)8,09.50	2,38,53.97	2,13,38.85	(-)25,15.12	8,09.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11,56.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी एवं 3,46.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी 7वां वेतन आयोग के वेतनमान लागू होने से मंहगाई भत्ते की दर में कमी होने एवे ग्रेड-पे समाप्त किये जाने के कारण हुई जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान होने एवं सातवों वेतन आयोग के वेतनमान लागू किये जाने से अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-094.6924- प्रमुख राजस्व आयुक्त (स्थापना)	मूल पुनर्वि.	3,94.60 30.80	4,25.40	2,70.44	(-)1,54.96	30.80 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 41.20 लाख ₹ की वृद्धि एवं 10.40 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई जबकि कमी 7 वें वेतन आयोग के वेतनमान लागू होने से मंहगाई भत्ते की दर में कमी होने एवं ग्रेड-पे समाप्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा आउटसोर्स में रखे गये कर्मचारियों का वेतन उक्त मद से आहरण न करने के निर्देश के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-101.0452- आयुक्त	मूल पुनर्वि.	22,45.10 1,02.70	23,47.80	19,27.05	(-)4,20.75	1,02.70 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,27.70 लाख ₹ की वृद्धि एवं 25.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने एवं 7 वें वेतन आयोग के वेतनमान लागू किये जाने से अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी 7वें वेतन आयोग के वेतनमान लागू होने से महंगाई भत्ते की दर में कमी होने एवं ग्रेड-पे समाप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 (0.90 लाख ₹) में एवं मार्च 2018 (13.85 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 14.77 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 54.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-099.3657- राजस्व बोर्ड	मूल	1,43.50	1,43.50	98.05	(-)45.45	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (43.70 लाख ₹) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत हेतु कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) 30,44.48 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 5.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0102.6664-	मूल	10,00.00	10,00.00	3,10.86	(-)6,89.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण						
4059-01.051.0101.6664-	मूल	77,00.00				
तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	पुनर्वि.	(-)10,00.00	67,00.00	66,21.39	(-)78.61	10,00.00 लाख ₹ की (पुनर्विनियोजन के रूप में) प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पी.आई.यू. को आवंटित राशि में से आवश्यकतानुसार उपयोग के पश्चात बचत होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.6980-	मूल	10,23.00	10,23.00	1,58.88	(-)8,64.12	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
भू-अभिलेख जिला एवं प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (रा.नि./पटवारी आवास)						

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

(मुख्य शीर्ष 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2075-विविध सामान्य सेवाएँ एवं 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	63,63,91			
पूरक	0	63,63,91	43,59,32	(-)20,04,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,05			
पूरक	0	1,05	00	(-)1,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,20,01			
पूरक	0	10,20,01	00	(-)10,20,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 20,04.59 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2058-001.2286- नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय	मूल	2,79.92	2,79.92	1,97.16	(-)82.76	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा 26.00 लाख ₹ प्रत्येक की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी सातवे वेतन आयोग में ग्रेड पे समाप्त किये जाने एवं महंगाई भत्ते में कमी होने से हुई। वृद्धि सातवां वेतनमान लागू होने एवं गंभीर बीमारी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयक प्राप्त होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2058-101.3842- लेखन सामग्री तथा स्टोर्स के शाखा कार्यालय	मूल पुनर्वि.	3,09.35 (-)15.00	2,94.35	82.21	(-)2,12.14	15.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार बन्द किये जाने से लेखन सामग्री क्रय नहीं किये जाने एवं केवल डायरी तथा कैलेण्डर का भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2058-103.4202- शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय	मूल पुनर्वि.	55,79.07 15.00	55,94.07	39,76.70	(-)16,17.37	15.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन 68.00 लाख ₹ की कमी एवं 83.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सातवे वेतन आयोग में ग्रेड पे समाप्त किये जाने के कारण हुई। वृद्धि मांग अनुसार आवंटन प्राप्त न होने तथा गत वर्ष की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2058-104.0301- अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य	मूल	1,65.00	1,65.00	1,03.24	(-)61.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय समाप्त

प्रभारित

(3) 1.05 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(4) 10,20.01 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4058-103.0101.3427- मशीनें और उपकरण, छपाई की मशीनों की खरीद	मूल	10,20.00	10,20.00	0.00	(-)10,20.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10-वन

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2216-आवास, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 3054-सड़क तथा सेतु, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,29,43,31			
पूरक	15,05,58	23,44,48,89	19,06,59,85	(-)4,37,89,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,09,12,79

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	80,00			
पूरक	0	80,00	43,21	(-)36,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				36,30

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,88,81,01			
पूरक	0	3,88,81,01	3,70,43,98	(-)18,37,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				17,14,93

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 (10,05.58 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (5,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 15,05.58 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 4,37,89.04 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 4,09,12.79 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.001.0701.5317- गहन वन प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	6,60.02 (-)3,81.55	2,78.47	2,68.34	(-)10.13	3,81.55 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.001.0103.0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	मूल पुनर्वि.	84.00 (-)75.60	8.40	0.00	(-)8.40	75.60 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.001.0102.0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	मूल पुनर्वि.	84.00 (-)75.60	8.40	0.00	(-)8.40	75.60 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.001.0101.0667- कृषि वानिकी हेतु उपमिशन	मूल पुनर्वि.	2,52.00 (-)2,26.80	25.20	0.00	(-)25.20	2,26.80 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.001.0101.3555- मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	53,27.19 (-)12,23.76	41,03.43	41,04.34	+ 0.91	12,23.76 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 18,12.51 लाख ₹ (समर्पण 12,23.76 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,88.75 लाख ₹) की कमी एवं 5,88.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने एवं संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.003.0101.4462- वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	मूल पुनर्वि.	14,93.35 (-)4,62.90	10,30.45	9,61.15	(-)69.30	4,62.90 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0801.0664- इको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 5,00.00 (-)4,55.85	44.16	44.16	0.00	4,55.85 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.101.0701.7489- आयुष सहित औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय मिशन	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)90.00	10.00	0.00	(-)10.00	90.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.101.0430.7882- कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन—संरक्षण समूह	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)3,03.93	96,96.07	86,63.06	(-)10,33.01	3,03.93 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.101.0101.0812- कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	11,03,34.98 (-)2,45,44.25	8,57,90.73	8,55,99.49	(-)1,91.24	2,45,44.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,58,59.25 लाख ₹ (समर्पण 2,45,44.25 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 13,15.00 लाख ₹) की कमी एवं 13,15.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मुख्यतः कम बजट प्रावधान होने, वेतन एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान के कारण हुई (10,15.00 लाख ₹)। 3,00.00 लाख ₹ की अवशेष वृद्धि तथा कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.102.1306- वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)3,95.33	6,04.67	5,13.33	(-)91.34	3,95.33 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.102.0102.2536- वानिकी विस्तार	मूल पुनर्वि.	4,00.00 (-)30.17	3,69.83	3,04.23	(-)65.60	30.17 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.102.0101.0833- नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)54.99	14,45.01	12,76.84	(-)1,68.17	54.99 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.190.0101.2027- केम्पा योजना राज्य का हिस्सा	मूल पुनर्वि.	2,60.00 (-)77.46	1,82.54	1,56.01	(-)26.53	77.46 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016—17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.190.0101.7458- राज्य बांस मिशन	पूरक पुनर्वि.	2,05.58 (-)92.52	1,13.06	1,13.06	0.00	92.52 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
2406-01.203.0535- इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	मूल पुनर्वि.	96,46.79 (-)21,38.87	75,07.92	76,27.08	+ 1,19.16	21,38.87 लाख ₹ (समर्पण 8,12.87 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 13,26.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः कटाई की अनुमति प्राप्त न होने के कारण हुई (10,00.00 लाख ₹)। 11,38.87 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किये गया है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016—17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.204.2901- बांस	मूल पुनर्वि.	14,32.00 (-)2,54.88	11,77.12	11,83.52	+ 6.40	2,54.88 लाख ₹ (समर्पण 2,04.88 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.797.3885- वन विकास निधि में अंतरण	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)31,50.00	3,50.00	0.00	(-)3,50.00	31,50.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-01.800.0101.0792- कर्मचारी कल्याण	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)89.05	2,10.95	1,93.79	(-)17.16	89.05 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2406-02.110.0102.3730- वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि.	2,38,80.49 (-)23,47.90	2,15,32.59	1,80,95.40	(-)34,37.19	23,47.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,62,71.90 लाख ₹ (समर्पण 23,47.90 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,39,24.00 लाख ₹) की कमी एवं 1,39,24.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध अधिक बजट प्रावधान होने के कारण हुई (1,39,24.00 लाख ₹)। वृद्धि वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई। 23,47.90 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.004.7781- मालिक मकबुजा लकड़ी का क्रय	मूल पुनर्वि.	20,00.00 13,64.35	33,64.35	31,89.23	(-)1,75.12	13,64.35 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 14,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 35.65 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः कृषकों के निजी भूमि से प्राप्त काष्ठ के भुगतान किये जाने के कारण हुई (10,00.00 लाख ₹)। 4,00.00 लाख ₹ की अवशेष वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

प्रभारित

- (5) 36.79 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 36.30 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.800.0190- अन्य निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	80.00 (-)36.30	43.70	43.21	(-)0.49	36.30 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (7) 18,37.03 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 17,14.93 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) यद्यपि 18,37.03 लाख ₹ की समग्र बचत मूल प्रावधान के पांच प्रतिशत से भी कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.070.0101.4342- वन अद्योसंरचना का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	50,43.01 (-)5,36.86	45,06.15	44,66.54	(-)39.61	5,36.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,86.86 लाख ₹ (समर्पण 5,36.86 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50.00 लाख ₹) की कमी एवं 50.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4406-01.101.0102.7882- कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन-संरक्षण समूह	मूल पुनर्वि.	1,60,50.00 (-)14,24.84	1,46,25.16	1,52,25.69	+ 6,00.53	14,24.84 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 21,44.93 लाख ₹ (समर्पण 5,74.84 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15,70.09 लाख ₹) की कमी तथा 7,20.09 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने के कारण हुई (4,00.00 लाख ₹)। 3,20.09 लाख ₹ की अवशेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 10—वन समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.102.0102.6397- नर्सरियों में पौधा तैयारी	मूल पुनर्वि.	18,00.00 2,51.77	20,51.77	14,63.27	(-)5,88.50	2,51.77 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 98.23 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.102.0101.6397- नर्सरियों में पौधा तैयारी	मूल पुनर्वि.	35,68.00 (-)2,47.82	33,20.18	35,29.40	+2,09.22	2,47.82 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम तथा रोजगार, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 4852-लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज, 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज, 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,74,76,73			
पूरक	1,01,50,00	6,76,26,73	6,59,75,68	(-)16,51,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				17,98

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,54,41,04			
पूरक		3,54,41,04	3,54,40,50	(-)54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 16,51.05 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया 50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 1,01,00.00 लाख ₹ अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 16,51.05 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 17.98 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि 16,51.05 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखित अंतर परिलक्षित हुये:—

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार जारी

(अ) बचत:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-02.001.3795- रोजगार तथा प्रशिक्षण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	5,64.63 (-)2.72	5,61.91	2,84.07	(-)2,77.84	2.72 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3.12 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोग के रूप में) एवं 0.40 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016—17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-02.101.9147- रोजगार कार्यालय	मूल	17,65.34	17,65.34	12,93.37	(-)4,71.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2230-02.101.0801.2092- मॉडल केरियर सेन्टर की स्थापना	मूल	1,93.06	1,93.06	54.53	(-)1,38.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2230-02.101.0101.7048- कौशल विकास प्रशिक्षण	मूल	1,00.01	1,00.01	25.89	(-)74.12	समर्पण स्वीकृति क्र. 58/उरासे. /यो./ए.जी.एम.पी./2017—18 /1380 दिनांक 16.05.2018 वित्तीय वर्ष 2017—18 समाप्ति के पश्चात् जारी होने से अमान्य किये जाने से बचत हुई।
2852-80.001.0101.1916- मध्यप्रदेश, व्यापार संवर्धन मण्डल	पूरक	50.00	50.00	17.83	(-)32.17	समर्पण स्वीकृति क्र. 58/उरासे. /यो./ए.जी.एम.पी./2017—18 /1380 दिनांक 16.05.2018 वित्तीय वर्ष 2017—18 समाप्ति के पश्चात् जारी होने से अमान्य किये जाने से बचत हुई।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार समाप्त

(ब) आधिक्य:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3475-200.6408- अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के विनियमन, भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन	मूल पुनर्वि.	4,02.99 (-)17.61	3,85.38	4,00.00	+14.62	17.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,05.35 लाख ₹ की कमी (समर्पण 17.61 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 87.74 लाख ₹) एवं 87.74 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सांतवा वेतन आयोग लागू होने के कारण मंहगाई भत्ता एवं ग्रेड पे में बचत होने से हुई (67.94 लाख ₹)। वृद्धि कार्यालय फर्म्स एवं संस्थान का पुनर्गठन पदों का निर्माण/डाटा एन्ट्री पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से सीधी भर्ती के 09 पदों के वेतन भुगतान किये जाने, कार्यालय का डिजिटिईलेशन कार्य हेतु रिकार्ड की फोटो कॉपी, फाईल कवर हेतु देयकों का भुगतान सातवां वेतनमान लागू होने, म.प्र. सा.प्र.वि. मंत्रालय के पत्र क्र. एफ-5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10.2016 द्वारा कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिये स्थायी कर्मियों को विनियमित करने से बढ़ी हुई दर पर वेतन का भुगतान किये जाने, सहायक रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं इन्दौर के सहायक रजिस्ट्रार के स्थानान्तरण, यात्रा देयकों के भुगतान किये जाने एवं सातवां वेतनमान लागू होने से मंहगाई भत्ता दर पांच प्रतिशत वेतन आहरण किये जाने से हुई। 37.41 लाख ₹ की शेष कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2801-बिजली, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	88,80,67,20			
पूरक	8,20,00,00	97,00,67,20	95,09,25,47	(-)1,91,41,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,22,99

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,16,72,00			
पूरक	69,87,38	5,86,59,38	5,16,71,97	(-)69,87,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	73,52,23,11			
पूरक	14,09,16,00	87,61,39,11	80,39,74,14	(-)7,21,64,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 1,91,41.73 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, माह जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया 8,05,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 15,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 1,91,41.73 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 2,22.99 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि 1,91,41.73 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान में पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुये हैं:-

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.0103.5855- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	मूल	19,12,11.00	14,09,72.00	13,86,06.40	(-)23,65.60	6,28,39.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	1,26,00.00				
	पुनर्वि.	(-)6,28,39.00				
2801-80.101.0103.7313- टैरिफ अनुदान	मूल	5,54,91.50	5,54,91.50	5,20,00.00	+34,91.50	59,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	59,50.00				
	पुनर्वि.	(-)59,50.00				
2801-80.101.0102.5855- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/श्रेणियों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति	मूल	12,74,74.00	19,86,84.15	18,68,02.00	(-)1,18,82.15	6,28,10.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन पी.एम.सी.एल. से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	84,00.00				
	पुनर्वि.	6,28,10.15				

प्रभारित

- (4) 69,87.41 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2018 में प्राप्त किया गया 69,87.38 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 69,87.41 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2045-103.3218- म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण	मूल	5,16,72.00	5,86,59.38	5,16,71.97	(-)69,87.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	69,87.38				

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

(7) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि:-

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिये विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारस्परिक एवं गैर पारस्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क 800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है। तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2017 को 15,57,28.65 लाख ₹ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान 5,16,71.97 लाख ₹ की राशि जमा की गयी। वर्ष के दौरान निधि में से 4,48,41.00 लाख ₹ व्यय किया गया। 31 मार्च 2018 को निधि में 16,25,59.62 लाख ₹ के अंतशेष था। इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110-ऊर्जा विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2017-18 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) 7,21,64.97 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, माह जुलाई 2017 में प्राप्त सांकेतिक प्रावधान अपर्याप्त था, जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 14,09,16.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (9) 7,21,64.97 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (10) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6801-190.1203.1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)16,45.30	63,54.70	0.00	(-)63,54.70	16,45.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6801-190.1203.5523- कृषि उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	मूल	44,00.00	44,00.00	29,11.57	(-)14,88.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6801-190.1203.6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	33,00.00	33,00.00	0.00	(-)33,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6801-190.1202.1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	मूल पुनर्वि.	69,00.00 (-)14,39.64	54,60.36	0.00	(-)54,60.36	14,39.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6801-190.1202.6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	29,03.00	29,03.00	0.00	(-)29,03.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6801-190.1201.1284- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.-3)	मूल पुनर्वि.	3,47,68.00 (-)71,98.21	2,75,69.79	1,12,07.48	(-)1,63,62.31	71,98.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6801-190.0101.2034- आई.पी.डी.एस. (कंपनी अंश)	मूल	60,00.00	60,00.00	10,00.00	(-)50,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-204.0101.6869- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	मूल	62,24.00	62,24.00	40,55.73	(-)21,68.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-205.1201.0700- ग्रीन कोरीडोर	मूल	81,29.00	81,29.00	0.00	(-)81,29.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6801-205.1201.6929- पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,45,30.00 (-)1,45,30.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान 1,45,30.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा समाप्त

- (11) उपरोक्त टिप्पणी (10) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-05.190.1203.1949- ए.डी.बी. सहायित वाहय पोषित पारेषण प्रणाली सुद्वढीकरण योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 16,45.30	16,45.30	16,45.30	0.00	16,45.30 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन एशियन डव्हलपमेन्ट बैंक से प्राप्त ऋण राशि को अंशपूजी में समायोजन के कारण होना सूचित किया गया।
4801-05.190.1202.1949- ए.डी.बी. सहायित वाहय पोषित पारेषण प्रणाली सुद्वढीकरण योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 14,39.64	14,39.64	14,39.64	0.00	14,39.64 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन एशियन डव्हलपमेन्ट बैंक से प्राप्त ऋण राशि को अंशपूजी में समायोजन के कारण होना सूचित किया गया।
4801-05.190.1201.1949- ए.डी.बी. सहायित वाहय पोषित पारेषण प्रणाली सुद्वढीकरण योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 71,98.21	71,98.21	71,98.21	0.00	71,98.21 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन एशियन डव्हलपमेन्ट बैंक से प्राप्त ऋण राशि को अंशपूजी में समायोजन के कारण होना सूचित किया गया।
4801-05-190.0101.1937- पारेषण प्रणाली का सुद्वढीकरण जायका हेतु अंशपूजी	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,45,30.00	1,45,30.00	43,16.73	(-)1,02,13.27	1,45,30.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन जायका (जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी) से प्राप्त ऋण राशि के नवीन अंशपूजी मद में समायोजन के कारण होना, सूचित किया गया।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	43,43,15,96			
पूरक	40,40,00,01	83,83,15,97	51,83,38,78	(-)31,99,77,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 फरवरी, 15-23-31 मार्च 2018)				31,08,03,00

51,83,38.78 लाख ₹ के कुल व्यय में शीर्ष 2401-800-0801- केन्द्रीय क्षेत्र योजना सामान्य-0908- कृषि संगणना के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2018 को शीर्ष 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा को जमा की गई, 70.00 लाख की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,85			
पूरक	0	13,85	7,74	(-)6,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,11

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	00	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 31,99,77.19 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 40,40,00.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 (40,00.01 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 40,00,00.00 लाख ₹ अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 31,99,77.19 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 23 फरवरी एवं 15-23-31 मार्च 2018 को 31,08,03.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-001.0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)	मूल पुनर्वि.	3,30,38.48 (-)53,15.47	2,77,23.01	2,77,50.98	+27.97	53,15.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 84,40.97 लाख ₹ की कमी (समर्पण 53,15.47 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 31,25.50 लाख ₹) एवं 31,25.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि बिजली एवं जल प्रभार के अन्तर्गत अतिरिक्त मांग होने, कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन, मंहगाई भत्ता, वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-001.0101.3733-राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,25,25.00 (-)35,75.08	89,49.92	89,44.11	(-)5.81	35,75.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 36,10.08 लाख ₹ की कमी (समर्पण 35,75.08 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 35.00 लाख ₹) एवं 35.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि यात्रा भत्ता के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0703.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	50,42.05 (-)29,94.74	20,47.31	15,53.11	(-)4,94.20	29,94.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम राशि रिलीज होने के कारण हुई (20,00.00 लाख ₹)। 9,94.74 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-102.0703.7717- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	17,81.60 (-)13,59.98	4,21.62	3,93.26	(-)28.36	13,59.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम राशि रिलीज होने के कारण हुई (2,67.65 लाख ₹)। 10,92.33 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-102.0702.7501- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	50,42.03 (-)27,77.59	22,64.44	17,70.24	(-)4,94.20	27,77.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई (18,00.00 लाख ₹)। 9,77.59 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-102.0702.7717- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	23,39.34 (-)17,50.77	5,88.57	4,29.47	(-)1,59.10	17,50.77 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई (7,07.46 लाख ₹)। 10,43.31 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-102.0701.7497- मिशन रेनफेड एरिया डेव्लपमेंट	मूल पुनर्वि.	22,70.04 (-)16,90.33	5,79.71	3,52.71	(-)2,27.00	16,90.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से कम राशि रिलीज होने के कारण हुई (13,61.77 लाख ₹)। 3,28.56 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0701.7498-सब मिशन आन फार्म वाटर मैनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	30,81.37 (-)10,16.49	20,64.88	17,56.74	(-)3,08.14	10,16.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0701.7499-सब मिशन स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट	मूल पुनर्वि.	51,00.10 (-)49,14.44	1,85.66	38.16	(-)1,47.50	49,14.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निविदायें प्रक्रियाधीन होने से खरीदी संभव होने से हुई (48,00.44 लाख ₹)। 1,14.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0701.7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल पुनर्वि.	1,80,16.05 (-)40,18.01	1,39,98.04	1,22,73.90	(-)17,24.14	40,18.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से राशि कम रिलीज होने के कारण हुई (30,00.00 लाख ₹)। 10,18.01 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0701.7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	70,15.05 (-)47,58.11	22,56.94	20,45.06	(-)2,11.88	47,58.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से राशि कम रिलीज होने के कारण हुई (4,07.30 लाख ₹)। 43,50.81 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-102.0101.0694-नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	मूल पुनर्वि.	27,24.75 (-)26,44.74	80.01	0.00	(-)80.01	26,44.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्तीय वर्ष के दौरान योजना लागू होने के की स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई (9,93.74 लाख ₹)। 16,51.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-102.0101.5647- कृषकों को कृषि यंत्रों/ सिंचाई यंत्रों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान	मूल पुनर्वि.	25,20.00 (-)11,69.34	13,50.66	13,50.66	0.00	11,69.34 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जिलों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई। (11,00.00 लाख ₹)। 69.34 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-108.0703.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	मूल पुनर्वि.	17,91.61 (-)15,46.25	2,45.36	2,45.36	0.00	15,46.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से राशि कम रिलीज होने के कारण हुई (4,15.61 लाख ₹)। 11,30.64 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-108.0702.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	मूल पुनर्वि.	21,53.17 (-)18,47.57	3,05.60	3,05.60	0.00	18,47.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से राशि कम रिलीज होने के कारण हुई (9,77.89 लाख ₹)। 8,69.68 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-108.0701.7500- नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	मूल पुनर्वि.	42,67.16 (-)24,92.15	17,75.01	17,75.03	+0.02	24,92.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से राशि कम रिलीज होने के कारण हुई (20,50.65 लाख ₹)। 4,41.50 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-109.0701.7494- सबमिशन आन सीड एण्ड प्लानिंग मटेरियल	मूल पुनर्वि.	44,54.99 (-)12,03.04	32,51.95	28,14.45	(-)4,37.50	12,03.04 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से राशि कम रिलीज होने के कारण हुई (4,50.01 लाख ₹)। 7,53.03 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-110.0102.8768- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	4,51,00.00 (-)68,26.82	3,82,73.18	3,82,73.18	0.00	68,26.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये दावों के भुगतान हेतु गणना प्रक्रियाधीन होने से हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-800.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	82,16.65 (-)40,39.54	41,77.11	33,55.45	(-)8,21.66	40,39.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-800.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	71,00.00 (-)14,32.95	56,67.05	49,57.05	(-)7,10.00	14,32.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,57,00.00 (-)28,24.66	1,28,75.34	1,13,05.34	(-)15,70.00	28,24.66 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-800.0101.1941- मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना	पूरक पुनर्वि.	40,00,00.00 (-)22,61,67.17	17,38,32.83	17,38,32.84	+0.01	22,61,67.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये दावों के भुगतान हेतु गणना प्रक्रियाधीन होने से हुई (20,00,00.00 लाख ₹)। 2,61,67.17 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2402-102.0101.3142- भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधान की योजना	मूल पुनर्वि.	64,08.41 (-)11,90.50	52,17.91	52,11.38	(-)6.53	11,90.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 17,08.70 लाख ₹ की कमी (समर्पण 11,90.50 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 5,18.20 लाख ₹) एवं 5,18.20 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः कार्यप्रभारित एवं आकस्मिक कर्मचारियों के लिये वेतन, मकान किराया, महंगाई एवं आकस्मिक भत्तों में अतिरिक्त मांग होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई (5,18.20 लाख ₹)। 11,90.50 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-105.0703.1229- स्वाइल हैल्स कार्य योजना	मूल पुनर्वि.	4,81.63 4,92.74	9,74.37	9,48.82	(-)25.55	4,92.74 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 8,46.34 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,53.60 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,33.30 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 2,20.30 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार द्वारा स्वाइल हैल्थ कार्ड घटक में प्रति नमूना पूर्व प्रावधानित राशि संशोधित करने के कारण हुई। कमी अंशतः भारत सरकार से राशि कम रिलीज होने के कारण हुई (19.60 लाख ₹)। 3,34.00 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-105.0701.1229- स्वाइल हैल्स कार्य योजना	मूल पुनर्वि.	17,57.00 14,63.63	32,20.63	31,71.19	(-)49.44	14,63.63 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 21,87.17 लाख ₹ की वृद्धि एवं 7,23.54 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,74.02 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 3,49.52 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः भारत सरकार द्वारा स्वाइल हैल्थ कार्ड घटक में प्रति नमूना पूर्व प्रावधानित राशि संशोधित किये जाने से हुई। (3,49.52 लाख ₹)। कमी अंशतः भारत सरकार से राशि कम रिलीज होने के कारण हुई (98.41 लाख ₹) क्रमशः 18,37.65 लाख ₹ की शेष वृद्धि एवं 6,25.13 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-109.0103.7438- मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना	मूल पुनर्वि.	6,80.00 92.06	7,72.06	7,62.01	(-)10.05	92.06 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,39.47 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,47.41 लाख ₹ की कमी (समर्पण 56.94 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 90.47 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रशिक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0102.7438- मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना	मूल पुनर्वि.	7,00.00 1,46.95	8,46.95	8,42.06	(-)4.89	1,46.95 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,44.03 लाख ₹ की वृद्धि एवं 97.08 लाख ₹ की कमी (समर्पण 53.05 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 44.03 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रशिक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2401-109.0101.7438- मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना	मूल पुनर्वि.	11,20.00 5,86.20	17,06.20	16,86.61	(-)19.59	5,86.20 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 8,27.28 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,41.08 लाख ₹ की कमी (समर्पण 64.80 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 1,76.28 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रशिक्षण शीर्ष के अन्तर्गत मांग होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन

(मुख्य शीर्ष— 2059-लोक निर्माण कार्य, 2403-पशुपालन, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,52,05,06			
पूरक	29,45,83	9,81,50,89	7,56,17,05	(-)2,25,33,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,23,47,42

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	1,00	(-)9,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				9,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,03,80			
पूरक	80,00	15,83,80	3,07,60	(-)12,76,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,25,93

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 29]45-83 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 2,25,33.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 2,23,47.42 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.1468- जिला एवं संभागीय स्तर	मूल पुनर्वि.	28,65.52 (-3,58.70)	25,06.82	25,06.82	0.00	3,58.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,63.28 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,58.70 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,04.58 लाख ₹) एवं 3,04.58 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः पद रिक्त होने, सेवा निवृत्ति, सातवां वेतनमान लागू होने से मंहगाई भत्ते में कमी, मांग प्राप्त न होने, प्रतीक प्रावधान एवं सेवानिवृत्ति उपरांत व्ही.ए.एस, एस.सी./एस.टी. के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण हुई (3,58.70 लाख ₹), जबकि वृद्धि माह दिसम्बर एवं जनवरी के व्यय अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 3,04.58 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-001.0103.6998- पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	मूल पुनर्वि.	7,16.40 (-7,16.40)	0.00	0.00	0.00	7,16.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।
2403-001.0102.6998- पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	मूल पुनर्वि.	10,75.60 (-10,75.60)	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान 10,75.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।
2403-001.0101.6998- पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	मूल पुनर्वि.	26,88.00 (-26,88.00)	0.00	0.00	0.00	26,88.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई (21,75.68 लाख ₹)। 5,12.32 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0701.0753- ब्रसिलोसिस रोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	3,90.00 (-3,90.00)	0.00	0.00	0.00	3,90.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज राशि अप्राप्त रहने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0701.1458-महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	12,39.71 (-)10,26.25	2,13.46	2,13.46	0.00	10,26.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,39.50 लाख ₹ की कमी (समर्पण 10,26.25 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 13.25 लाख ₹) एवं 13.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त, सेवानिवृत्ति होने, सातवें वेतनमान लागू होने से मंहगाई भत्ते में बचत, मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। वृद्धि जनवरी माह के व्यय अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण हुई।
2403-101.0103.2549-पशु चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	27,16.43 (-)11,20.51	15,95.92	15,95.92	0.00	11,20.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11,68.86 लाख ₹ की कमी (समर्पण 11,30.18 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 38.68 लाख ₹) एवं 48.35 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त, सेवानिवृत्ति होने, सातवें वेतनमान लागू होने से मंहगाई भत्ते में बचत, मांग प्राप्त न होने एवं भारत सरकार से रिलीज राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। वृद्धि दिसम्बर, जनवरी एवं फरवरी माहों के व्यय अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण हुई।
2403-101.0103-5007-पशु औषधालय	मूल पुनर्वि.	21,46.89 (-)6,51.28	14,95.61	14,95.61	0.00	6,51.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,90.93 लाख ₹ की कमी (समर्पण 5,31.47 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,59.46 लाख ₹) एवं 39.65 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त, सेवानिवृत्ति होने, सातवें वेतनमान लागू होने से मंहगाई भत्ते में बचत, मांग प्राप्त न होने एवं आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। वृद्धि दिसम्बर एवं फरवरी माहों के अनुसार हुई।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0102.2549-पशु चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	38,02.94 (-)8,92.38	29,10.56	29,10.56	0.00	8,92.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः पद रिक्त, सेवा निवृत्ति होने, सातवें वेतनमान में मंहगाई भत्ता कम होने एवं ग्रेड-पे समाप्त होने, मांग प्राप्त न होने एवं आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई (6,49.35 लाख ₹)। 2,43.03 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2403-101.0102.5007-पशु औषधालय	मूल पुनर्वि.	30,05.60 (-)4,99.00	25,06.60	25,06.60	0.00	4,99.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,62.66 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,18.81 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,43.85 लाख ₹) एवं 5,63.66 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त, सेवा निवृत्ति होने, सातवें वेतनमान के लागू होने से मंहगाई भत्ते में बचत एवं मांग प्राप्त न होने के कारण हुई (6,18.81 लाख ₹)। 4,43.85 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2403-101.0101.7647-109-चलित पशु कल्याण सेवायें	मूल पुनर्वि.	7,46.00 (-)5,46.31	1,99.69	1,99.69	0.00	5,46.31 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन होने से नवीन निविदायें आमंत्रित नहीं किये जाने के कारण हुई।
2403-102.0701.1930-एफ.एम.डी.सी.पी. कार्यक्रम	पूरक पुनर्वि.	26,68.33 (-)5,17.41	21,50.92	21,50.92	0.00	5,17.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।
2403-102.0103.1108-गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	43,26.73 (-)19,07.51	24,19.22	24,19.22	0.00	19,07.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः पद रिक्त, सेवा निवृत्ति होने, सातवें वेतनमान में मंहगाई भत्ते में कमी होने, मांग प्राप्त न होने, सांकेतिक प्रावधान एवं आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई (12,75.16 लाख ₹)। 6,32.35 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 14-पशुपालन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-102.0102.1108-गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	42,44.80 (-)13,12.63	29,32.17	29,32.17	0.00	13,12.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 13,54.27 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,63.03 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9,91.24 लाख ₹) एवं 41.64 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त, सेवानिवृत्ति होने, सातवें वेतनमान में मंहगाई भत्ते में कमी, मांग प्राप्त न होने, सांकेतिक प्रावधान एवं आहरण कर प्रतिबंध के कारण हुई (3,63.03 लाख ₹), जबकि वृद्धि दिसम्बर एवं फरवरी माहों के व्यय अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 9,91.24 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2403-107.0703.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	4,63.00 (-)4,63.00	0.00	0.00	0.00	4,63.00 लाख ₹ की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
2403-107.0701.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	14,14.01 (-)13,57.16	56.85	56.85	0.00	13,57.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
2403-109.0101.2686-प्रकाशन तथा प्रचार	मूल पुनर्वि.	6,30.00 (-)3,75.50	2,54.50	2,54.50	0.00	3,75.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।
2403-800.0703.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	11,50.00 (-)8,11.40	3,38.60	3,38.60	0.00	8,11.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज राशि अनुसार व्यय उपरांत एवं अवशेष राशि के अप्राप्त रहने के कारण राशि समर्पित की गई।
2403-800.0702.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	14,50.00 (-)4,41.78	10,08.22	10,08.22	0.00	4,41.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज राशि अनुसार व्यय उपरांत एवं अवशेष राशि के अप्राप्त रहने के कारण राशि समर्पित की गई।
2403-800.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	44,00.00 (-)21,84.82	22,15.18	22,15.18	0.00	21,84.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से रिलीज राशि अनुसार व्यय उपरांत एवं अवशेष राशि के अप्राप्त रहने के कारण राशि समर्पित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-106.0701.1928- पशु संजीवनी योजना	पूरक	2,50.00	6,62.32	6,62.32	0.00	4,12.32 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन माह फरवरी के व्यय अनुसार राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
	पुनर्वि.	4,12.32				

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 80-00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) 12,76.20 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 8,25.93 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0103.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल	3,52.00	88.97	0.00	(-)88.97	2,63.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं पशु औषधालयों के उन्नयन न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	(-)2,63.03				
4403-101.0102.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल	2,00.00	52.75	0.00	(-)52.75	1,47.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं पशु औषधालयों के उन्नयन न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	(-)1,47.25				
4403-101.0101.5093- पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	मूल	2,63.00	2,45.22	1,34.36	(-)1,10.86	17.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक आहरण नहीं किये जाने एवं तकनीकी कारणों से कोषालय से आहरण न होने के कारण हुई। अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-)17.78				

अनुदान संख्या 14—पशुपालन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-101.0101.5561- पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	2,34.07 (-)32.34	2,01.73	34.52	(-)1,67.21	32.34 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नवीन पशु औषधालयों की स्थापना एवं पशु औषधालयों के उन्नयन न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-800.0101.6750- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	1,60.00 (-)1,14.37	45.63	45.63	0.00	1,14.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण एजेन्सी द्वारा राशि का उपयोग न करने के कारण हुई।
4403-800.0101.7482- गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	2,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत डी.पी.आर. के शामिल नहीं किये जाने एवं वर्ष 2017-18 के दौरान डी.पी.आर. में उपलब्ध राशि का उपयोग किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या-15 तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से
संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	67,17			
पूरक	0	67,17	52,96	(-)14,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 14.21 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-001.1201.5423- विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम- स्टेट प्रोग्राम	मूल	67.15	67.15	52.96	(-)14.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष— 2405-मछली उद्योग, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	87,48,41			
पूरक	0	87,48,41	65,41,75	(-)22,06,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,00			
पूरक	0	20,00	16,29	(-)3,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 22,06.66 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2405-101.0162- मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल 36,41.10	36,41.10	31,46.59	(-)4,94.51	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (3,68.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। वृद्धि लंबित चिकित्सा तथा यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं सातवें वेतन आयोग के वेतनमान लागू होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0702.0665-नील क्रान्ति (ब्लू रिवोल्यूशन)	मूल	4,26.51	4,26.51	0.00	(-)4,26.51	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2405-101.0701.0665-नील क्रान्ति (ब्लू रिवोल्यूशन)	मूल	12,79.53	12,79.53	10,92.52	(-)1,87.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2405-101.0101.3314-मत्स्य बीज उत्पादन	मूल	6,93.00	6,93.00	5,25.27	(-)1,67.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2405-800.0703.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	1,25.00	1,25.00	7.54	(-)1,17.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2405-800.0702.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	1,60.00	1,60.00	9.80	(-)1,50.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2405-800.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	5,00.00	5,00.00	2,15.55	(-)2,84.45	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (45.75 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अनुमोदन न होने एवं मांग न होने के कारण हुई। वृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अनुमोदित किये जाने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (3) 3.71 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,33,83,20			
पूरक	5,80,00,00	20,13,83,20	17,40,14,40	(-)2,73,68,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,72,26,04			
पूरक	0	1,72,26,04	1,54,71,32	(-)17,54,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में 1,54,71,32,051 ₹ के कुल व्यय में 23.06.2017 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 67,80,00,000 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 2,73,68.80 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया 5,80,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 2,73,68.80 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2425-001.0101.0123- अधीक्षण	मूल	58,56.11	58,56.11	50,15.51	(-)8,40.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2425-001.0101.2294-निदेशन	मूल पुनर्वि.	11,12.84 8.50	11,21.34	7,45.67	(-)3,75.67	8.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,30.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,21.50 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-107.0103.2091-मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	मूल	11,00.00	11,00.00	6,06.13	(-)4,93.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2425-107.0103.9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल	25,20.00	25,20.00	19,67.47	(-)5,52.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2425-107.0102.9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण पर परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	मूल	44,00.00	44,00.00	21,45.95	(-)22,54.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2425-107.0102.9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल	75,60.00	75,60.00	55,82.39	(-)19,77.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2425-107.0101.2091-मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	1,66,45.24	(-)83,54.76	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2425-107.0101.9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,29,20.00 (-37.50)	5,28,82.50	4,17,96.54	(-)1,10,85.96	37.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2425-800.0701.6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल	20,00.00	20,00.00	13,40.11	(-)6,59.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (4) 17,54.72 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4425-107.0910.6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	मूल	25,00.00	25,00.00	21,45.11	(-)3,54.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4425-107.0101.6684-नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूँजी सहायता	मूल	5,00.00	5,00.00	1,19.00	(-)3,81.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6425-106.0101.7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	मूल	8,80.00	8,80.00	0.00	(-)8,80.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 18—श्रम

(मुख्य शीर्ष— 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230-श्रम तथा रोजगार)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,78,72,54			
पूरक	3,41,91	1,82,14,45	1,65,28,25	(-)16,86,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (26 एवं 31 मार्च 2018)				7,70,01

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	00	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (26 मार्च 2018)				1,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 1,07.41 लाख ₹ एवं 2,34.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान क्रमशः जुलाई 2017 एवं नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 16,86.20 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 26 एवं 31 मार्च 2018 को केवल 7,70.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.102.0791- कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	83,52.71 (-)5,40.16	78,12.55	78,08.48	(-)4.07	5,40.16 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत स्वीकृत बजट में से वास्तविक व्यय पश्चात राशि समर्पित किये जाने, फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण के क्रय पर प्रतिबंध होने, भुगतान हेतु देयक लंबित न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—श्रम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.102.2714- प्रशासन	मूल पूरक पुनर्वि.	3,74.22 7.40 (-)53.26	3,28.36	3,27.21	(-)1.15	53.26 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत स्वीकृत बजट में से वास्तविक व्यय पश्चात राशि समर्पित किये जाने कार्यालयीन उपकरण के क्रय पर प्रतिबंध होने, भुगतान हेतु देयक लंबित न होने से हुई।
2230-01.001.4268- श्रम आयुक्त	मूल	4,61.15	4,61.15	3,85.18	(-)75.97	इस शीर्ष में पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (23.72 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी स्वीकृत बजट में से वास्तविक व्यय पश्चात राशि समर्पित किये से हुई जबकि वृद्धि अंशतः श्रम आयुक्त के लंबित चिकित्सा देयक की प्रतिपूर्ति किये जाने, नवीन वेतनमान में 36000 बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने एवं वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के भुगतान किये जाने से हुई (2.22 लाख ₹)। 21.50 लाख ₹ की शेष कमी एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2230-01.101.0712- औद्योगिक न्यायालय	मूल	4,69.85	4,69.85	4,06.95	(-)62.90	इस शीर्ष में पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (21.00 लाख ₹) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि देयकों के भुगतान किये जाने से हुई। कमी के साथ अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2230-01.101.4272- श्रम न्यायालय	मूल	12,08.92	12,08.92	7,90.49	(-)4,18.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2230-01.102.5810- औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	मूल	7,15.05	7,15.05	6,00.07	(-)1,14.98	इस शीर्ष में पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (43.59 लाख ₹) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी स्वीकृत बजट में से वास्तविक व्यय पश्चात राशि समर्पित किये जाने से हुई जबकि वृद्धि नवीन वेतनमान, लंबित चिकित्सा देयकों का भुगतान किये जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	53,72,60,48			
पूरक	25,00,02	53,97,60,50	50,90,51,84	(-)3,07,08,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				67,86

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,01			
पूरक	0	9,01	00	(-)9,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00,00,02			
पूरक	0	3,00,00,02	1,45,89,14	(-)1,54,10,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) इस कार्यालय द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट के विरुद्ध 4,38,50,89,000/- ₹ की समर्पण स्वीकृति क्रमांक 6/बी/2210/2017-18/91 दिनांक 31.03.2018 की दिनांक 01.06.2018 को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण बचत हुई।
- (2) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 25]00-02 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (3) 3,07,08.66 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को मात्र 67.86 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.2283- निदेशन और प्रशासन	मूल	61,96.50	61,96.50	53,15.46	(-)8,81.04	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (7,80.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.110.0103.8798- चिकित्सालयों का उन्नयन	मूल	25,51.83	25,51.83	17,90.59	(-)7,61.24	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (1,00.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-01.110.0101.7892- चिकित्सा गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	18,56.00 (-)4,00.00	14,56.00	13,40.43	(-)1,15.57	4,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-01.110.0102.8798- चिकित्सालयों का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	33,52.00 (-)11,00.00	22,52.00	17,49.62	(-)5,02.38	11,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-01.196.0103.1473- जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	1,49,24.33 10.00	1,49,34.33	1,28,63.11	(-)20,71.22	10.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-01.196.0102.1473- जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	2,18,73.87 (-)68,50.00	1,50,23.87	1,14,75.51	(-)35,48.36	68,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.196.0101.1473- जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	6,26,97.15 (-)14,10.00	6,12,87.15	5,48,15.41	(-)64,71.74	14,10.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 69,03.00 लाख ₹ की कमी एवं 54,93.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-01.800.6105- पेंशनर्स को दवाईयों की सुविधा	मूल	18,05.00	18,05.00	11,75.66	(-)6,29.34	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-03.103.0102.2777- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	1,71,49.38 1.20	1,71,50.58	1,34,08.41	(-)37,42.17	1.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,26.20 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5,25.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-03.103.0101.2777- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	5,13,58.54 3,98.15	5,17,56.69	4,46,01.91	(-)71,54.78	3,98.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 74,32.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 70,33.85 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-03.103.0101.7317- ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	मूल	26,06.85	26,06.85	17,90.48	(-)8,16.37	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (1,00.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-03.197.0102.5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मूल	10,50.00	10,50.00	5,33.82	(-)5,16.18	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-03.197.0101.5998- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	मूल	27,68.72	27,68.72	21,39.79	(-)6,28.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-06.196.0102.4245- मलेरिया	मूल	32,05.90	32,05.90	19,82.51	(-)12,23.39	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-06.196.0101.4245- मलेरिया	मूल पुनर्वि.	1,10,94.19 1,00.00	1,11,94.19	94,08.34	(-)17,85.85	1,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,10.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,10.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2211-196.0803.1508- जिला स्तरीय अमला	मूल	8,26.23	8,26.23	1,47.44	(-)6,78.79	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (2,94.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2211-198.0803.0621- अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	मूल	56,56.33	56,56.33	2,63.71	(-)53,92.62	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (17,00.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अक्टूबर 2018)।
2211-198.0802.0621- अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	मूल	74,27.22	74,27.22	32,59.55	(-)41,67.67	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (8,00.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अक्टूबर 2018)।

- (5) उपरोक्त टिप्पणी (4) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0703.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल	3,51,32.49	3,51,32.49	4,23,54.48	+72,21.99	व्यय आधिक्य विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण हुआ। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-01.110.0702.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल	5,48,94.52	5,48,94.52	5,74,67.51	+25,72.99	व्यय आधिक्य विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण हुआ। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-01.110.0701.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल	12,95,51.05	12,95,51.05	13,74,31.04	+78,79.99	व्यय आधिक्य विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण हुआ। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0101.7880- उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना	मूल	9,51.00	9,51.00	15,77.30	+6,26.30	व्यय आधिक्य विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण हुआ। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-03.103.0103.5868- राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष	मूल	19,50.00	19,50.00	34,46.67	+14,96.67	व्यय आधिक्य विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण हुआ। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-03.103.0102.5868- राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष	मूल	13,00.00	13,00.00	17,97.92	+4,97.92	व्यय आधिक्य विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण हुआ। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-03.103.0101.5868- राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष	मूल पूरक पुनर्वि.	32,50.00 25,00.00 4,00.00	61,50.00	64,88.52	+3,38.52	4,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के विषिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-05.105.0101.2502- परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	15,70.00 4,00.00	19,70.00	19,04.18	(-)65.82	4,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 7,05.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,05.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2211-198.0801.0621- उप स्वास्थ्य केन्द्र	मूल पुनर्वि.	2,46,25.33 35,50.00	2,81,75.33	2,78,37.58	(-)3,37.75	35,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 54,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 18,50.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के विषिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

प्रभारित

(5) 9.01 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(6) 1,54,10.88 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.110.0102.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-)16,43.00	73,57.00	12,51.77	(-)61,05.23	16,43.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-02.104.1402.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण ¼नाबार्ड½	मूल पुनर्वि.	13,20.01 (-)3,77.00	9,43.01	1,29.88	(-)8,13.13	3,77.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-02.104.1401.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण ¼नाबार्ड½	मूल पुनर्वि.	42,24.00 (-)18,83.00	23,41.00	7,78.80	(-)15,62.20	18,83.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-02.104.0102.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	21,25.00 (-)8,43.00	12,82.00	7,38.00	(-)5,44.00	8,43.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-02.104.0101.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल	51,00.00	51,00.00	20,67.30	(-)30,32.70	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.110.0103.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	21,50.00 16,43.00	37,93.00	23,37.94	(-)14,55.06	16,43.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-01.110.0101.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल	20,00.00	20,00.00	26,10.36	+6,10.36	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-02.104.1403.6882- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण ¼नाबार्ड½	मूल पुनर्वि.	10,56.00 22,60.00	33,16.00	14,30.21	(-)18,85.79	22,60.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-02.104.0103.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	12,75.00 8,43.00	21,18.00	17,65.89	(-)3,52.11	8,43.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष- 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:
दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,80,05,68			
पूरक	सांकेतिक	7,80,05,68	5,91,90,76	(-)1,88,14,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,30,86,21

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	0	1,00,00	60,89	(-)39,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:
दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	23,98,23,35			
पूरक	0	23,98,23,35	17,31,14,80	(-)6,67,08,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,03,18,99

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में izklr fd;k x;k lkadsfrd vuqknk अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 1,88,14.92 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 1,30,86.21 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-निदेशन	मूल पुनर्वि.	40,65.72 (-)10,12.50	30,53.22	28,70.35	(-)1,82.87	10,12.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,30.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी एवं 17.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि नवीन वाहन क्रय करने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.001.2714-प्रशासन	मूल पुनर्वि.	1,72,74.86 (-)45,72.46	1,27,02.40	1,27,36.85	+34.45	45,72.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 45,73.16 लाख ₹ (समर्पण 31,42.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 14,31.16 लाख ₹) की कमी एवं 0.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः बचत संभावित होने के कारण हुई (14,30.46 लाख ₹)। 31,42.70 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.101.0102.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	15,64.03 (-)8,05.00	7,59.03	5,78.29	(-)1,80.74	8,05.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,56.25 लाख ₹ (समर्पण 6,05.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,51.25 लाख ₹) की कमी एवं 1,51.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.101.0101.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	47,14.03 (-)3,31.50	43,82.53	42,13.39	(-)1,69.14	3,31.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,31.50 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी एवं 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.102.0703.2219- नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	5,28.00 (-)2,51.86	2,76.14	2,26.10	(-)50.04	2,51.86 लाख ₹ (समर्पण 1,72.86 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 79.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण हुई (79.00 लाख ₹)। 1,72.86 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.102.0702.2219- नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	8,15.00 (-)3,73.78	4,41.22	3,90.45	(-)50.77	3,73.78 लाख ₹ (समर्पण 2,53.78 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,20.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति कम होने के कारण हुई (1,20.00 लाख ₹)। 2,53.78 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.102.0702.8415- ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण	मूल पुनर्वि.	6,10.00 (-)3,28.18	2,81.82	2,31.25	(-)50.57	3,28.18 लाख ₹ (समर्पण 2,38.18 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 90.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति कम होने के कारण हुई (90.00 लाख ₹)। 2,38.18 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.102.0103.1194- ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	मूल पुनर्वि.	10,20.00 (-)3,17.00	7,03.00	6,03.41	(-)99.59	3,17.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.102.0102.1194- ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	मूल पुनर्वि.	19,60.00 (-)8,55.00	11,05.00	10,03.98	(-)1,01.02	8,55.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.102.0102.2219- नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	59,82.39 (-)25,00.00	34,82.39	17,57.60	(-)17,24.79	25,00.00 लाख ₹ (समर्पण 13,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 12,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.102.0101.1194- ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	मूल पुनर्वि.	1,50,55.00 (-)23,45.00	1,27,10.00	1,22,69.08	(-)4,40.92	23,45.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.192.0420.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)5,00.00	0.00	0.00	0.00	5,00.00 लाख ₹ (समर्पण 3,50.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,50.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य की प्रगति कम होने के कारण हुई (1,50.00 लाख ₹)। 3,50.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-02.107.1249- प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	37,20.81 (-)10,17.50	27,03.31	20,50.10	(-)6,53.21	10,17.50 लाख ₹ (समर्पण 10,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 17.50 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः बचत अपेक्षित होने के कारण हुई (17.50 लाख ₹)। 10,00.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय अंशतः द्वारा प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.102.0102.2658- पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	2,00.00 2,10.00	4,10.00	3,39.05	(-)70.95	2,10.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.191.0103.2658- पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 1,36.00	2,36.00	1,91.00	(-)45.00	1,36.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ।
2215-01.192.0101.2658- पेंचव्हेली जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	5,00.00 1,50.00	6,50.00	6,30.95	(-)19.05	1,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(5) उचंत लेन देन:-
इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2017-18 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है।
"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं, यथा:-
(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।
प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-
(1) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उपशीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।
(2) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामें शेष दर्शायेगा।
(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।
(4) कार्यशाला उचंत-किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।
वर्ष 2017-18 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उपशीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विविरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष नामे + tek (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंत शेष नामे + tek (-)
2215—जल पूर्ति तथा सफाई	(लाख ₹ में)			
(i) क्रय	(-)44,10.17	0.00	0.00	(-)44,10.17
(ii) भण्डार	+ 9,43.73	0.00	0.00	+ 9,43.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2,03,09.20	0.00	0.00	+ 2,03,09.20
योग	+ 1,68,42.76	0.00	0.00	+ 1,68,42.76

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

प्रभारित

- (6) 39.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (7) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-निदेशन	मूल	1,00.00	1,00.00	60.89	(-)39.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (8) 6,67,08.55 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 6,03,18.99 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
 (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.001.1854- ड्रलिंग रिंग्स का ऑपरेशन/ वर्कशाप/ एयर कम्प्रेसन	मूल पुनर्वि.	50,83.28 (-)4,50.00	46,33.28	38,78.76	(-)7,54.52	4,50.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0703.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	24,20.00 (-)8,95.00	15,25.00	13,86.57	(-)1,38.43	8,95.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0703-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	13,00.00 (-)10,18.74	2,81.26	1,81.21	(-)1,00.05	10,18.74 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0702.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	32,80.00 (-)11,43.00	21,37.00	19,27.46	(-)2,09.54	11,43.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0702.4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	24,72.00 (-)18,40.00	6,32.00	4,31.70	(-)2,00.30	18,40.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0702.6032- भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	6,55.00 (-)5,91.85	63.15	53.15	(-)10.00	5,91.85 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0702.7162- ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	3,25.00 (-)3,13.00	12.00	7.00	(-)5.00	3,13.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0702.7233- इयरमार्क जल गुणवत्ता कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-)6,00.00	0.00	0.00	0.00	6,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0702.9029- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई.एफ.)	मूल पुनर्वि.	35,98.00 (-)35,98.00	0.00	0.00	0.00	35,98.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0701.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	63,00.00 (-)14,50.00	48,50.00	48,42.13	(-)7.87	14,50.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0701.4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	27,28.00 (-)16,64.00	10,64.00	10,21.14	(-)42.86	16,64.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0423.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	1,02,00.00 (-)1,02,00.00	0.00	0.00	0.00	1,02,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0422.7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	मूल पुनर्वि.	1,53,00.00 (-)1,53,00.00	0.00	0.00	0.00	1,53,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0103.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)24,60.00	25,40.00	21,32.88	(-)4,07.12	24,60.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.102.0102.2580- पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	60,00.00 (-)26,50.00	33,50.00	30,14.56	(-)3,35.44	26,50.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0101.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	4,90,00.00 (-1,81,40.00)	3,08,60.00	2,96,08.17	(-)12,51.83	1,81,40.00 लाख ₹ (समर्पण 31,40.00 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 1,50,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.800.1403.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-14,97.11)	85,02.89	84,02.89	(-)1,00.00	14,97.11 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.800.1402.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-14,23.73)	85,76.27	84,76.27	(-)1,00.00	14,23.73 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4215-01.800.1401.7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	3,52,87.00 (-35,26.12)	3,17,60.88	3,16,60.88	(-)1,00.00	35,26.12 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.800.0701.6032-भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	7,20.00 (-5,48.72)	1,71.28	1,63.76	(-)7.52	5,48.72 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0101.4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	70,80.00 1,36,54.00	2,07,34.00	1,98,64.93	(-)8,69.07	1,36,54.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,50,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 13,46.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी के कारण हुआ। कमी तथा वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2053-जिला प्रशासन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	84,12,01			
पूरक	2,50,00	86,62,01	42,98,04	(-)43,63,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				42,83,91

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,00,00			
पूरक	0	15,00,00	4,69,06	(-)10,30,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,44,52

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 2]50-00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 43,63.97 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 42,83.91 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.1201.7628- सभी परियोजनाओं में सेवा का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)20,00.00	5,00.00	5,00.00	0.00	20,00.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत विश्व बैंक से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इन शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-800.7047- लोक सेवा केन्द्रों को अनुदान	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)5,20.00	4,80.00	4,80.00	0.00	5,20.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित संख्या प्राप्त होने से व्ही.जी.एफ. राशि में बचत होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.7364- जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी को अनुदान	मूल पुनर्वि.	11,00.00 (-)9,50.00	1,50.00	1,50.00	0.00	9,50.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत लोक सेवा केन्द्रों के अलावा एम.पी. ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों के कारण आवंटन राशि की बचत होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.9079- मध्यप्रदेश लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,60.00 (-)2,35.00	25.00	25.00	0.00	2,35.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं मितव्ययि उपाय बरतने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-800.0701.9039- ई-डिस्ट्रिक्ट योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)1,00.00	0.00	0.00	0.00	1,00.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत (सम्पूर्ण प्रावधान) भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने से हुई।
2053-800.0101.5722- कॉल सेन्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	23,00.00 (-)3,82.50	19,17.50	19,17.50	0.00	3,82.50 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत व्यय के परीणामस्वरूप अपेक्षित बचत होने से हुई।

पूँजीगत:

- (4) 10,30.94 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 8,44.52 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)8,44.52	6,55.48	4,69.06	(-)1,86.42	8,44.52 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा राशि व्यय न करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2217-शहरी विकास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	34,42,76,61			
पूरक	16,08,05,01	50,50,81,62	45,25,18,30	(-)5,25,63,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				11,95,10

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	00	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,18,87,46			
पूरक	8,28,23,00	15,47,10,46	6,52,75,72	(-)8,94,34,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,57,28

पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में राशि 6,52,75,71,573 ₹ के कुल व्यय में 10.04.2017 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से शीर्ष 6217-60-800-0101-1935 में व्यय की गई राशि 50,00,00,000 ₹ सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान शीर्ष 6217-60-800-0101-1935 में की जा चुकी है।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00,00			
पूरक	0	10,00,00	00	(-)10,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				10,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 5,25,63.32 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया 5,59,05.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 10,49,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 5,25,63.32 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 11,95.10 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.6720- कार्यालय भवनों का रख-रखाव व मरम्मत	मूल पुनर्वि.	20,10.00 (-)7,22.27	12,87.73	10,66.80	(-)2,20.93	7,22.27 लाख ₹ (समर्पण 1,22.27 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.001.2020- नगर एवं ग्राम निवेश	मूल पुनर्वि.	25,45.27 (-)7,06.62	18,38.65	18,37.89	(-)0.76	7,06.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,81.82 लाख ₹ (समर्पण 7,06.62 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 75.20 लाख ₹) की कमी तथा 75.20 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सातवा वेतनमान लागू होने से डी.ए.की दर कम होने एवं ग्रेड-पे समाप्त किये जाने, उपकरणों का क्रय नहीं किये जाने एवं अपेक्षित व्यय नहीं होने के कारण हुई (75.20 लाख ₹)। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने, सातवां वेतनमान में वृद्धि होने एवं संविदा वेतन में बढ़ोतरी के कारण हुई। 7,06.62 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.191.0703.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल	40,00.00	40,00.00	6,92.91	(-)33,07.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0702.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल	15,00.00	15,00.00	67.00	(-)14,33.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0701.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	मूल	50,00.00	50,00.00	19,07.00	(-)30,93.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.800.1201.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	20,00.01	20,00.01	5,26.00	(-)14,74.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0703.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	51,59.38	(-)1,48,40.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.800.0702.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	22,39.74	(-)77,60.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.800.0701.7705- स्मार्ट सिटी	मूल पुनर्वि.	7,00,00.00 (-)1,52,45.46	5,47,54.54	3,84,00.00	(-)1,63,54.54	1,52,45.46 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.800.0701.7706- स्वच्छ भारत अभियान	मूल	3,00,00.00	3,00,00.00	1,84,52.50	(-)1,15,47.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.800.0101.2045- शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	17,00.00 (-)7,00.00	10,00.00	2,00.57	(-)7,99.43	7,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.800.0101.5726- म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष	मूल	8,00.00	8,00.00	0.00	(-)8,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0101.7039- शहरी सुधार कार्यक्रम	मूल	10,00.02	10,00.02	6,38.47	(-)3,61.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2217-05.800.0101.7704- डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड	मूल	36,59.00	36,59.00	17,32.00	(-)19,27.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.800.9083- षौर्य स्मारक का संचालन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	25.08 (-)10.97	14.11	1,72.74	+1,58.63	10.97 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। विभाग से समर्पण स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण आधिक्य परिलक्षित हुआ, उक्त समर्पण स्वीकृति को अमान्य कर दिया गया है।
2216-05.053.6218- भवनों की मरम्मत	मूल पुनर्वि.	2,50.01 (-)7.74	2,42.27	3,20.42	+78.15	7.74 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। विभाग से समर्पण स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण आधिक्य परिलक्षित हुआ, उक्त समर्पण स्वीकृति को अमान्य कर दिया गया है।
2217-05.800.0703.1237- हाउसिंग फॉर ऑल	मूल	5,00,00.00	5,00,00.00	6,53,00.00	+1,53,00.00	विभाग से समर्पण स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के कारण आधिक्य परिलक्षित हुआ, उक्त समर्पण स्वीकृति को अमान्य कर दिया गया है।
2217-05.800.0702.1237- हाउसिंग फॉर ऑल	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	1,65,00.00	+65,00.00	विभाग से देरी से प्राप्त समर्पण स्वीकृति, जिसे अमान्य कर दिया गया है, के कारण आधिक्य परिलक्षित हुआ।
2217-05.800.0701.1237- हाउसिंग फॉर ऑल	मूल पूरक	4,00,00.00 16,08,00.00	20,08,00.00	20,66,99.70	+58,99.70	विभाग से देरी से प्राप्त समर्पण स्वीकृति, जिसे अमान्य कर दिया गया है, के कारण आधिक्य परिलक्षित हुआ।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0701.1238- अटल मिशन फार रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	मूल पुनर्वि.	4,20,00.00 1,52,45.46	5,72,45.46	4,60,29.18	(-)1,12,16.28	1,52,45.46 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आर्वाधन भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है।
2217-05.800.0101.1263- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 7,00.00	7,00.00	7,00.00	0.00	7,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आर्वाधन योजनान्तर्गत डूडा/सूडा में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति होने के कारण स्थापना व्यय हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।
3054-04.337.7320- राजधानी में सड़कों का विकास	मूल	19,55.00	19,55.00	21,29.62	+1,74.62	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 (8,28,23.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (सांकेतिक) में प्राप्त fd;k x;k 8]28]23-00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) 8,94,34.75 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 2,57.28 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4216-01.700.6989- विधान सभा भवन एवं विधायक विश्राम गृह की मरम्मत	मूल पुनर्वि.	3,50.00 (-)2,18.00	1,32.00	90.48	(-)41.52	2,18.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4217-01.051.0101.0284- अरिहायशी भवन	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-)5,16.87	2,83.13	2,83.13	0.00	5,16.87 लाख ₹ (समर्पण 16.87 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः विन्ध्याचल भवन में लॉ विभाग के कार्यों में बचत होने के कारण हुई (5,00.00 लाख ₹)। 16.87 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.051.0101.4339-सड़कें और पुल	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)6,85.61	28,14.39	27,99.03	(-)15.36	6,85.61 लाख ₹ (समर्पण 17.61 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,68.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः कुछ कार्यों की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण हुई (6,68.00 लाख ₹)। 17.61 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4217-01.051-0101.7715-नवीन विधायक विश्राम गृह निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)5,00.00	0.00	0.00	0.00	5,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति शासन से अप्राप्त रहने के कारण हुई।
4217-03.190.0701.7705-स्मार्ट सिटी	मूल	7,00,00.00	7,00,00.00	2,04,00.00	(-)4,96,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4217-60.800.1203.7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	75,00.00	75,00.00	16,09.25	(-)58,90.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4217-60.800.1202.7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	25,00.00	25,00.00	5,36.75	(-)19,63.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4217-60.800.1201.7336-एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	10,00.00	10,00.00	5,68.00	(-)4,32.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-60.800.1201.7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल	50,00.00	50,00.00	21,00.00	(-)29,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4217-60.800.0103.7711-एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल	40,00.00	40,00.00	0.00	(-)40,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं पर्यावरण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6217-60.800.1201.1262- म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (के एफ डब्ल्यू)	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
6217-60.800.1201.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	2,70,00.00	2,70,00.00	58,28.60	(-)2,11,71.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6217-60.800.1201.7711- एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट	मूल	70,00.00	70,00.00	49,00.00	(-)21,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.050.0101.7218- मंत्रालय का विस्तार	मूल पूरक पुनर्वि.	1,00,00.00 76,91.00 16,68.00	1,93,59.00	1,93,59.00	0.00	16,68.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन मंत्रालय विस्तार के कार्य को पूर्ण करने के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

प्रभारित

- (9) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.050.0101.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00	0.00	10,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

(मुख्य शीर्ष- 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2705-कमान क्षेत्र का विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,62,33,26			
पूरक	0	10,62,33,26	8,21,13,52	(-)2,41,19,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,77,04,75

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,30			
पूरक	0	10,30	00	(-)10,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				10,30

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	63,03,96,45			
पूरक	6	63,03,96,51	52,51,90,68	(-)10,52,05,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				9,97,69,21

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,10,00			
पूरक	0	1,10,00	92,04	(-)17,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				15,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 2,41,19.74 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 1,77,04.75 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-11.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	44,00.20 (-)7,11.75	36,88.45	38,69.87	+1,81.42	समर्पण के रूप में 7,11.75 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2700-13.101.0102.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	6,98.22 (-)43.73	6,54.49	4,90.01	(-)1,64.48	समर्पण के रूप में 43.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2700-15.101.0102.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	3,55.06 (-)1,77.81	1,77.25	1,39.18	(-)38.07	समर्पण के रूप में 1,77.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-17.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	10,08.03 (-)2,50.42	7,57.61	6,48.83	(-)1,08.78	समर्पण के रूप में 2,50.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2700-27.101.1573- सुक्ता परियोजना	मूल पुनर्वि.	10,00.87 (-)2,09.39	7,91.48	1,33.64	(-)6,57.84	2,09.39 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 2,29.39 लाख ₹ की कमी एवं 20.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। वृद्धि दैनिक वेतन भोगी एवं कार्य भारित/आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2700-80.005.0101.9957- कार्यपालिक स्थापना (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण)	मूल पुनर्वि.	22,77.26 (-)2,83.76	19,93.50	18,79.52	(-)1,13.98	समर्पण के रूप में 2,83.76 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2701-80.001.0275- अबियाना स्थापना	मूल पुनर्वि.	43,26.47 (-)22,73.96	20,52.51	27,85.94	+7,33.43	22,73.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने एवं वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2701-80.001.0101.0814- कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	मूल पुनर्वि.	18,67.76 (-)2,86.68	15,81.08	14,22.02	(-)1,59.06	समर्पण के रूप में 2,86.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.001.0101.0815- कार्यपालिक स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,18,90.63 (-)58,90.16	3,60,00.47	3,28,48.54	(-)31,51.93	58,90.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 68,90.16 लाख ₹ की कमी (समर्पण 58,90.16 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10,00.00 लाख ₹) 10,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई (58,90.16 लाख ₹), जबकि वृद्धि कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण हुई। 10,00.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के विशिष्ट कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.001.0101.3300- मण्डल स्थापना	मूल पुनर्वि.	50,36.49 (-)14,38.92	35,97.57	31,78.45	(-)4,19.12	समर्पण के रूप में 14,38.92 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.001.0101.3556- मुख्यालय स्थापना यूनिट-एक	मूल	90,22.58	90,22.58	72,93.02	(-)17,29.56	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (1.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि कर्मचारियों को वेतन भुगतान के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.052.0101.0693- औजार और संयंत्र	मूल पुनर्वि.	48,25.28 (-)8,49.28	39,76.00	34,67.32	(-)5,08.68	समर्पण के रूप में 8,49.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.800.0103.2250- नहरें तथा तालाब	मूल पुनर्वि.	3,32.00 (-)3,13.50	18.50	11.00	(-)7.50	समर्पण के रूप में 3,13.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2701-80.800.0102.2250- नहरें तथा तालाब	मूल पुनर्वि.	31,13.51 (-)4,15.16	26,98.35	22,29.22	(-)4,69.13	समर्पण के रूप में 4,15.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2701-80.800.0101.2250- नहरें तथा तालाब	मूल पुनर्वि.	93,40.54 (-)6,84.59	86,55.95	74,03.21	(-)12,52.74	समर्पण के रूप में 6,84.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2705-800.0701.3701- राज्य स्तर पर आयाकट सैल	मूल पुनर्वि.	7,53.06 (-)4,15.35	3,37.71	3,33.94	(-)3.77	4,15.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,19.35 लाख ₹ की कमी (समर्पण 4,13.85 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.50 लाख ₹) एवं 4.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पर्याप्त अमला न होने एवं पद-रिक्त होने के कारण हुई। वृद्धि सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था कार्य हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-13.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	20,94.64 (-3,21.11)	17,73.53	28,14.18	+10,40.65	समर्पण के रूप में 3,21.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2700-19.101.0101.2894- बांध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	3,56.11 (-99.87)	2,56.24	5,16.74	+2,60.50	समर्पण के रूप में 99.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2701-80.800.0101.6360- निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	2,69.00 (-1,34.00)	1,35.00	3,26.15	+1,91.15	समर्पण के रूप में 1,34.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(4) उचंत लेन-देन:-

“उचंत” के इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2017-18 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया है। अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंत शेष नामे + जमा(-)
2701-मध्यम सिंचाई		(लाख ₹ में)		
(i) क्रय	(-)23,09.78	0.00	0.00	(-)23,09.78
(ii) भण्डार	+ 3,75.27	0.00	0.00	+3,75.27
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 38,33.55	0.00	11.90	+38,21.65
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 6,64.04	0.00	0.00	+6,64.04
योग	+ 25,63.08	0.00	11.90	+25,51.18

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

प्रभारित

(5) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.800.5837- भवनों का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	10.00 (-)10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में 10.00 लाख ₹ के संपूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय को नियंत्रित किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 (0.01 लाख ₹), नवम्बर 2017 (0.04 लाख ₹) एवं मार्च 2018 (सांकेतिक) **esa izklr fd;k x;k 0-06** लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) 10,52,05.83 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 9,97,69.21 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-18.800.1401.6596- सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)37,00.00	63,00.00	63,00.00	0.00	37,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 40,00.00 लाख ₹ की कमी एवं 3,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई।
4700-22.800.0701.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	20,23.81 (-)7,50.00	12,73.81	8,95.21	(-)3,78.60	7,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,60.00 लाख ₹ की कमी एवं 1,10.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा पूँजीगत व्यय की सीमा निर्धारित करने, निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। वृद्धि दैनिक वेतन भोगी / स्थाई कर्मचारियों के वेतन / मजदूरी भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-27.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,30,00.00 (-)13,00.00	1,17,00.00	1,16,97.23	(-)2.77	13,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई।
4700-35.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)74,86.00	14.00	12.74	(-)1.26	74,86.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ न होने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4700-39.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)99,86.00	14.00	12.46	(-)1.54	99,86.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ न होने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4700-50.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)25,00.00	0.00	0.00	0.00	25,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।
4700-63.800.1401.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	2,25,45.04 (-)93,65.00	1,31,80.04	1,30,75.08	(-)1,04.96	93,65.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,16,05.00 लाख ₹ की कमी (समर्पण 4,65.00 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 1,11,40.00 लाख ₹) एवं 22,40.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। वृद्धि निर्माण कार्य एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-69.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,10,00.00 (-)96,98.00	13,02.00	13,00.77	(-)1.23	96,98.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने एवं वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत(-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-83.800.1401.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	8,00,00.00 (-)5,12,71.00	2,87,29.00	2,86,69.89	(-)59.11	5,12,71.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने एवं वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-84.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	7,50,00.00 (-)4,92,90.00	2,57,10.00	2,56,95.32	(-)14.68	4,92,90.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने एवं वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4700-86.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)80,00.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान 80,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने एवं परियोजना के निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने के कारण हुई।
4701-10.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)16,86.00	18,14.00	18,12.92	(-)1.08	16,86.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4701-25.800.0702.3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	51,88.50 (-)20,80.00	31,08.50	30,77.55	(-)30.95	समर्पण के रूप में 20,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-48.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)58,74.00	21,26.00	21,24.51	(-)1.49	समर्पण के रूप में 58,74.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-54.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	45,10.00 (-)10,65.00	34,45.00	34,33.90	(-)11.10	समर्पण के रूप में 10,65.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-60.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)58,61.00	41,39.00	41,37.44	(-)1.56	58,61.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4701-61.800.1401.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)26,73.00	8,27.00	8,29.46	+2.46	26,73.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4701-76.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)74,90.00	10.00	8.87	(-)1.13	74,90.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने, परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ न होने एवं वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं के कारण हुई।
4701-78.800.1401.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)13,80.00	6,20.00	6,18.44	(-)1.56	13,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.0638- हिरन मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)74,85.00	15.00	13.35	(-)1.65	74,85.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.0639- जूड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)49,54.00	46.00	44.19	(-)1.81	49,54.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.0641- साजली मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-)67,59.00	22,41.00	21,51.22	(-)89.78	67,59.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने, कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने एवं निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.0643- बधराजी नहर परियोजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)20,00.00	0.00	0.00	0.00	20,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत परियोजना के निर्माण कार्य के प्रारंभ न होने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने एवं कारण हुई।
4701-80.800.0101.0670- टेम मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)48,51.00	51,49.00	51,47.00	(-)2.00	48,51.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.3368- मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,57,10.00 (-)74,50.00	82,60.00	82,38.60	(-)21.40	74,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने एवं वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-89.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)15,44.00	19,56.00	19,54.26	(-)1.74	15,44.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने एवं वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-95.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)35,03.00	14,97.00	14,95.64	(-)1.36	समर्पण के रूप में 35,03.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-97.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-)1,09,95.00	40,05.00	40,03.04	(-)1.96	1,09,95.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।
4701-98.800.0102.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)54,95.00	25,05.00	25,03.36	(-)1.64	54,95.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने से निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4702-800.0702-6708- ए.आई.बी.पी. योजनाएं	मूल पुनर्वि.	65,00.00 (-)21,75.00	43,25.00	43,04.12	(-)20.88	समर्पण के रूप में 21,75.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4702-800.0102.6079- सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना ¼आर.आर. आर.½	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)22,19.00	12,81.00	12,74.79	(-)6.21	समर्पण के रूप में 22,19.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई।
4705-204.0701.2823- फील्ड चैनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)12,00.00	38,00.00	36,95.00	(-)1,05.00	समर्पण के रूप में 12,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त कार्य अवधि एवं जल उपभोक्ता संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा रुचि न लेने के कारण हुई।
4705-212.0701.2823- फील्ड चैनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	43,00.00 (-)13,68.02	29,31.98	29,31.98	0.00	समर्पण के रूप में 13,68.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कृषको द्वारा अंश राशि जमा न करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग न लेने के कारण हुई।
4705-213.0701.2823- फील्ड चैनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)12,00.00	13,00.00	13,00.00	0.00	समर्पण के रूप में 12,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कृषको द्वारा अंश राशि जमा न करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग न लेने के कारण हुई।
4705-222.0701.2823- फील्ड चैनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी, ड्रेन एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)11,60.00	3,40.00	3,40.00	0.00	समर्पण के रूप में 11,60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कृषको द्वारा अंश राशि जमा न करने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग न लेने के कारण हुई।
4705-800.0701.6648- वृहद एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चैनल्स का निर्माण, करेक्शन ऑफ सिस्टम डिफिशियेंसी	मूल पुनर्वि.	32,88.00 (-)17,08.15	15,79.85	16,84.85	+1,05.00	समर्पण के रूप में 17,08.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत फील्ड चैनल्स का निर्माण हेतु पर्याप्त कार्य अवधि एवं जल उपभोक्ता संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा रुचि न लेने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 45,00.00	45,00.00	45,00.00	0.00	45,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 45,10.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 10.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भू-अर्जन एवं प्रारंभिक कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने से भुगतान पूर्ण होने के उपरांत अल्प बचत के कारण हुई।
4700-13.800.0703.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,20,00.00 (-),1,50.00	1,18,50.00	1,44,02.73	+25,52.73	समर्पण के रूप में 1,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-13.800.0701.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,60,16.87 1,40,50.00	3,00,66.87	2,75,35.04	(-)25,31.83	1,40,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,54,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 13,50.00 लाख ₹ की कमी ¼समर्पण 12,50.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,00.00 लाख ₹ $\frac{1}{2}$ का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों, भू-अर्जन एवं दैनिक वेतन भोगी तथा स्थायी कर्मचारियों को वेतन एवं मजदूरी के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-19.800.0101.6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना	मूल पुनर्वि.	1,25,00.00 1,36,05.00	2,61,05.00	2,61,01.06	(-)3.94	1,36,05.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,53,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 16,95.00 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4700-21.800.0701.6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्नस्थापना	मूल पुनर्वि.	2,50.00 7,74.00	10,24.00	9,22.03	(-)1,01.97	7,74.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 14,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6,26.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने एवं निर्माण कार्य की प्रगति अपेक्षानुरूप न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-56.800.0101.2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	20,00.00 1,15,00.00	1,35,00.00	1,29,03.40	(-)5,96.60	1,15,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,10,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 95,00.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य एवं भू-अर्जन के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-67.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	25,00.00 8,83.00	33,83.00	33,81.90	(-)1.10	8,83.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 10,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,17.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4700-68.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 5,09,96.00	6,09,96.00	6,09,97.87	+1.87	5,09,96.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,60,25.00 लाख ₹ एवं 50,29.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भू-अर्जन हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4700-70.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	3,00,00.00 2,48,87.00	5,48,87.00	5,47,61.32	(-)1,25.68	2,48,87.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,49,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 13.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों एवं भू-अर्जन के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी आवश्यकता से अधिक प्रावधान होने से भुगतान पूर्ण होने के उपरान्त अल्प बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-43.800.0701.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	2,00.00 3,51.00	5,51.00	5,49.96	(-)1.04	3,51.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 49.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु राशि के आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-80.800.1401.6598- दतुनी मध्यम सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	10,00.00 9,50.00	19,50.00	19,48.36	(-)1.64	9,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
4701-80.800.0701.5584- सिंहपुर बैराज	मूल पुनर्वि.	10,00.00 4,83.00	14,83.00	15,67.86	+84.86	4,83.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 67.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों एवं भू-अर्जन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-80.800.0102.1910- डिंडोरी मध्यम सिंचाई परियोजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 90,00.00	90,00.00	90,00.00	0.00	90,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन परियोजना के भू-अर्जन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
4701-80.800.0101.1905- कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 48,06.00	48,06.00	48,04.95	(-)1.05	48,06.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 50,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,94.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि परियोजना के भू-अर्जन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.1906- कडान मध्यम सिंचाई परियोजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 50,04.00	50,04.00	50,02.86	(-)1.14	50,04.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 56,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5,96.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि परियोजना के भू-अर्जन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.1907- सतधारू मध्यम सिंचाई परियोजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,20,50.00	1,20,50.00	1,20,50.00	0.00	1,20,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन, परियोजना के भू-अर्जन एवं वन विभाग को भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
4701-80.800.0101.5587- घोघरा मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 2,34.00	3,34.00	3,32.40	(-)1.60	2,34.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,66.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि परियोजना के संबंधित निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.5588- बघरू मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 1,42.00	2,42.00	2,39.96	(-)2.04	1,42.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 8.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों, भू-अर्जन एवं वन विभाग को भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत(-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.6599- रुझ परियोजना	मूल पुनर्वि.	1.00 23,01.00	23,02.00	23,00.39	(-)1.61	23,01.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 50,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 26,99.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों, भू-अर्जन एवं वन विभाग को भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा जारी पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4701-99.800.0101.2897- बांध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	50,00.00 63,99.00	1,13,99.00	1,13,62.23	(-)36.77	63,99.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 80,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 16,01.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों, भू-अर्जन एवं वन विभाग को भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।
4711-01.103.0101.5711- बाढ़ नियंत्रण योजना	मूल पुनर्वि.	98.00 10,04.00	11,02.00	10,98.24	(-)3.76	10,04.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 12,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,96.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई।

(10) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2017-18 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत 9.77 लाख ₹ का व्यय किया गया है।

“उचंत” शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस अनुभाग के विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेनदेन का विश्लेषण प्रारम्भिक तथा अंतर्दृष्टि सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन समाप्त

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)22,89.29	0.00	0.00	(-)22,89.29
(ii) भण्डार	+ 40,22.86	0.00	0.00	+ 40,22.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 11,77.39	9.77	0.00	+ 11,87.16
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)2,11.06	0.00	0.00	(-)2,11.06
योग	+ 26,99.90	9.77	0.00	+ 27,09.67
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
(i) क्रय	(-)12.92	0.00	0.00	(-)12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71

प्रभारित

- (11) 17.96 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को मात्र 15.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (12) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4702-800.0102.1831-डिक्री धन का भुगतान	मूल पुनर्वि.	10.00 (-)10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में 10.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भुगतान हेतु मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

(मुख्य शीर्ष- 3053-नागर विमानन, 3054-सड़कें तथा सेतु, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,18,47,36			
पूरक	0	14,18,47,36	10,66,99,08	(-)3,51,48,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3,34,11,13

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	3,04	(-)6,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,96

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	59,26,03,08			
पूरक	6,50,00,50	65,76,03,58	63,45,01,82	(-)2,31,01,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,31,77,64

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,00,00			
पूरक	0	50,00,00	49,90,72	(-)9,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				9,28

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 3,51,48.28 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 3,34,11.13 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-03.337.0102.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)7,75.00	17,25.00	17,25.00	0.00	7,75.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3054-03.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	65,00.00 (-)19,75.00	45,25.00	45,50.23	+ 25.23	19,75.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3054-04.337.0103.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00	0.00	10,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3054-04.337.0103.4557- सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00	0.00	10,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3454-04.337.0102.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	1,54,87.24 (-)28,21.32	1,26,65.92	1,19,99.22	(-)6,66.70	28,21.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 30,42.57 लाख ₹ की कमी (समर्पण 10,40.22 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 20,02.35 लाख ₹) एवं 2,21.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के साथ सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-04.337.0102.4557-सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)14,30.25	10,69.75	7,75.03	(-)2,94.72	14,30.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3054-04.337.0101.4557-सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	65,00.00 (-)14,70.74	50,29.26	53,23.98	+ 2,94.72	14,70.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3054-04.800.0102.7081-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पुनर्वि.	1,05,00.00 (-)61,21.63	43,78.37	28,45.15	(-)15,33.22	61,21.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3054-04.800.0101.7081-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पुनर्वि.	3,95,00.00 (-)1,53,31.17	2,41,68.83	2,26,87.11	(-)14,81.72	1,53,31.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-04.337.0101.0134-अनुरक्षण और मरम्मत-साधारण मरम्मत	मूल पुनर्वि.	4,54,61.75 (-)11,06.02	4,43,55.73	4,74,98.80	+ 31,43.07	11,06.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 40,40.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 51,46.02 लाख ₹ की कमी (समर्पण 28,87.12 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 22,58.90 लाख ₹) का निवल प्रभाव था के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) 2,31,01.76 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 6,50,00.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया (0.07 लाख ₹) अपर्याप्त था एवं नवम्बर 2017 में (6,50,00.01 लाख ₹) अत्यधिक था जबकि मार्च 2018 में प्राप्त किया गया 0.42 लाख ₹ अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 31 मार्च 2018 को किया गया 2,31,77.64 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 2,31,01.76 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।
- (6) यद्यपि 2,31,01.76 लाख ₹ की समग्र बचत, कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखित अन्तर परिलक्षित हुये:—

(अ) बचत:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.337.0802.0948- केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पुनर्वि.	1,27,00.00 (-)8,90.40	1,18,09.60	20,75.79	(-)97,33.81	8,90.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
5054-03.337.0102.5139- मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00	5,53.33	(-)1,14,46.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
5054-04.337.0101.5139- मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,80,00.00 (-)20,32.58	2,59,67.42	1,55,82.74	(-)1,03,84.68	20,32.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-04.800.0102.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)62.93	99,37.07	89,96.03	(-)9,41.04	62.93 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(ब) आधिक्य:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.101.0101.6651- रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)31.42	14,68.58	44,99.73	+ 30,31.15	31.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.337.0801.0948- केन्द्रीय सड़क निधि	मूल	3,78,00.00	7,27,15.67	9,14,41.56	+1,87,25.89	84.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	3,50,00.00				
	पुनर्वि.	(-)84.33				
5054-04.800.1401.5226- ग्रामीण सड़कों का निर्माण	मूल	2,00,00.00	1,79,02.07	2,93,73.95	+1,14,71.88	20,97.93 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	(-)20,97.93				
5054-04.800.0420.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	मूल	0.01	0.01	18.29	+18.28	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
5054-04.800.0101.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	मूल	6,50,00.00	9,22,85.92	12,66,65.89	+3,43,79.97	27,14.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	3,00,00.08				
	पुनर्वि.	(-)27,14.16				

(7) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:-

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्प्रीट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054-सड़कें तथा पुल-800 'अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24 "लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449"-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता को अंतरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449-अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

(मुख्य शीर्ष—2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	62,46,51			
पूरक	सांकेतिक	62,46,51	32,58,36	(-)29,88,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				30,09,21

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,50,05,00			
पूरक	0	6,50,05,00	00	(-)6,50,05,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,51

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,00,00			
पूरक	सांकेतिक	8,00,00	8,18	(-)7,91,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				7,92,13

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया सांकेतिक अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2018 को किया गया 30,09.21 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 29,88.15 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.101.1010.3595- मेसर्स कोल इण्डिया लि. के लिये कोल पूर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	1,99.74 (-)61.88	1,37.86	1,31.18	(-)6.68	61.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 64.34 लाख ₹ समर्पण के रूप में कमी एवं 2.46 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति होने, कार्यालयीन व्यय वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 02.01.2018 अनुसार वर्ष 2016-17 तक सीमित किये जाने के कारण हुई। वृद्धि समयमान वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2853-02.102.0420.0182- अन्य खनिजों का सर्वेक्षण	मूल पूरक पुनर्वि.	10,71.03 सांकेतिक (-)3,00.05	7,70.98	7,37.63	(-)33.35	3,00.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 3,07.30 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,04.15 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 3.15 लाख ₹) एवं 7.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। 7.25 लाख ₹ की प्रावधान में वृद्धि सातवें वेतन आयोग, वेतनमान लागू होने, समयमान वेतन के बकाया राशि का भुगतान किये जाने, लंबित देयकों के भुगतान होने से हुई। कमी मुख्यतः सातवें वेतनमान के कारण मंहगाई भत्ते की दरों में कमी होने, अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने एवं कार्यालयीन व्यय वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2018 अनुसार वर्ष 2016-17 तक सीमित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2853-02.800.0420.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	23,00.00 (-)23,00.00	0.00	0.00	0.00	23,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 22,84.91 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15.09 लाख ₹) वित्त विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 07.09.2017 को शेष राशि अभ्यर्पित किये जाने एवं म.प्र. रेत खनन नीति 2017 के आने से लिये गये मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार खनिज नामों के संस्थापित नहीं किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन समाप्त

प्रभारित

- (4) 6,50,05.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 4.51 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.800.0420.6606- खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अन्तरण	मूल	6,50,00.00	6,50,00.00	0.00	(-)6,50,00.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 एवं नवम्बर 2017 में izklr fd;k x;k x;k lkadsfrd vuqiwjd vuqнку अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) 31 मार्च 2018 को किया गया 7,92.13 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 7,91.82 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4853-01.004.0420.2713- प्रयोगशाला	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)92.13	7.87	8.19	+0.32	92.13 लाख ₹ की समर्पण के रूप में बचत योजना की निरंतरता मंत्रीपरिषद् से अनुमोदित न होने के कारण एवं स्थायी वित्तीय समिति से अनुमोदन न होने के कारण हुई।
4853-01.800.0420.0182- अन्य खनिजों का सर्वेक्षण	मूल पूरक पुनर्वि.	7,00.00 सांकेतिक (-)7,00.00	0.00	0.00	0.00	7,00.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वित्तीय व्यय समिति की बैठक से अनुमोदन प्राप्त न हो पाने से हुई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,80,45,25			
पूरक	96,55,00	2,77,00,25	2,50,84,48	(-)26,15,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				25,07,06

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	38,97,53			
पूरक	0	38,97,53	28,13,82	(-)10,83,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				10,44,99

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 26,15.77 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 96,55.00 लाख ₹ की अनुपूरक अनुदान नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया (24,03.00 लाख ₹) अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2018 में प्राप्त किया गया 72,52.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 26,15.77 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 25,07.06 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.7982- संगीत महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	7,31.70 (-)84.71	6,46.99	6,48.18	+1.19	84.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,64.71 लाख ₹ की कमी (समर्पण 84.71 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 80.00 लाख ₹) एवं 80.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सातवें वेतनमान लागू होने से ग्रेड-पे एवं महंगाई भत्ते में बजट उपलब्ध नहीं होने, पद रिक्त रहने, देयक प्राप्त न होने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, नियम प्रभावी न होने से हुई जबकि वृद्धि वेतनशीर्ष में कम बजट प्रावधान न होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2205-102.3078- भारत भवन का रख रखाव	मूल पुनर्वि.	2,10.00 (-)1,15.50	94.50	94.50	0.00	1,15.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा कम राशि जारी करने के कारण हुई (21.50 लाख)। 94.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2205-102.5753- समारोह के आयोजन हेतु अनुदान	पूरक पुनर्वि.	4,14.00 (-)20.00	3,94.00	0.00	(-)3,94.00	20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.6367- हिन्दी एवं अन्य बोलियों का विकास	पूरक पुनर्वि.	5,00.00 (-)3,50.25	1,49.75	0.00	(-)1,49.75	3,50.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2205-102.7876- स्वाधीनता संग्राम संबंधी गतिविधियों का संकलन / दस्तावेजीकरण/ प्रदर्शन	पूरक	3,50.00	3,50.00	0.00	(-)3,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
2205-102.0101.0749- वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,50.00 (-)3,02.50	2,47.50	2,47.50	0.00	3,02.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
2205-102.0101.0751- कलाकार कल्याण कोष	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)1,00.00	0.00	0.00	0.00	1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा राशि जारी नहीं किये जाने के कारण हुई (10.00 लाख ₹)। 90.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
2205-102.0101.6042- रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	4,32.40 (-)1,52.05	2,80.35	2,21.39	(-)58.96	1,52.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,55.05 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन के रूप में) एवं 3.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सातवें वेतन आयोग के लागू होने से, मंहगाई भत्ता एवं ग्रेड-पे में बचत होने से, संचालक के बजट नियंत्रण अधिकारी से लोक निर्माण के बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट आवंटन किये जाने से हुई, जबकि वृद्धि वेतन शीर्ष में कम प्रावधान होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2205-102.0101.7060- सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्व विद्यालय	मूल पुनर्वि.	8,50.00 (-)85.00	7,65.00	7,65.00	0.00	85.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2205-102.0101.7073- म.प्र. संस्कृति परिषद-विकास अनुदान	मूल पुनर्वि.	14,75.00 (-)1,47.50	13,27.50	13,27.50	0.00	1,47.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि जारी नहीं किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2205-107.0101.4283-संग्रहालय	मूल पुनर्वि.	11,45.76 (-)3,70.67	7,75.09	7,77.69	+2.60	3,70.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,75.67 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,70.67 लाख ₹ +पुनर्विनियोजन 5.00 लाख ₹) एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने, कम बजट में प्रस्तावित कार्य पूर्ण किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत आर्थिक कटौती की शासन की मितव्ययिता नीती का पालन किये जाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि प्रदेश के संग्रहालयों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये विद्युत देयकों का भुगतान किये जाने से हुई (3,74.44 लाख ₹)। 1.23 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2205-102.3076- भारत भवन प्रशासनिक व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	5,25.00 94.00	6,19.00	6,19.00	0.00	94.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2205-102.0101.5753- समारोह के आयोजन हेतु अनुदान	मूल	13,00.00	35,86.88	39,82.99	+3,96.11	1,86.88 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,02.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,15.62 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा राशि जारी न किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	21,00.00				
	पुनर्वि.	1,86.88				
2205-102.0101.6367- हिन्दी एवं अन्य बोलियों का विकास	मूल पुनर्वि.	14.50 (-)1.20	13.30	1,63.05	+1,49.75	1.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2205-102.0101.7876- स्वाधीनता संग्राम संबंधी गतिविधियों का संकलन / दस्तावेजीकरण / प्रदर्शन	मूल पुनर्वि.	1,10.00 (-)86.98	23.02	3,62.04	+3,39.02	86.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

- (5) 10,83.71 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 10,44.99 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-04.800.0701.6941- रविन्द्र भवन परिसर का उन्नयन	मूल	15,00.00	9,51.72	9,51.72	0.00	5,48.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत संचालक के बजट नियंत्रण अधिकारी से लोक निर्माण के बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट आवंटन किये जाने से हुई। इस शर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-)5,48.28				

अनुदान संख्या 26—संस्कृति समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-04.800.0701.7721- टैगोर कला संकुल विदिशा	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-)3,00.18	2,99.82	2,69.82	(-)30.00	3,00.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत संचालक के बजट नियंत्रण अधिकारी से लोक निर्माण के बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट आवंटन किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-04.800.0101.5833- शासकीय संगीत महाविद्यालय उज्जैन में भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)1,00.00	0.00	0.00	0.00	1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा
(प्रारंभिक शिक्षा)**

(मुख्य शीर्ष— 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	84,89,38,26			
पूरक	0	84,89,38,26	75,14,45,59	(-)9,74,92,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,91,93,56

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	36			
पूरक	0	36	00	(-)36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,05,00,67			
पूरक	29,00,00	7,34,00,67	2,18,42,28	(-)5,15,58,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,02,85,49

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 9,74,92.67 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 4,91,93.56 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.001.1500- जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	72,12.33 8.00	72,20.33	63,81.59	(-)8,38.74	8.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 11,66.17 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोग के रूप में) एवं 11,74.17 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी एवं आधिक्य के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0703.6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	मूल पुनर्वि.	15,00.00 (-)8,92.50	6,07.50	6,07.50	0.00	8,92.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश से प्राप्त न होने के कारण हुई।
2202-01.101.0703.8810- सर्वशिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	4,17,00.00 (-)84,50.97	3,32,49.03	3,32,49.03	0.00	84,50.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 26,77.50 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 57,73.47 लाख ₹) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-01.101.0702.6011- साक्षर भारत	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)16,90.49	3,09.51	3,09.51	0.00	16,90.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
2202-01.101.0702.6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	मूल पुनर्वि.	32,00.00 (-)19,04.00	12,96.00	12,96.00	0.00	19,04.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने से हुई।
2202-01.101.0702.8810- सर्वशिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	8,34,73.00 (-)1,88,38.81	6,46,34.19	6,46,34.19	0.00	1,88,38.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 1,64,03.08 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 24,35.73 लाख ₹) अंशतः भारत सरकार केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई (1,64,03.08 लाख ₹)। 24,35.73 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-01.101.0103.6716- निःशुल्क गणवेश प्रदाय	मूल पुनर्वि.	15,01.50 (-)10,01.50	5,00.00	5,00.00	0.00	10,01.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आवश्यकतानुसार राशि आहरित किये जाने के कारण शेष राशि समर्पित किये जाने से हुई।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0101.0730- माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	मूल पुनर्वि.	17,70.00 (-)17,70.00	0.00	0.00	0.00	17,70.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने से हुई।
2202-01.101.0101.6484- आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	94,76.00 (-)9,47.60	85,28.40	85,28.40	0.00	9,47.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) प्रति छात्र व्यय निर्धारण विलम्ब से होने के कारण दस प्रतिशत रोकी गई राशि आहरित नहीं किये जाने से हुई।
2202-01.101.0101.6716- निःशुल्क गणवेश प्रदाय	मूल पुनर्वि.	36,98.50 (-)21,98.50	15,00.00	15,00.00	0.00	21,98.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आवश्यकतानुसार राशि आहरित किये जाने के कारण शेष राशि समर्पित किये जाने से हुई।
2202-01.102.0801.6344- मदरसा आधुनिकीकरण	मूल	30,06.79	30,06.79	11,87.33	(-)18,19.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.108.0701.6809- कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	मूल पुनर्वि.	45,00.00 (-)26,77.50	18,22.50	18,22.50	0.00	26,77.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
2202-01.108.0101.6813- साईकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	56,00.00 (-)39,20.00	16,80.00	16,80.00	0.00	39,20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आवश्यकतानुसार राशि आहरित किये जाने के कारण शेष राशि समर्पित किये जाने से हुई।
2202-01.108.0102.6813- साईकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	19,00.00 (-)13,30.00	5,70.00	5,70.00	0.00	13,30.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) आवश्यकतानुसार राशि आहरित किये जाने के कारण शेष राशि समर्पित किये जाने से हुई।
2202-01.108.0103.6813- साईकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	14,00.00 (-)9,80.00	4,20.00	4,20.00	0.00	9,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार राशि आहरण किये जाने के कारण शेष राशि समर्पण किये जाने से हुई।
2202-02.110.0101.3491- माध्यमिक शालायें	मूल	1,95,00.00	1,95,00.00	1,70,88.02	(-)24,11.98	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.2067- ड्रिफ्टिंग वाटर	मूल पुनर्वि.	1350.00 (-)1350.00	0.00	0.00	0.00	13,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने से हुई।

प्रभारित

(3) 0.36 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 29,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 5,15,58.39 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 5,02,85.49 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.201.0703.8810- सर्वशिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	93,00.00 (-)56,70.22	36,29.78	36,29.78	0.00	56,70.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-01.201.0702.8810- सर्वशिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-)38,68.60	51,31.40	51,31.40	0.00	38,68.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-01.201.0701.8810- सर्वशिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	4,37,00.00 (-)3,11,96.62	1,25,03.38	1,25,03.38	0.00	3,11,96.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-04.800.0101.8799- छात्रावास भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	25,20.00 (-)25,20.00	0.00	0.00	0.00	25,20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न होने से हुई।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

(मुख्य शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	88,12,73			
पूरक	10,21,00	98,33,73	86,68,23	(-)11,65,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				11,47,77

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	64,09			
पूरक	0	64,09	44,45	(-)19,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				19,64

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 10,21.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 (10,00.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (21.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 11,65.50 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 11,47.77 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.4007- विधायक / मंत्री	मूल पुनर्वि.	45,62.33 (-7,00.55)	38,61.78	38,54.49	(-)7.29	7,00.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,61.55 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,68.05 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 93.50 लाख ₹) एवं 61.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सहायक अनुदान के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की सुविधा का लाभ कम सदस्यों द्वारा लिये जाने एवं निर्धारित शीर्ष से आहरण न किये जाने के कारण हुई (7,18.05 लाख ₹)। वृद्धि दैनिक वेतन भोगी को वेतन भुगतान किये जाने एवं अन्य आकस्मिक व्यय करने तथा विधायकों द्वारा राशि आहरित किये जाने से हुई। 43.50 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2011-02.101.6110- विधायक / मंत्री की निजी स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,74.62 (-)1,88.74	3,85.88	3,85.63	(-)0.25	1,88.74 लाख ₹ की उपलब्ध बचत प्रावधान में 1,92.74 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,88.74 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 4.00 लाख ₹) एवं 4.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः सहायक अनुदान के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की सुविधा का लाभ कम सदस्यों द्वारा लिये जाने से हुई (1,88.74 लाख ₹)। वृद्धि दैनिक वेतन भोगी को वेतन भुगतान किये जाने एवं अन्य आकस्मिक व्यय करने के कारण हुई। 4.00 लाख ₹ की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल समाप्त

प्रभारित

(4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.0125- अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते	मूल पुनर्वि.	63.99 (-)/19.54	44.45	44.45	0.00	19.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2015-निर्वाचन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,78,37,30			
पूरक	24,45,51	11,02,82,81	8,48,94,07	(-)2,53,88,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,44,56,59

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में राशि 8,48,94,06,581 ₹ के कुल व्यय में 25.09.2017 को आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि 34,99,950 ₹ सम्मिलित है जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,48,80,21			
पूरक	12,71,47	1,61,51,68	1,23,92,22	(-)37,59,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				35,36,73

1,23,92.22 लाख ₹ के कुल व्यय में शीर्ष 2014-102-0101-0573-उच्च न्यायालय (भारत) के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2018 को शीर्ष 8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा को, जमा की गई 4,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

पूँजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	00	(-)10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				10,00

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 24,45.51 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 (23,29.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (1,16.51 लाख ₹) में प्राप्त किया X;K अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 2,53,88.74 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 2,44,56.59 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-105.4497- सामान्य स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	6,75,15.61 10,00.00 (-)1,62,54.34	5,22,61.27	5,15,97.73	(-)6,63.54	1,62,54.34 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,68,54.34 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,61,27.54 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 7,26.80 लाख ₹) एवं 6,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं कम्प्यूटर उपकरण आदि की केन्द्रीय खरीदी के कारण संभावित बचत हुई (7,26.80 लाख ₹)। वृद्धि पुनरीक्षित दर पर मंहगाई भत्ते के नगद भुगतान एवं आगामी माहों में राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 1,61,27.54 लाख ₹ की अवशिष्ट बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.6020- ग्राम न्यायालय	मूल पुनर्वि.	22,53.94 (-)3,61.20	18,92.74	18,88.01	(-)4.73	3,61.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,65.21 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,61.20 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 1,04.01 लाख ₹) एवं 1,04.01 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सातवां वेतनमान लागू किये जाने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई

					थी।
--	--	--	--	--	-----

अनुदान संख्या 29- विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-105.0101.1486-स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-)2,25.00	25.00	0.00	(-)25.00	समर्पण के रूप में 2,25.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2014-105.0101.1487-स्केनिंग तथा अंकीकरण	मूल पुनर्वि.	3,25.00 (-)2,14.75	1,10.25	1,07.75	(-)2.50	समर्पण के रूप में 2,14.75 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.0101.9065-अधीनस्थ कार्यालय के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	12,00.00 (-)82.13	11,17.87	9,97.87	(-)1,20.00	समर्पण के रूप में 82.13 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2014-114.3428-महाधिवक्ता	मूल पूरक पुनर्वि.	27,30.24 31.50 (-)6,58.13	21,03.61	20,87.25	(-)16.36	समर्पण के रूप में 6,58.13 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत कटौती एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-103.3307-मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	मूल पूरक पुनर्वि.	66,85.50 13,20.00 (-)17,55.60	62,49.90	62,49.90	0.00	समर्पण के रूप में 17,55.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-105.4311- संसद के चुनाव कराने के प्रभार	मूल पुनर्वि.	8,84.16 (-)5,16.35	3,67.81	3,64.34	(-)3.47	समर्पण के रूप में 5,16.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-108.9503-मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना	मूल पुनर्वि.	8,03.50 (-)5,89.94	2,13.56	2,15.71	+2.15	5,89.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

					थी।
--	--	--	--	--	-----

अनुदान संख्या 29- विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-090.7389- अधिवक्ता कल्याण	मूल पुनर्वि.	7,00.00 (-)3,67.40	3,32.60	3,32.60	0.00	समर्पण के रूप में 3,67.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत कटौती एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुआ।
2052-090.9057- विधि एवं विधायी कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	15,18.20 9.00 (-)3,14.43	12,12.77	12,10.26	(-)2.51	समर्पण के रूप में 3,14.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,32.28 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,14.43 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,17.85 लाख ₹) एवं 1,17.85 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त होने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत कटौती एवं आहरण कर पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। वृद्धि शीर्षान्तर्गत प्रावधान कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-090.0101.9066- विधि विभाग के अन्तर्गत सूचना प्राद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	2,43.00 (-)2,03.59	39.41	39.41	0.00	समर्पण के रूप में 2,03.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत कटौती एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.800.0703.5171- विशेष न्यायालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	25,21.35 (-)3,04.43	22,16.92	22,08.74	(-)8.18	समर्पण के रूप में 3,04.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-60.200.0101.1489- ए.डी.आर. सेन्टर्स के निर्माण हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	13,50.00 (-)3,37.50	10,12.50	10,12.50	0.00	समर्पण के रूप में 3,37.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत कटौती एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 29— विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.200.0101.3255- म.प्र.विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	मूल पुनर्वि.	27,93.00 (-)3,58.41	24,34.59	24,34.59	0.00	समर्पण के रूप में 3,58.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत कटौती एवं आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।

प्रभारित

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, 12,71.47 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 (6/00-00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (6,71.47 लाख ₹) में प्राप्त किया X;K अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 37,59.46 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 35,36.73 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-102.0573- उच्च न्यायालय (भारत)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,33,29.81 6,71.47 (-)29,77.42	1,10,23.86	1,10,23.86	0.00	29,77.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विनियोग में 34,37.39 लाख ₹ की कमी (समर्पण 29,77.42 लाख ₹+पुनर्विनियोग 4,59.97 लाख ₹) एवं 4,59.97 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः वास्तविक एवं अनुपातिक व्यय माननीय न्यायाधिपतिगणों के रिक्त पदों की पूर्ति न होने एवं उच्च न्यायालय म. प्र. की स्थापनाओं में सातवां वेतनमान लागू न होने के फलस्वरूप संभावित बचत के कारण हुई (4,59.97 लाख ₹), जबकि वृद्धि माननीय न्यायाधिपतियों के पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने से एरियर एवं लंबित देयकों के भुगतान, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लंबित बिलों के भुगतान एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों के अनुपालन में भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 29,77.42 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29- विधि और विधायी कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2014-102.7702- उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराइजेशन	मूल पुनर्वि.	7,55.00 (-)42.41	7,12.59	6,58.09	(-)54.50	समर्पण के रूप में 42.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2014-102.0101.0573- उच्च न्यायालय (भारत)	मूल पूरक पुनर्वि.	7,85.40 सांकेतिक (-)69.36	7,16.04	5,47.80	(-)1,68.24	5,47.80 लाख ₹ के व्यय में राशि 4,00.00 लाख ₹ इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2018 को शीर्ष 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था। 69.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,69.36 लाख ₹ की कमी (समर्पण 69.36 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,00.00 लाख ₹) एवं 5,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-102.0101.7702- उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराइजेशन	पूरक पुनर्वि.	6,00.00 (-)4,41.26	1,58.74	1,58.74	0.00	समर्पण के रूप में 4,41.26 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत

(7) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
7610-202.9246- न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण	मूल पुनर्वि.	10.00 (-)10.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में 10.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण तथा अग्रिम स्वीकृति हेतु नियमों के नहीं बनाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3054-सड़क तथा सेतु, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,69,81,73			
पूरक	1,32,00,01	13,01,81,74	11,87,89,56	(-)1,13,92,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,11,11,74

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00			
पूरक	0	3,00	00	(-)3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	32,35,70,01			
पूरक	1,00,00,00	33,35,70,01	25,67,41,09	(-)7,68,28,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,87,01,78

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 1,13,92.18 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 1,32,00.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 1,13,92.18 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 1,11,11.74 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-06.101.0101.8774- राज्य स्तर का अमला	मूल पुनर्वि.	7,56.82 (-)2,66.88	4,89.94	4,72.17	(-)17.77	2,66.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,98.38 लाख ₹ ¼समर्पण 2,66.88 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 31.50 लाख ₹ ½ की कमी तथा 31.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग कम/ नहीं प्राप्त होने के कारण हुई जबकि वृद्धि ज्यादा मांग प्राप्त होने के कारण हुई।
2515-001.0103.1033- विकास खण्ड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	18,14.93 (-)11,34.45	6,80.48	6,78.17	(-)2.31	11,34.45 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2515-001.0102.1033- विकास खण्ड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	22,41.97 (-)17,42.10	4,99.87	4,95.39	(-)4.48	17,42.10 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
2515-001.0101.1033- विकास खण्ड कार्यालय	मूल पुनर्वि.	1,28,33.67 (-)21,60.33	1,06,73.34	1,06,73.34	0.00	21,60.33 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-001.0101.3927- जिला स्तर पर अमला	मूल पुनर्वि.	6,71.06 (-)1,02.68	5,68.38	5,37.49	(-)30.89	1,02.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,22.68 लाख ₹ ¼समर्पण 1,02.68 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 20.00 लाख ₹ ½ की कमी तथा 20.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मांग कम/ नहीं प्राप्त होने के कारण हुई जबकि वृद्धि ज्यादा मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
2515-102.0101.1032- कार्यालय भवनों के निर्माण / विद्युतीकरण आदि	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)1,11.79	1,88.21	1,53.46	(-)34.75	1,11.79 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
2515-800.0103.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल पुनर्वि.	8,52.19 (-)4,86.66	3,65.53	3,51.82	(-)13.71	4,86.66 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग नहीं प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.0102.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल	10,52.71	4,76.35	4,62.91	(-)13.44	5,76.36 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-)5,76.36				
2515-800.0101.1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	मूल	1,75,02.78	1,31,98.48	1,30,40.16	(-)1,58.32	43,04.30 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	(-)43,04.30				

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 (1,00,00.00 लाख ₹) एवं मार्च 2018 (सांकेतिक) में **izklr fd;k x;k 1]00]00-00** लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 7,68,28.92 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 5,87,01.78 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.0701.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल	16,53,00.00	10,78,74.97	10,78,74.97	0.00	5,74,25.03 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-)5,74,25.03				
4515-800.0420.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल	1,79,00.00	1,67,48.53	4,30.84	(-)1,63,17.69	11,51.47 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक आहरण नहीं किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 में भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-)11,51.47				

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.0101.7251- विकास भवन	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)1,25.27	18,74.73	65.29	(-)18,09.44	1,25.27 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक आहरण नहीं किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,18,85,58			
पूरक	13,42,67	1,32,28,25	1,07,67,82	(-)24,60,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,57,20,00			
पूरक	20,70,56	1,77,90,56	1,45,44,92	(-)32,45,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 13,42.67 लाख ₹ में से जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया (95.00 लाख ₹) का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 12,47.67 लाख ₹ अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 24,60.43 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-101.3686- राज्य योजना मण्डल	मूल पूरक	3,72.68 सांकेतिक	3,72.68	3,10.31	(-)62.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-101.0101.1935-नर्मदा सेवा मिशन सेल	पूरक	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3451-101.0101.5612-विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण	मूल	2,10.50	2,10.50	99.71	(-)1,10.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.001.8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	मूल	47,54.54	47,54.54	40,52.01	(-)7,02.53	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (2,70.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी अंशतः अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने से हुई (20.00 लाख ₹)। वृद्धि सातवां वेतन आयोग लागू होने, अंशकालीन/स्थायी श्रमिक को मजदूरी एवं लंबित देयकों का भुगतान किये जाने से हुई। 2,50.00 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.001.0801.6154-राजीव आवास योजना	पूरक	95.00	95.00	2.07	(-)92.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3454-02.111.1430- जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन	मूल	2,59.75	2,59.75	1,93.85	(-)65.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.111.0101.6562-जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3454-02.201.0512- इण्डियन इकोनोमिक एसोसिएशन	मूल	1,49.80	1,49.80	1,05.65	(-)44.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3454-02.800.0101.6270- जन अभियान परिषद का गठन	मूल पूरक	59,50.00 10,47.67	69,97.67	59,32.67	(-)10,65.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूजीगत:

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया 20,70.56 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) 32,45.64 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0103.6270- जन अभियान परिषद का गठन	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4515-103.0103.8284- मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल पूरक	64,75.00 11,93.71	76,68.71	60,53.69	(-)16,15.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4515-103.0102.6270- जन अभियान परिषद का गठन	मूल	2,50.00	2,50.00	0.00	(-)2,50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4515-103.0102.8284- मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल पूरक	86,95.00 8,76.85	95,71.85	84,91.23	(-)10,80.62	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद, 2015-निर्वाचन, 2029-भू-राजस्व, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2041-वाहन कर, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें, 2053-जिला प्रशासन, 2054-खजाना और लेखा प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2220-सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2230-श्रम तथा रोजगार, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2425-सहकारिता, 2515-अन्य ग्रामीण विकास, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2810-अपारंपरिक उर्जा के स्रोत, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3054-सड़क तथा सेतु, 3452-पर्यटन, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,99,00,00			
पूरक	1,07,50,00	4,06,50,00	3,82,64,47	(-)23,85,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत :

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	0	1,00,00	30,00	(-)70,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 23,85.53 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 1,07,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान में से नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया (75,00.00 लाख ₹) अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2018 में प्राप्त किया गया 32,50.00 लाख ₹ अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 23,85.53 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 32- जनसंपर्क समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-800.3956- विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय	मूल	3,85.00	3,85.00	2,67.55	(-)1,17.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2220-01.001.8688- मध्यप्रदेश सूचना केन्द्र नई दिल्ली	मूल	1,82.34	1,82.34	99.67	(-)82.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2220-01.105.2822- चलचित्र इकाई की स्थापना	मूल	7,45.00	7,45.00	6,39.87	(-)1,05.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2220-01.800.4065- विशेष अवसरों पर प्रचार	पूरक	30,00.00	30,00.00	24,00.33	(-)5,99.67	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2701-80.001.3956- विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय	मूल	5,00.00	5,00.00	3,80.25	(-)1,19.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

- (1) 70.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4220-60.101.0101.0684- कार्यालय भवन निर्माण	मूल	1,00.00	1,00.00	30.00	(-)70.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2801-बिजली, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	31,62,45,67			
पूरक	1,05,94,47	32,68,40,14	27,86,84,89	(-)4,81,55,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,06,33,85

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	00	(-)5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,03,44,02			
पूरक	6,57,27,56	15,60,71,58	8,90,95,65	(-)6,69,75,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,92,97,64

8,90,95.65 लाख ₹ के कुल व्यय में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा शीर्ष 4225-02-800-0602- अनुसूचित जनजाति के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनायें-5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2018 को शीर्ष 8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा, को जमा की गई 7,07.70 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 (5,00.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (1,00,94.47 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,05,94.47 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 4,81,55.25 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 4,06,33.85 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.3496- माध्यमिक शालाएँ	मूल पुनर्वि.	1,05,59.69 (-)-48,34.48	57,25.21	57,08.20	(-)-17.01	48,34.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 50,59.32 लाख ₹ ¼समर्पण 22,16.48 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 28,42.84 लाख ₹) की कमी तथा 2,24.84 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः 7वें वेतनमान के लागू होने, आदिवासी क्षेत्र भत्ता में बचत, 7वें वेतनमान में ग्रेड पे समाप्त किये जाने, जिलों एवं डी. डी.ओ. द्वारा आहरण न किये जाने, आहरण एवं क्रय पर प्रतिबंध होने, वेतन-भत्ते मद में बचत होने एवं 2016-17 के व्यय से अधिक व्यय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई (30,59.32 लाख ₹)। वृद्धि वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये राशि की आवश्यकता होने, जिलों से मांग प्राप्त होने, संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा से स्वीकृतियां प्राप्त होने, लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान करने, मजदूरी की दर में वृद्धि एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी घोषित किये जाने के कारण हुई। 20,00.00 लाख ₹ की अवशेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत(-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0102.0364- आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	मूल पुनर्वि.	22,38.63 (-)5,45.80	16,92.83	16,26.87	(-)65.96	5,45.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,81.16 लाख ₹ (समर्पण 2,45.80 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,35.36 लाख ₹) की कमी तथा 1,35.36 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः 7वें वेतनमान लागू होने से वेतन भत्तों में बचत होने, डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने से, आहरण एवं क्रय पर प्रतिबंध होने, 2016-17 के व्यय से अधिक व्यय पर प्रतिबंध होने एवं चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न होने के कारण हुई (2,65.80 लाख ₹)। वृद्धि मजदूरी की दर में वृद्धि एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी घोषित किये जाने तथा 7वें वेतनमान लागू किये जाने से अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने के कारण हुई। 4,15.36 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0102.5216- हाई स्कूल	मूल पुनर्वि.	47,69.62 (-)8,36.90	39,32.72	38,86.29	(-)46.43	8,36.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,97.90 लाख ₹ (समर्पण 8,36.90 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 61.00 लाख ₹) की कमी तथा 61.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी 7वें वेतनमान में ग्रेड-पे समाप्त किये जाने, आदिवासी क्षेत्र भत्ता में बचत होने, डी.डी.ओ. एवं जिला अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने, क्रय एवं आहरण पर प्रतिबंध होने, 2016-17 के व्यय से अधिक व्यय पर प्रतिबंध होने एवं चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न होने के कारण हुई। वृद्धि वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये राशि की आवश्यकता होने, मजदूरी की दर में वृद्धि एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी घोषित किये जाने के कारण हुई।
2225-02.001.0802.5155- योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)24,08.91	91.09	26.15	(-)64.94	24,08.91 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.001.0102.1481-जिला प्रशासन	मूल पुनर्वि.	81,33.81 (-)10,22.50	71,11.31	71,11.31	0.00	10,22.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 24,46.33 लाख ₹ (समर्पण 10,22.50 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 14,23.83 लाख ₹) की कमी एवं 14,23.83 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः 7वें वेतनमान लागू होने से वेतन भत्ते में बचत होने, डी.डी.ओ. एवं जिला अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने एवं चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न होने के कारण हुई (15,63.20 लाख ₹)। वृद्धि वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये राशि की आवश्यकता होने, 7वें वेतनमान लागू होने से बढ़े हुये वेतन के भुगतान, जिलों से मांग प्राप्त होने एवं संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा से स्वीकृतियां प्राप्त होने के कारण हुई। 8,83.13 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.102.0102.7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	84,00.00 (-)8,45.00	75,55.00	65,55.00	(-)10,00.00	8,45.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.277.0802.2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-)53,00.00	97,00.00	96,91.10	(-)8.90	53,00.00 लाख ₹ (समर्पण 48,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई (48,00.00 लाख ₹)। 5,00.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.0495- आश्रम और शालाए	मूल पुनर्वि.	85,16.12 (-)16,67.20	68,48.92	68,41.24	(-)7.68	16,67.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 26,93.88 लाख ₹ $\frac{1}{4}$ समर्पण 8,02.70 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 18,91.18 लाख ₹ की कमी तथा 10,26.68 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः 7वें वेतनमान लागू होने से वेतन भत्ता मद में बचत, डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण न किये जाने, छात्रवृत्तियों का भुगतान मांग संख्या -53 से किये जाने एवं 2016-17 के व्यय से अधिक व्यय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई (19,54.70 लाख ₹)। वृद्धि वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिये राशि की आवश्यकता होने, 7वें वेतनमान लागू होने से बढे हुये वेतन के भुगतान करने, जिलों से मांग प्राप्त होने एवं संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा से स्वीकृतियां प्राप्त होने के कारण हुई। 7,39.18 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.277.0102.0762- कन्या शिक्षा परिसर	मूल पुनर्वि.	40,80.60 (-)11,51.34	29,29.26	29,20.78	(-)8.48	11,51.34 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 14,04.34 लाख ₹ $\frac{1}{4}$ समर्पण 8,51.34 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,53.00 लाख ₹ की कमी तथा 2,53.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः 7वें वेतनमान के लागू होने से वेतन भत्तों में बचत होने, डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं करने, संविदा शिक्षकों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं 2016-17 के व्यय से अधिक व्यय पर प्रतिबंध होने के कारण हुई (8,99.34 लाख ₹)। वृद्धि वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिये राशि की आवश्यकता होने, 7वें वेतनमान लागू होने से बढे हुये वेतन के भुगतान करने, मजदूरी की दर में वृद्धि होने एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी घोषित किये जाने के कारण हुई। 5,05.00 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.0978- क्रीड़ा परिसर	मूल पुनर्वि.	24,81.29 (-)10,81.91	13,99.38	13,76.94	(-)22.44	10,81.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11,44.86 लाख ₹ ¼समर्पण 6,31.91 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,12.95 लाख ₹ की कमी एवं 62.95 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः 7वें वेतनमान के लागू किये जाने, डी.डी. ओ. एवं जिला अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने से, वित्त विभाग द्वारा आहरण एवं क्रय पर प्रतिबंध लगाने, वित्तीय वर्ष 2016—17 के व्यय से अधिक व्यय पर प्रतिबंध, एवं चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि 7वें वेतनमान लागू होने से बढे हुये वेतन के भुगतान करने, वर्ष की शेष अवधि के लिये राशि की आवश्यकता होने, मजदूरी की दर में वृद्धि होने एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी घोषित किये जाने के कारण हुई।
2225-02.277.0102.1385- छात्र गृह योजना	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-)55,23.93	94,76.07	94,76.07	0.00	55,23.93 लाख ₹ ¼समर्पण 83.93 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 54,40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं करने एवं योजनान्तर्गत शीर्ष 44—001—राज सहायता की बजाय शीर्ष 42—007 सहायक अनुदान से व्यय किये जाने से बचत हुई (9,43.93 लाख ₹)। 45,80.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.277.0102.2676- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	1,50,20.00 (-)62,79.00	87,41.00	87,41.00	0.00	62,79.00 लाख ₹ की (समर्पण 12,62.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 50,17.00 लाख ₹) प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने से हुई (12,62.00 लाख ₹)। 50,17.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)4,30.00	70.00	69.97	(-)0.03	4,30.00 लाख ₹ (समर्पण 30.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,00.00 लाख ₹) प्रत्याशित बचत अंशतः डी.डी.ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने से हुई (30.00 लाख ₹)। 4,00.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.277.0102.8832- आश्रमों/छात्रावासों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	76,69.00 (-)22,05.18	54,63.82	54,21.77	(-)42.05	22,05.18 लाख ₹ की (समर्पण 15,62.18 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 6,43.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा आहरण एवं क्रय पर प्रतिबंध लगाने, वित्तीय वर्ष 2016-17 के व्यय से अधिक व्यय पर प्रतिबंध एवं वास्तविक व्यय के परिणामस्वरूप अपेक्षित बचत होने के कारण हुई।
2225-02.277.0102.8843- शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों को पुरस्कार	मूल पुनर्वि.	4,73.70 (-)4,62.44	11.26	11.26	0.00	4,62.44 लाख ₹ (समर्पण 21.74 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,40.70 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर योजना में बचत होने से हुई।
2225-02.794.0602.5211- आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	पूरक	35,17.09	35,17.09	27,34.64	(-)7,82.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.794.0602.9819- विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	मूल पुनर्वि.	15,00.02 (-)1,50.00	13,50.02	5,66.79	(-)7,83.23	1,50.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.800.0802.6500- विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	मूल पूरक पुनर्वि.	1,00,00.00 54,82.31 (-)33,90.00	1,20,92.31	90,16.76	(-)30,75.55	33,90.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्ति न करने एवं चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न मिलने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-06.800.0102.7211- अनु.जाति/जनजाति हेतु विद्युतीकरण योजना	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-)30,64.00	59,36.00	50,35.78	(-)9,00.22	30,64.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति नहीं मिलने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.0671- एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान	मूल पुनर्वि.	15,06.75 29,36.76	44,43.51	42,92.83	(-)1,50.68	29,36.76 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 30,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 63.24 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को पांचवां वेतनमान स्वीकृत किये जाने के कारण अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने के कारण हुई जबकि कमी जिलों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.277.0102.5202- व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को शुल्क की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	10.00 4,40.70	4,50.70	4,50.70	0.00	4,40.70 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लंबित दायित्वों के भुगतान किये जाने के कारण हुआ।
2225-02.277.0102.6175- राज्य छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	40,00.00 50,00.00	90,00.00	90,00.00	0.00	50,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 एवं 10 वीं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत(-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.6502-पोस्ट मेट्रिक छात्रावास	मूल पुनर्वि.	9,42.57 1,73.95	11,16.52	10,95.28	(-)21.24	1,73.95 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 8,77.25 लाख ₹ की वृद्धि एवं 7,03.30 लाख ₹ (समर्पण 6,93.05 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10.25 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये राशि की आवश्यकता होने, 7वें वेतनमान लागू होने से बढ़े हुये वेतन का भुगतान किये जाने, मजदूरी की दर में वृद्धि एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी घोषित किये जाने के कारण हुई। कमी डी.डी.ओ. एवं जिलों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने, 7वें वेतनमान में ग्रेड-पे समाप्त किये जाने, 2016-17 के व्यय से अधिक व्यय प्रतिबंध होने एवं चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न होने के कारण हुई।
2225-02.800.0102.8011-सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	1,00.00 50.00	1,50.00	1,44.98	(-)5.02	50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन जिलों द्वारा अतिरिक्त बजट की मांग के कारण हुई।
2225-02.800.0102.9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	मूल पुनर्वि.	0.01 48,98.10	48,98.11	48,97.66	(-)0.45	48,98.10 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 83,76.10 लाख ₹ की वृद्धि और 34,78.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन किये जाने, राज्य स्तर पर 3 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरणों के अमले के वेतन भत्ते एवं प्राधिकरणों में मनोनीत अध्यक्षों के मानदेय एवं सत्कार भत्ते भुगतान के कारण हुई। कमी जिलों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई।
2225-02.800.0102.9853-आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास	मूल पुनर्वि.	75.00 6,10.16	6,85.16	6,58.53	(-)26.63	6,10.16 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 8,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,89.84 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भैंसदेही जिला बैतूल में माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा 2017 के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध एवं जिलों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

प्रभारित

(5) 5.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

- (6) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 (50,00.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (6,07,27.56 लाख ₹) में 6,57,27-56 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) 6,69,75.93 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 5,92,97.64 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.0102.0581- हाई स्कूल एवं हॉयर सेकेन्डरी शालायें	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)48,04.00	51,96.00	51,04.20	(-)91.80	48,04.00 लाख ₹ (समर्पण 28,04.00 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 20,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत हाई स्कूल उ.मा. शाला भवन निर्माण मद में कार्यों की स्वीकृति न होने एवं चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय अनुमति न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4225-02.102.0802.7881- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	मूल पूरक पुनर्वि.	2,31,44.00 2,28,47.17 (-)2,54,89.53	2,05,01.64	1,66,35.14	(-)38,66.50	2,54,89.53 लाख ₹ (समर्पण 2,54,22.43 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 67.10 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न होने, डी.डी. ओ. द्वारा राशि का आहरण नहीं करने एवं कड़कनाथ के चूजे आदिवासियों को भीषण गर्मी के कारण माह जून 2018 से दिये जाने के कारण हुई (20,62.25 लाख ₹)। 2,34,27.28 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0702.8799- छात्रावास भवन निर्माण	मूल	10,00.00	0.00	0.00	0.00	30,00.00 लाख ₹ संपूर्ण प्रावधान की पुनर्विनियोग के रूप में की प्रत्याशित बचत प्रथम अनुपूरक अनुमान में सिग्मेन्ट कोड 0102 में प्रेषित प्रस्ताव के विरुद्ध सिग्मेन्ट कोड 0702 में प्रावधान किये जाने के कारण हुई।
	पूरक	20,00.00				
	पुनर्वि.	(-)30,00.00				
4225-02.277.0702.8828- आश्रम/शाला भवन निर्माण	मूल	11,00.00	0.00	0.00	0.00	11,00.00 लाख ₹ संपूर्ण प्रावधान की पुनर्विनियोजन के रूप में की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-)11,00.00				
4225-02.277.0422.0762- कन्या शिक्षा परिसर	पूरक	2,00,00.00	1,08,00.00	81,59.62	(-)26,40.38	92,00.00 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वित्त वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न मिलने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	(-)92,00.00				
4225-02.800.0602.5211- आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल	2,70,00.00	2,68,58.98	2,68,58.98	0.00	व्यय राशि में से 7,07.70 लाख ₹ को इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2018 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था। 1,80,21.41 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अंशतः आहरण पर प्रतिबंध होने, वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न मिलने एवं बी.सी.ओ. से बी.सी.ओ. में राशि मार्च अंत में प्राप्त होने के कारण हुई (1,04,93.47 लाख ₹)। 75,27.94 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016—17, 2015—16 एवं 2014—15 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	1,78,80.39				
	पुनर्वि.	(-)1,80,21.41				

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.800.0102.4722- अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	1,25,00.00 (-)20,66.88	1,04,33.12	1,01,40.47	(-)2,92.65	20,66.88 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति न मिलने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-02.800.0102.7746- स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00	0.00	10,00.00 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में) के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना संचालित न होने के कारण हुई।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0102.8799- छात्रावास भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,00.00 60,29.00	65,29.00	62,13.35	(-)3,15.65	60,29.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन 61,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 71.00 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु कम प्रावधान होने एवं प्रथम अनुपूरक अनुमान में सिग्मेन्ट कोड-0102 में प्रेषित प्रस्ताव के विरुद्ध कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई। कमी वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत से अधिक व्यय की अनुमति नहीं मिलने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 34-सामाजिक न्याय

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,11,66,60			
पूरक	0	6,11,66,60	4,42,98,93	(-)1,68,67,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 जून 2017 एवं 31 मार्च 2018)				1,34,28,42

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,00			
पूरक	0	3,00	00	(-)3,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 1,68,67.67 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 जून 2017 एवं 31 मार्च 2018 को 1,34,28.42 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.2304- निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	36,79.77 (-)10,42.90	26,36.87	27,02.75	+ 65.88	10,42.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,51.90 लाख ₹ की कमी (समर्पण 10,42.30 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 9.00 लाख ₹) एवं 9.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति शीर्ष में बचत होने, कर्मचारियों की संख्या कम होने, प्रशिक्षण आयोजित न होने, वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध एवं पद रिक्त रहने के कारण बचत हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.0101.6584- अन्त्योदय मेलों का आयोजन	मूल पुनर्वि.	6,93.00 (-)2,67.68	4,25.32	3,97.98	(-)27.34	2,67.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण के रूप में½ foRr foHkkx }kjk izfrca/k ds dkj.k gqbZA अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.101.0103.0079- दृष्टि श्रवण बाधित शालाएँ तथा संस्थाएँ	मूल पुनर्वि.	3,13.79 (-)2,86.56	3,13.79	42.89	(-)2,70.90	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.101.0102.0079- दृष्टि श्रवण बाधित शालाएँ तथा संस्थाएँ	मूल पुनर्वि.	4,18.30 (-)2,86.56	1,31.74	1,14.06	(-)17.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.101.0101.0073- अंध, मूक बधिर शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	35,94.06 (-)4,44.02	31,50.04	32,39.67	+ 89.63	4,44.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.200.0795- कला पथक	मूल पुनर्वि.	10,63.68 (-)3,30.88	7,32.80	7,25.75	(-)7.05	3,30.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) कर्मचारियों की संख्या कम होने, प्रशिक्षण एवं सेमीनार का आयोजन न होने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.800.0801.7569- निःशक्तजनों के लिये बाधा रहित वातावरण	मूल पुनर्वि.	6,30.00 (-)6,30.00	0.00	1,42.89	+ 1,42.89	6,30.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य संपूर्ण प्रावधान को समर्पित किये जाने के कारण हुआ।
2235-02.800.0103. 6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-)6,30.00	30,00.00	17,00.16	(-)12,99.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

सहायता योजना)					
---------------	--	--	--	--	--

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.800.0102.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पुनर्वि.	45,00.00 (-)20,93.80	24,06.20	24,32.33	+ 26.13	समर्पण के रूप में 20,93.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.800.0101.6692- मुख्यमंत्री निकाह योजना	मूल पुनर्वि.	9,00.00 (-)4,29.25	4,70.75	4,70.75	0.00	समर्पण के रूप में 4,29.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निकाह की संख्या कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.800.0101.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)18,20.26	56,79.74	56,54.87	(-)24.87	समर्पण के रूप में 18,20.26 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.110.0103.5614- जनश्री बीमा योजना	मूल	7,00.01	7,00.01	0.00	(-)7,00.01	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-60.110.0102.5247- आम आदमी बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	5,40.01 (-)4,35.01	1,05.00	1,05.00	0.00	समर्पण के रूप में 4,35.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
2235-60.110.0102.5614- जनश्री बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	10,50.01 (-)10,50.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में 10,50.01 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
2235-60.110.0101.5247- आम आदमी बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	9,00.00 (-)7,60.00	1,40.00	1,40.00	0.00	समर्पण के रूप में 7,60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-60.110.0101.5614- जनश्री बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	17,50.00 (-)17,50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में 17,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

- (3) 3.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(मुख्य शीर्ष-2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,94,76,45			
पूरक	75,00,00	7,69,76,45	7,64,35,34	(-)5,41,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,74,72

राजस्व:

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,01			
पूरक	0	3,01	00	(-)3,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,02

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	81,50,04			
पूरक	1,60,50,00	2,42,00,04	2,22,71,23	(-)19,28,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,99,92

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 5,41.11 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2018 में प्राप्त किया गया 75,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 5,41.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 2,74.72 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि 5,41.11 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुये:—

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

(अ) बचत:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-001.3370-मध्यवर्ती कार्यालय	मूल पुनर्वि.	14,22.66 (-)2,12.94	12,09.72	11,19.86	(-)89.86	2,12.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,80.71 लाख ₹ (समर्पण 1,23.94 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,56.77 लाख ₹) की कमी एवं 67.77 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः विभागीय अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से किराये के वाहन की आवश्यकता न होने से दिनांक 01.07.2017 से सातवा वेतनमान लागू होने से, मंहगाई भत्ते की दर पुनरीक्षित होने से बचत होने, म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू होने से, अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। वृद्धि मुख्यतः दूरभाष एवं फोटो कॉपी के लम्बित बिलों का भुगतान करने, कम बजट आवंटन होने, वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू होने के कारण वेतन मद में वृद्धि होने से, एवं श्री पंकज जोशी की किडनी ट्रांसप्लांट होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। 1.36 लाख ₹ प्रत्येक की अवशेष कमी और वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-200.1464-जिला उद्योग केन्द्र	मूल पुनर्वि.	53,62.32 (-)3,94.67	49,67.65	50,32.58	+64.93	3,94.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11,30.08 लाख ₹ (समर्पण 99.67 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10,30.41 लाख ₹) एवं 7,35.41 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः सातवां वेतनमान लागू होने से ग्रेड पे का प्रावधान समाप्त होने से, पुनरीक्षित वेतनमान में मंहगाई भत्ते की दर पुनरीक्षित होने से, वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत होने से, अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने से एवं वित्त विभाग द्वारा आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण होना सूचित की गई जबकि वृद्धि जिलों एवं मुख्यालय में रखे गये कम्प्यूटर ऑपरेटर्स/कर्मचारियों के वेतन के भुगतान किये जाने से, वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू होने से वेतन मद में वृद्धि होने से, लंबित देयकों का भुगतान किये जाने से, कम बजट प्रावधान होने से एवं श्री एस.के. मीणा की पुत्री के इलाज हेतु अतिरिक्त प्रावधान की मांग होने से किया जाना सुनिश्चित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-800.0103.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	90,00.00 57.14	90,57.14	90,57.14	0.00	57.14 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-800.0101.7589- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,01,00.00 30,00.00 (-)8.32	1,30,91.68	1,30,31.45	(-)60.23	8.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,01.20 लाख ₹ (समर्पण 8.32 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 92.88 लाख ₹) की कमी एवं 92.88 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः योजनान्तर्गत प्रशिक्षण मद में प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य शर्त नहीं होने के कारण हुई (92.88 लाख ₹)। वृद्धि योजनान्तर्गत मार्जिन मनी के अभाव के कारण हुई। 8.32 लाख ₹ की अवशेष कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(ब) आधिक्य:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-800.0101.2124- एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन / सुविधा प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	1,58,00.01 (-)0.01	1,58,00.00	1,59,37.58	+1,37.58	0.01 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) 19,28.81 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया 1,50,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था, जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 10,50.00 लाख ₹ अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 19,28.81 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 1,99.92 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-101.0101.6749- भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमाकेशन सर्विस चार्ज	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-)20.56	2,29.44	1.84	(-)2,27.60	20.56 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (अक्टूबर 2018)।
4851-101.0101.6750- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-)98.83	69,01.17	54,53.54	(-)14,47.63	98.83 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आहरण पर प्रतिबंध के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4851-800.0101.6481- ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,00.01 (-)80.51	19.50	19.50	0.00	80.51 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 36—परिवहन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2041-वाहन कर, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय एवं 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	75,06,87			
पूरक	सांकेतिक	75,06,87	63,45,58	(-)11,61,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	55,01,00			
पूरक	0	55,01,00	23,89,71	(-)31,11,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				58,92

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 11,61.29 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2041-001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल 6,52.56 पुनर्वि. 52.00	7,04.56	5,49.78	(-)1,54.78	52.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दैनिक वेतन मजदूरों को नियमित किये जाने से मजदूरी में वृद्धि एवं एरियर का भुगतान किये जाने, लंबित देयकों का भुगतान किये जाने से एवं एच.एस.आर.पी. कम्पनी के न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण हेतु गठित कमेटी के अभिभाषक को भुगतान किये जाने के कारण किया जाना सुचित किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36— परिवहन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2041-001.0101.2099- चालक/परिचालक कल्याण बोर्ड	मूल	4,00.01	4,00.01	0.00	(-)4,00.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2041-102.0679- उड़नदस्ता एवं चेक पोस्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	17,59.84 (-)52.00	17,07.84	14,02.41	(-)3,05.43	52.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कर्मचारियों को 7वें वेतनमान लागू होने एवं मंहगाई भत्ता 5 प्रतिशत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

- (3) 31,11.29 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 58.92 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.201.0101.7311- कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	45,00.00 (-)58.92	44,41.08	18,47.55	(-)25,93.53	58.92 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत अव्ययित राशि के समर्पित होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
5055-800.0101.1231- म.प्र. इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी	मूल	10,00.00	10,00.00	5,42.16	(-)4,57.84	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,64,66,67			
पूरक	सांकेतिक	1,64,66,67	1,56,14,85	(-)8,51,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,51,67

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	91,50,01			
पूरक	23,55,87	1,15,05,88	1,14,05,87	(-)1,00,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,00,01

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 8,51.82 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 8,51.67 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3452-01.101.0102.1251- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु सहायता	मूल	5,50.00			55.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कम आवंटन होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-)55.00	4,95.00	4,95.00	
3452-01.101.0101.1252- शहरी क्षेत्रों में पर्यटन विकास हेतु सहायता	मूल	6,50.00			65.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कम आवंटन होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-)65.00	5,85.00	5,85.00	

अनुदान संख्या 37-पर्यटन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3452-01.101.0101.6580- होटल प्रबंधन संस्थान, इन्दौर, रीवा, जबलपुर, भोपाल	मूल पुनर्वि.	5,50.00 (-)2,98.56	2,51.44	2,51.44	0.00	2,98.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः दावा प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ¼2,00.00 लाख ₹। 98.56 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
3452-01.101.0101.7857- हवाई उड़ान सेवा के लिए अनुदान	मूल पुनर्वि.	12,00.00 (-)11,00.00	1,00.00	1,00.00	0.00	11,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
3452-80.001.0101.1271- पूँजीगत अनुदान (मेला उत्सव, साउण्ड लाईट शो, पर्यटन सांख्यिकी एवं अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियां)	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)5,00.00	45,00.00	45,00.00	0.00	5,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कम आवंटन होने के कारण हुई।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3452-01.190.0101.3346- मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचना और प्रचार हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	63,00.00 11,98.56	74,98.56	74,98.56	0.00	11,98.56 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन जल महोत्सव एवं पर्यटन आकर्षणों के प्रचार-प्रसार हेतु रोड शो के लिये हुआ।

पूँजीगत:

- (4) 1,00.01 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 23,55.87 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 38—आयुष

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,85,51,99			
पूरक	4,89,83	3,90,41,82	3,42,78,60	(-)47,63,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	00	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	46,50,00			
पूरक	0	46,50,00	8,68,65	(-)37,81,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 4]89-83 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 47,63.22 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.101.4286-संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	मूल	4,55.85	4,55.85	3,13.96	(-)1,41.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0101.0461-आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	15,53.74 45.00	15,98.74	1,05.96	(-)14,92.78	45.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आर्वधन प्रावधान में 1,74.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,29.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान कम होने एवं सातवां वेतनमान लागू किये जाने के कारण हुई, जबकि कमी वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान अधिक होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-02.101.0101.4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	मूल पुनर्वि.	4,07.15 (-)50.00	3,57.15	2,45.71	(-)1,11.44	50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान अधिक होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2018)।
2210-02.101.0101.4286-संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	7,85.04 (-)1,20.00	6,65.04	2,29.32	(-)4,35.72	1,20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,00.00 लाख ₹ की कमी एवं 80.00 लाख ₹ वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सातवां वेतनमान लागू किये जाने से राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.101.0101.6639- नवीन आयुष औषधालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	11,31.09 (-)80.00	10,51.09	9,83.44	(-)67.65	80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,11.00 लाख ₹ की कमी एवं 1,31.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान अधिक होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध प्रावधान कम होने के कारण हुई।
2210-02.102.0101.4810- होम्योपैथिक औषधालय	मूल पुनर्वि.	16,10.69 (-)1,50.00	14,60.69	14,40.59	(-)20.10	1,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,20.00 लाख ₹ की कमी एवं 70.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सातवां वेतनमान लागू किये जाने से राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-02.103.0102.4760- यूनानी अस्पताल एवं औषधालय	मूल	2,31.39	2,31.39	42.33	(-)1,89.06	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-04.101.0101.9361- आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	मूल	3,86.75	3,86.75	0.00	(-)3,86.75	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-05.102.0101.8068- शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय	मूल पूरक	7,53.16 सांकेतिक	7,53.16	5,47.13	(-)2,06.03	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (1,07.53 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि सातवां वेतनमान लागू किये जाने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-02.103.0101.4760- यूनानी अस्पताल एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	3,85.64 1,50.00	5,35.64	4,52.70	(-)82.94	1,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,65.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 15.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सातवां वेतनमान लागू किये जाने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) 37,81.35 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-02.101.0701.1277- राष्ट्रीय मिशन ऑफ आयुष मेडिसिनल प्लांट सहित	मूल	22,00.00	22,00.00	1,54.80	(-)20,45.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.101.0101.0461- आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल	5,00.00	5,00.00	63.86	(-)4,36.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.110.0103.9361- आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	मूल	1,05.00	1,05.00	0.00	(-)1,05.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 38—आयुष समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-02.110.0102.9361- आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	मूल	1,40.00	1,40.00	3.83	(-)1,36.17	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-02.110.0101.9361- आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	मूल	4,55.00	4,55.00	0.00	(-)4,55.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-04.101.0101.0465- आयुर्वेदिक एवं अन्य औषधालय	मूल	6,00.00	6,00.00	8.14	(-)5,91.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

(मुख्य शीर्ष- 2408-खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य, भण्डारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6408-खाद्य, भण्डारण एवं भांडागार के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	16,10,14,08			
पूरक	20,86,85	16,31,00,93	15,76,25,60	(-)54,75,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3,00,97

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	60			
पूरक	0	60	00	(-)60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,50,05			
पूरक	0	1,50,05	50,59	(-)99,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 20,86.85 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया (1,31.85 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 में (19,55.00 लाख ₹) अनावश्यक सिद्ध हुआ।
 - (2) 54,75.33 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 3,00.97 लाख ₹ का अभ्यर्पण किया गया।
 - (3) यद्यपि 54,75.33 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखित अन्तर परिलक्षित हुये:—
- (अ) बचत:—**

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.001.0629- उपभोक्ता संरक्षण	मूल	19,07.85	19,07.85	15,62.19	(-)3,45.66	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (11.50 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2408-01.001.1471- जिला कार्यालय	मूल	34,12.85	34,12.85	29,68.51	(-)4,44.34	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (1,40.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी कम व्यय होने के कारण हुई जबकि वृद्धि जिला खाद्य कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी / कर्मचारियों के 01 माह के वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.101.0101.6627- खाद्यान्न उपार्जन की कम्प्यूटराईजेशन परियोजना	मूल पुनर्वि.	4,96.00 (-)3,34.80	1,61.20	1,11.60	(-)49.60	3,34.80 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत मितव्ययिता उपायों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0701.7367- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराइजेशन	मूल पुनर्वि.	27,05.91 (-)9,65.42	17,40.49	6,05.51	(-)11,34.98	9,65.42 लाख ₹ की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0103.5623- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	1,10,00.00 (-)10,00.00	1,00,00.00	1,00,00.00	0.00	10,00.00 लाख ₹ की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के कारण हुई।
2408-01.102.0102.5623- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-)12,00.00	1,38,00.00	1,36,85.09	(-)1,14.91	12,00.00 लाख ₹ की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2408-01.102.0101.5623- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना	मूल पुनर्वि.	2,40,00.00 (-)22,00.00	2,18,00.00	2,18,00.00	0.00	22,00.00 लाख ₹ की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के कारण हुई।
2408-01.190.0102.9214- आयोडीन नमक का वितरण	मूल पुनर्वि.	35,10.00 (-)15,00.00	20,10.00	19,15.14	(-)94.86	15,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत मितव्ययी उपायों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(ब) आधिक्य:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.3229- म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	1,90,00.00 84,26.44	2,74,26.44	2,74,25.99	(-)0.45	84,26.44 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन इस शीर्ष के अन्तर्गत म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को हुई हानि की पूर्ति हेतु लगभग 15,00.00 लाख ₹ के लंबित दावों के भुगतान होने से हुआ।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण समाप्त

प्रभारित

(4) 0.60 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

(5) 99.46 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6408-01.190.0173- अनाज का क्रय	मूल	1,50.00	1,50.00	50.59	(-)99.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	31,18,94,76			
पूरक	सांकेतिक	31,18,94,76	27,55,13,36	(-)3,63,81,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				8,16,25

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	00	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,11,80,02			
पूरक	15,00,00	3,26,80,02	75,74,16	(-)2,51,05,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,00,01

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 3,63,81.40 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 8,16.25 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.001.0103.0731-	मूल	6,10.56	6,10.56	0.00	(-)6,10.56	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
बालिका छात्रावास का संस्थापना एवं संचालन सुरक्षा व्यवस्था तथा मैस संचालन						
2202-02.001.0102.0731-	मूल	9,54.00	9,54.00	0.00	(-)9,54.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
बालिका छात्रावास का संस्थापना एवं संचालन सुरक्षा व्यवस्था तथा मैस संचालन						
2202-02.001.0101.0731-	मूल	22,51.44	22,51.44	0.71	(-)22,50.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
बालिका छात्रावास का संस्थापना एवं संचालन सुरक्षा व्यवस्था तथा मैस संचालन						
2202-02.001.0101.8808-	मूल	9,00.00	9,00.00	36.78	(-)8,63.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य						
2202-02.109.0581- हाई स्कूल एवं हायर सेकेन्डरी शालाएं	मूल पुनर्वि.	12,20,84.55 3,91.00	12,24,75.55	11,13,25.69	(-)1,11,49.86	3,91.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,81,02.57 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,77,11.57 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.109.4193- शासकीय विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यवसायिकरण	मूल पुनर्वि.	77,69.82 30.00	77,99.82	70,09.60	(-)7,90.22	30.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 12,74.84 लाख ₹ की वृद्धि तथा 12,44.84 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0103.0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)66,74.00	13,26.00	1,51.08	(-)11,74.92	66,74.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0103.2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल	7,11.37	7,11.37	0.00	(-)7,11.37	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0103.6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल	21,93.35	21,93.35	2,75.22	(-)19,18.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0102.0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)85,60.73	14,39.27	9,39.54	(-)4,99.73	85,60.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0102.2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल	7,21.89	7,21.89	0.00	(-)7,21.89	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0102.6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	53,65.73 (-)3,85.00	49,80.73	12,05.68	(-)37,75.05	3,85.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0101.0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	3,20,00.00 (-)1,85,33.57	1,34,66.43	1,36,38.93	+ 1,72.49	1,85,33.57 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0101.0816-उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण	मूल	8,14.88	8,14.88	0.57	(-)8,14.31	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0101.2076-1736/हायर सेकेण्डरी स्कूल में विद्युत कनेक्शन	मूल	8,85.00	8,85.00	0.00	(-)8,85.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0101.2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल	13,25.34	13,25.34	0.00	(-)13,25.34	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0101.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	15,55.63 (-2,75.00)	12,80.63	6,73.84	(-)6,06.79	2,75.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-80.107.0102.5133- अन्य छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	6,49.70 (-29.40)	6,20.30	1.32	(-)6,18.98	29.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2204-102.3755- राष्ट्रीय सैन्य दल-वरिष्ठ संभाग	मूल पुनर्वि.	33,61.62 (-6,13.09)	27,48.53	27,51.05	+ 2.52	6,13.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,55.21 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,13.09 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 2,42.12 लाख ₹) ,oa 2]42-12 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मुख्यतः नियमित एवं आकस्मिक कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं असामयिक निधन, पद रिक्त होने, मितव्ययता कटौती, डी.डी.ओ. द्वारा यथा समय पर देयक प्रस्तुत न करने, अंशकालीन एन.सी.सी अधिकारियों के पद रिक्त होने, वित्त विभाग द्वारा व्यय की कुछ मदों पर प्रतिबंध लगाये जाने, आवंटित संख्या अनुसार छात्रों द्वारा एन.सी.सी. कैम्पों में हिस्सा न लेने एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अवकाश के दिनों का वेतन भुगतान न किये जाने के कारण हुई (6,13.09 लाख ₹)। 2,42.12 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.106.0103.2414- निःशुल्क पाठ्य पुस्तके	मूल पुनर्वि.	18,00.00 16,74.00	34,74.00	34,74.00	0.00	16,74.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0703.6005- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,04,00.00 51,86.75	1,55,86.75	1,55,86.75	0.00	51,86.75 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0702.6005- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,94,60.00 86,72.15	2,81,32.15	2,81,32.15	0.00	86,72.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-02.109.0701.6005- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	3,47,75.00 1,71,44.30	5,19,19.30	5,17,64.26	(-)1,55.04	1,71,44.30 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2202-02.109.0101.6968- हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	13,55.92 9,19.00	22,74.92	18,92.55	(-)3,82.37	9,19.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन प्रावधान में 12,19.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,00.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-05.103.4321- संस्कृत शालाएं	मूल पुनर्वि.	1,50.00 2,75.00	4,25.00	3,81.44	(-)43.56	2,75.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2204-102.4598- स्काउट एसोसियेशन को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,48.00 50.73	1,98.73	1,92.82	(-)5.91	50.73 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में प्राप्त fd;k x;k 15]00-00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 2,51,05.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को मात्र 2,00.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.0103.0816-	मूल	7,60.00	7,60.00	0.00	(-)7,60.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण						
4202-01.202.0103.6970-	मूल	31,10.00	31,10.00	1,32.84	(-)29,77.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार						
4202-01.202.0102.0816-	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण						
4202-01.202.0102.6970-	मूल	39,50.00	39,50.00	1,13.46	(-)38,36.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार						
4202-01.202.0101.0816-	मूल	22,40.00	22,40.00	0.00	(-)22,40.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
उत्कृष्ट विद्यालय तथा मॉडल स्कूल में छात्रावास निर्माण						
4202-01.202.0101.2076-	पूरक	8,85.00	8,85.00	2,65.50	(-)6,19.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
1736 / हायर सेकेण्डरी स्कूल में विद्युत कनेक्शन						
4202-01.202.0101.6970-	मूल पुनर्वि.	1,43,40.00 (-)13,07.36	1,30,32.64	28,60.50	(-)1,01,72.14	13,07.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 20,00.00 लाख ₹ की कमी एवं 6,92.64 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार						

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) समाप्त**

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.0103.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	50.00 2,00.00	2,50.00	1,05.03	(-)1,44.97	2,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-01.202.0102.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	80.00 2,00.00	2,80.00	1,41.25	(-)1,38.75	2,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-01.202.0101.1498- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत अपूर्ण कार्यों से संबंधित व्यय	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 15,00.00	15,00.00	14,95.07	(-)4.93	15,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.202.0101.2077- आवासीय खेलकूद सीहोर एवं षारीरिक शिक्षा विद्यालय षिवपुरी के रिनोवेषन हेतु	मूल	2,00.00	2,00.00	2,42.68	+ 42.68	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-01.202.0101.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	1,50.00 1,00.00	2,50.00	3,33.79	+ 83.79	1,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

**अनुदान संख्या 41—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष—2217-शहरी विकास)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	86,52			
पूरक	0	86,52	00	(-)86,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 86.52 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.7400- सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	मूल	86.52	86.52	0.00	(-)86.52	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,07,14,71			
पूरक	1	1,07,14,72	93,85,47	(-)13,29,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				12,97,09

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,45,02			
पूरक	0	5,45,02	2,17,86	(-)3,27,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				3,28,04

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 13,29.25 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 0.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 13,29.25 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 12,97.09 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वासि जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.1994- देशी चिकित्सा पद्धति	मूल पुनर्वि.	2,22.80 (-)39.93	1,82.87	1,80.22	(-)2.65	39.93 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 52.53 लाख ₹ की कमी (समर्पण 39.93 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 12.60 लाख ₹) एवं 12.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य देयक प्राप्त न होने, सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे समाप्त किये जाने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वर्दी क्रय न होने से हुई (39.93 लाख ₹), जबकि वृद्धि सातवें वेतनमान लागू होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 12.60 लाख ₹ की शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2210-01.001.6016- जवाहर लाल नेहरू अस्पताल	मूल पुनर्वि.	17,98.07 (-)2,52.85	15,45.22	15,41.42	(-)3.80	2,52.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः राशि अव्ययित रहने, पद रिक्त रहने, अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, महंगाई भत्ते की दरों में कमी होने एवं चिकित्सालय में सफाई/सुरक्षा व्यवस्था ठेके पर होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.001.6954- शाकिर अली खान अस्पताल	मूल पुनर्वि.	9,16.26 (-)1,31.50	7,84.76	7,82.61	(-)2.15	1,31.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः इस संस्था में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कटौती होने से हुई (6.68 लाख ₹) 1,24.82 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.7007- पल्मोनरी इकाई	मूल पुनर्वि.	9,05.55 (-),1,16.86	7,88.69	7,82.88	(-),5.81	1,16.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,17.50 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,16.86 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 0.64 लाख ₹) एवं 0.64 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने, सातवां वेतन आयोग लागू होने के कारण ग्रेड पे समाप्त किये जाने, सेवानिवृत्ति एवं अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने, संविदा चिकित्सकों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने एवं संबंधित इकाई से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि डाक्टरों को प्रेक्टिस निषेध भत्तों के भुगतान किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-01.001.0101.0775- कमला नेहरू अस्पताल	मूल पुनर्वि.	17,66.29 (-),1,97.00	15,69.29	15,44.42	(-),24.87	1,97.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,67.26 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,97.26 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 1,70.00 लाख ₹) एवं 1,70.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने, पद रिक्त रहने, सर्वर में देयक जनरेट नहीं होने, विशेष कार्य योजना के लागू न होने, प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण हुई (2,51.46 लाख ₹), जबकि वृद्धि सातवां वेतनमान लागू होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं चिकित्सालय के संचालन हेतु उपयोगी, डिस्पोजेबल पैथलॉजी किट एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री के क्रय किये जाने के कारण हुई। 1,15.80 लाख ₹ की शेष कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.8873- इंदिरा गांधी अस्पताल	मूल पुनर्वि.	18,48.78 (-)-2,61.96	15,86.82	16,01.27	+14.45	2,61.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,71.96 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,61.96 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 1,10.00 लाख ₹) एवं 1,10.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने पदोन्नति, स्थानान्तरण अथवा चिकित्सा अधिकारियों के सेवा निवृत्ति होने से हुई (2,61.96 लाख ₹)। 1,10.00 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.001.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना दावा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	4,06.33 (-)-88.99	3,17.34	3,20.75	+3.41	88.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 96.99 लाख ₹ की कमी (समर्पण 88.99 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 8.00 लाख ₹) एवं 8.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, दूरभाष में कम व्यय होने एवं वित्त विभाग से खाता खोलने की स्वीकृति प्राप्त न होने से राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में गठित मानिट्रिंग कमेटी के अध्यक्ष महोदय को उपलब्ध कराये गए वाहन एवं संचालन हेतु किराये पर लिए गए वाहन के किराये की राशि के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई।

अनुदान संख्या 42-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वासि समाप्त

पूँजीगत:

- (4) 31 मार्च 2018 को किया गया 3,28.04 लाख ₹ का समर्पण 3,27.16 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.110.6954- शाकिर अली खान अस्पताल	मूल पुनर्वि.	20.00 (-)15.65	4.35	5.24	+0.89	15.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
4210-01.110.7007- पल्मोनरी इकाई	मूल पुनर्वि.	35.00 (-)14.35	20.65	20.65	0.00	14.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई।
4210-01.110.0101.0775- कमला नेहरू अस्पताल	मूल पुनर्वि.	3,35.00 (-)1,92.04	1,42.96	1,42.96	0.00	1,92.04 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने पर रिक्त रहने, सर्वर में देयक जनरेट न होने, विशेष कार्य योजना के लागू न होने एवं प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण राशि अप्रयुक्त रहने से हुई।
4210-01.110.0101.8873- इंदिरा गांधी अस्पताल	मूल पुनर्वि.	1,35.00 (-)95.44	39.56	39.56	0.00	95.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने एवं प्रशासकीय स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने के कारण राशि अप्रयुक्त रहने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई।
4235-01.201.6281- गैस प्रभावित क्षेत्र में निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	10.00 (-)10.00	0.00	0.00	0.00	10.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत इस अनुभाग में राशि अव्ययित रहने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2204-खेल तथा युवा सेवायें, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,53,36,94			
पूरक	1	1,53,36,95	1,33,49,59	(-)19,87,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	70,45,00			
पूरक	0	70,45,00	41,09,49	(-)29,35,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,26

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 0-01 yk[k ₹ dk vuqiwjd izko/kku अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 19,87.36 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2204-800.0103.2050- स्वामी विवेकानन्द स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेन्टर	मूल	1,72.55	1,72.55	0.00	(-)1,72.55 बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2204-800.0102.1079- खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	मूल	1,29.02	1,29.02	50.29	(-)78.73 बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2204-800.0102.2050- स्वामी विवेकानन्द स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेन्टर	मूल पुनर्वि.	3,86.40 (-)76.03	3,10.37	0.00	(-)3,10.37 76.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2204-800.0101.1079-	मूल	4,55.30	4,55.30	2,44.40	(-)2,10.90 बचत के कारण सूचित नहीं

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण					किए गये है (अक्टूबर 2018)।
-------------------------	--	--	--	--	----------------------------

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2204-800.0101.1190- ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	मूल	89.29	89.29	36.59	(-)52.70	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)।
2204-800.0101.2050- स्वामी विवेकानन्द स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेन्टर	मूल	1,41.05	1,41.05	0.00	(-)1,41.05	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)।
2204-800.0101.5731- क्रिकेट अकादमी ग्वालियर को अनुदान	मूल	1,44.16	1,44.16	88.88	(-)55.28	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)।
2204-800.0101.7267- डे बोर्डिंग बेडमिन्टन/टेनिस	मूल	1,50.00	1,50.00	98.97	(-)51.03	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)।
2204-800.0101.7269- हॉकी सिन्थेटिक टर्फ	मूल	9,82.08	9,82.08	7,94.28	(-)1,87.80	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2204-800.0102.4938- युवा संधि को अनुदान	मूल	1,82.40	1,82.40	2,65.85	+83.45	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

- (5) 29,35.51 लाख ₹ की वृहद बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 5.26 लाख ₹ की राशि समर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.800.0101.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	17,00.00	17,00.00	8,55.97	(-)8,44.03	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)।
4202-01.800.0101.6703- स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल पुनर्वि.	20,61.00 (-)5.26	20,55.74	16,62.53	(-)3,93.21	5.26 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-03.102.0101.2050- स्वामी विवेकानन्द स्पोर्ट्स एण्ड फिटनेस सेन्टर	मूल	10,50.00	10,50.00	0.00	(-)10,50.00	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-03.800.0102.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल	4,80.00	4,80.00	3,13.63	(-)1,66.37	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-03.800.0102.6703- स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल	8,64.00	8,64.00	6,88.99	(-)1,75.01	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,44,16,92			
पूरक	0	17,44,16,92	15,47,20,27	(-)1,96,96,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				93,77,67

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,00			
पूरक	0	20,00	90	(-)19,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,49,20,02			
पूरक		5,49,20,02	1,62,22,77	(-)3,86,97,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,99,37,84

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 1,96,96.65 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 93,77.67 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.001.0701.7599- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)99.61	1,00.39	80.39	(-)20.00	99.61 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत वेतन एवं भत्ते का आहरण नहीं किये जाने से हुई।
2202-03.001.0101.3443- महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	18,22.18 (-)3,13.65	15,08.53	14,74.82	(-)33.71	3,13.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,21.40 लाख ₹ ¼समर्पण 3,21.30 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.10 लाख ₹ ½ की कमी एवं 7-75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन एवं भत्तों में बचत एवं सातवें वेतनमान में महंगाई भत्ते में कमी होने के कारण हुई। वृद्धि सातवें वेतनमान में वेतन में वृद्धि होने एवं अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.102.0101.6938- हिन्दी विष्वविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	27,00.00 (-)1,86.97	25,13.03	20,63.02	(-)4,50.01	1,86.97 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत कटौती किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.6283- विष्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत एरियर्स भुगतान	मूल पुनर्वि.	15,82.62 (-)15,70.00	12.62	18.33	+5.71	15,70.00 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत यू.जी.सी. छठवें वेतनमान के एरियर का सम्पूर्ण भुगतान उपरांत शेष बची राशि को समर्पित होने के कारण हुई।
2202-03.103.1203.7464- म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)6,50.52	3,49.48	2,88.35	(-)61.13	6,50.52 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ. यू. की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण राशि व्यय/वितरित नहीं की जा सकी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.1202.7464-म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)3,75.01	1,24.99	1,04.97	(-)20.02	3,75.01 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण राशि व्यय/वितरित नहीं की जा सकी।
2202-03.103.1201.7464-म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	1,80.00 (-)1,65.72	14.28	5.23	(-)9.05	1,65.72 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण राशि व्यय/वितरित नहीं की जा सकी।
2202-03.103.0103.0742-अनु. जाति/जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	मूल पुनर्वि.	2,50.00 (-)2,50.00	0.00	0.00	0.00	2,50.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान को समर्पण के रूप में की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत नियम/निर्देश जारी नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.103.0103.4699-छात्रों के लिये पुस्तके/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल	12,00.00	12,00.00	7,78.05	(-)4,21.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-03.103.0103.6916-गांव की बेंटी योजना	मूल	3,50.00	3,50.00	2,48.79	(-)1,01.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-03.103.0102.0742-अनु. जाति/जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	2,00.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में की प्रत्याशित बचत योजनान्तर्गत नियम/निर्देश जारी नहीं होने के कारण हुई।
2202-03.103.0102.4699-छात्रों के लिये पुस्तके/स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल	11,00.00	11,00.00	7,78.76	(-)3,21.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-03.103.0102.5765-प्रयोगशाला का उन्नयन	मूल	1,20.00	1,20.00	36.17	(-)83.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-03.103.0102.8855-पी.एच.डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता	मूल	2,00.00	2,00.00	61.21	(-)1,38.79	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0798- कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	12,08,65.06 (-)44,24.27	11,64,40.79	10,90,61.58	(-)73,79.21	44,24.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के प्रावधान में 1,05,95.77 लाख ₹ ¼समर्पण 45,95.77 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 60,00.00 लाख ₹) की कमी एवं 61,71.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन भत्तों में बचत होने, कार्यालय व्यय मदों में महाविद्यालय द्वारा अपेक्षित व्यय नहीं किये जाने एवं यू.जी.सी. वेतनमान को सातवां वेतनमान होने के कारण हुई। वृद्धि कम प्रावधान होने के कारण वित्तीय वर्ष शेष अवधि के लिये अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होने एवं मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-03.103.0101.5765- प्रयोगशाला का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	2,55.00 (-)31.86	2,23.14	1,01.51	(-)1,21.63	31.86 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 02 जनवरी 2018 से क्रय पर प्रतिबंध होने एवं वित्तीय वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत की सीमा तक व्यय निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-03.103.0101.7134- नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,36.61 (-)3,48.66	1,87.95	1,63.32	(-)24.63	3,48.66 लाख ₹ ¼समर्पण के रूप में ½ की प्रत्याशित बचत नवीन प्रारंभ किये गये महाविद्यालय के वेतन भत्ते का व्यय योजना शीर्ष 0798 के अन्तर्गत होने के कारण वेतन भत्ते मद में बचत होने एवं वित्त विभाग द्वारा 10 प्रतिशत राशि कटौती किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.7601- नैक द्वारा मूल्यांकित प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के लिए प्रोत्साहन राशि	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)28.00	72.00	18.68	(-)53.32	28.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत दिनांक 02.01.2018 से क्रय पर प्रतिबंध होने एवं वित्त वर्ष के चतुर्थ त्रैमास में 30 प्रतिशत तक की व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.107.0101.7173- छात्राओं को आवागमन सुविधा	मूल पुनर्वि.	4,50.00 (-)2,55.60	1,94.40	1,97.48	+3.08	2,55.60 लाख ₹ ¼समर्पण 76.45 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 1,79.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासन द्वारा योजना स्थगित किये जाने के कारण हुई।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान अधिक व्यय द्वारा प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.104.0101.7043- जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल	29,00.00	29,00.00	29,74.39	+74.39	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

राजस्व:

प्रभारित

- (4) 19.10 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(5) विनियोग में निम्न के अन्तर्गत बचत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0798- कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल	20.00	20.00	0.90	(-)19.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) 3,86,97.25 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 2,99,37.84 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.203.1203.7464-म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-)21,81.00	8,19.00	5,00.75	(-)3,18.25	21,81.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण राशि व्यय/वितरित नहीं की जा सकी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-01.203.1202.7464-म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	39,00.00 (-)28,36.00	10,64.00	9,17.81	(-)1,46.19	28,36.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण राशि व्यय/वितरित नहीं की जा सकी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-01.203.1201.7464-म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	1,14,20.00 (-)83,03.00	31,17.00	9,95.27	(-)21,21.73	83,03.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत विभिन्न संस्थाओं के साथ एम.ओ.यू. की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण राशि व्यय/वितरित नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-01.203.0703.7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	37,00.00 (-)28,33.00	8,67.00	8,66.94	(-)0.06	28,33.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण राशि आहरित नहीं किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.203.0702.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियोजन योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	31,27.00 (-)26,31.02	4,95.98	4,95.98	0.00	26,31.02 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण राशि आहरित नहीं किये जाने के कारण हुई।
4202-01.203.0701.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियोजन योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,46,73.00 (-)1,04,53.82	42,19.18	42,19.18	0.00	1,04,53.82 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण राशि आहरित नहीं किये जाने के कारण हुई।
4202-01.203.0103.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल पुनर्वि.	17,00.00 (-)6,00.00	11,00.00	5,40.40	(-)5,59.60	6,00.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याषित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-01.203.0102.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल	15,00.00	15,00.00	3,29.14	(-)11,70.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-01.203.0101.7643- शासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण आदि	मूल	68,00.00	68,00.00	28,07.91	(-)39,92.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2702-लघु सिंचाई, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,91,20,37			
पूरक	0	1,91,20,37	1,58,98,55	(-)32,21,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				29,09,59

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,25,16,10			
पूरक	5	8,25,16,15	8,06,10,03	(-)19,06,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				7,83,00

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	7,94	(-)2,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 32,21.82 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 29,09.59 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 45— लघु सिंचाई निर्माण कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2702-80.800.0103.0207- अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	6,90.40 (-)4,87.40	2,03.00	1,80.96	(-)22.04	4,87.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार राशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2018)।
2702-80.800.0102.0207- अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	42,30.99 (-)9,27.59	33,03.40	31,78.79	(-)1,24.61	9,27.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार राशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2018)।
2702-80.800.0101.0207- अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,26,92.98 (-)11,92.10	1,15,00.88	1,14,14.09	(-)86.79	11,92.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार राशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) 19,06.12 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 0.05 लाख ₹ जुलाई 2017 में ¼0-01 लाख ₹½ ,oa uoEcj 2017 esa ¼0-04 लाख ₹½ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (4) 19,06.12 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 7,83.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) यद्यपि 19,06.12 लाख ₹ की समग्र बचत, कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखित अन्तर परिलक्षित हुये:-

अनुदान संख्या 45— लघु सिंचाई निर्माण कार्य जारी

(अ) बचत:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4702-101.0701.6079- सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना ¼आर.आर. आर.½	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)55,75.00	19,25.00	19,51.23	+26.23	55,75.00 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित करने एवं निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4702-102.0101.6070- संगठन स्थापना ¼भू-जल½	मूल पुनर्वि.	6,16.09 (-)2,11.00	4,05.09	2,69.39	(-)1,35.71	2,11.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,41.00 लाख ₹ (समर्पण 2,11.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 30.00 लाख ₹) एवं 30.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः निर्माण कार्य की गति अपेक्षानुसार न होने के कारण हुई (2,11.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भुगतान करने के कारण हुई। 30.00 लाख ₹ की अवशेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य समाप्त

(ब) आधिक्य:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4702-101.0101.3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएँ	मूल पूरक पुनर्वि.	6,04,00.00 0.05 50,55.00	6,54,55.05	6,44,40.43	(-)10,14.61	50,55.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 57,60.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 7,05.00 लाख ₹ (समर्पण 5,30.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,75.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण हुई, जबकि कमी वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित करने एवं निर्माण कार्य तथा सर्वेक्षण कार्य की गति अपेक्षानुसार न होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये है (अक्टूबर 2018)।

(6) उचन्त लेनदेन:-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचन्त" के अंतर्गत 2017-18 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचन्त" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचन्त उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचन्त लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	01 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(लाख ₹ में)			
(1) क्रय	(-)1,31.77	0.00	0.00	(-)1,31.77
(2) भंडार	(-)27.12	0.00	0.00	(-)27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+65.36	0.00	0.00	+65.36
(4) कार्यशाला उचन्त	+0.10	0.00	0.00	+0.10
योग	(-)93.43	0.00	0.00	(-)93.43

प्रभारित

(7) 2.06 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान एवं 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,30,53,21			
पूरक	0	2,30,53,21	2,07,53,13	(-)23,00,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,00,00			
पूरक	0	4,00,00	4,00,00	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 23,00.08 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0701.7615- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना	8,00.00	8,00.00	1,60.00	(-)6,40.00 इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
3425-60.600.0101-6760- नई तकनीक हेतु मैप आई. टी. अथवा अन्य संस्थाओं को सहायता	10,00.00	10,00.00	9,00.00	(-)1,00.00 इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
3425-60.600.0101.6874- स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना	40,00.00	40,00.00	34,00.00	(-)6,00.00 इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 46-विज्ञान और टेक्नालॉजी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0101.7062- प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना	मूल	50,00.00	50,00.00	47,50.00	(-)2,50.00	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3425-60.600.0101.7257- राज्य आई.टी. संवर्ग हेतु अनुदान	मूल	15,00.00	15,00.00	14,00.00	(-)1,00.00	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3425-60.600.0101.7672- जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	50.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष— 2203-तकनीकी शिक्षा, 2230-श्रम तथा रोजगार, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,82,49,46			
पूरक	6,15,46	13,88,64,92	6,71,76,54	(-)7,16,88,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,14,45,00

6,71,76.54 लाख ₹ के कुल व्यय में शीर्ष 2230-03-001-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य) 7490—प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत आहरति एवं 31 मार्च 2018 को 8443—सिविल जमा—800 अन्य जमा में जमा की गई 21,46.66 लाख ₹ की राशि शामिल है।

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,09,99,43			
पूरक	16,85,70	3,26,85,13	2,29,32,86	(-)97,52,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				10,69

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 6,15.46 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 7,16,88.38 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 4,14,45.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-001.0702.7469-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	14,00.00 (-)14,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में 14,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
2203-001.0101.1869-तकनीकी शिक्षा संचालनालय	मूल	12,98.57	12,98.57	2,66.57	(-)10,32.00	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (4.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि दूरभाष, जल प्रभार एवं विद्युत के लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2203-104.0103.0820-मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मूल पुनर्वि.	80,00.00 (-)64,00.00	16,00.00	11,40.00	(-)4,60.00	समर्पण के रूप में 64,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पात्रता रखने वाले छात्रों के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2203-104.0102.0820-मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मूल पुनर्वि.	1,05,00.00 (-)84,00.00	21,00.00	19,30.00	(-)1,70.00	समर्पण के रूप में 84,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पात्रता रखने वाले छात्रों के दावे कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-104.0101.0820-मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	मूल पुनर्वि.	3,15,00.00 (-)2,54,50.00	60,50.00	33,92.07	(-)26,57.93	2,54,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 2,52,00.00 लाख ₹ +पुनर्विनियोजन 2,50.00 लाख ₹)। शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर पात्रता रखने वाले छात्रों के दावे कम प्राप्त होने एवं मेधावी विद्यार्थी के चयन प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2203-104.0101.5700-प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना	मूल पुनर्वि.	17,00.00 (-)3,00.00	14,00.00	5,97.07	(-)8,02.93	3,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2203-105.0103.2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	मूल	23,51.59	23,51.59	17,72.10	(-)5,79.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2203-105.0102.2667-पॉलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	32,84.41 (-)2,80.00	30,04.41	23,45.31	(-)6,59.10	2,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2203-112.0503-इंजीनियरिंग महाविद्यालय	मूल	47,20.67	47,20.67	41,88.00	(-)5,32.67	इस शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (0.70 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0701.1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल	7,30.00	7,30.00	6.32	(-)7,23.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2230-03.003.0103.0736-मुख्यमंत्री कौशल्या योजना	मूल	12,50.00	12,50.00	0.00	(-)12,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.003.0103.0740-	मूल	12,50.00	12,50.00	24.08	(-)12,25.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना						
2230-03.003.0103.0741-	मूल	16,00.00	16,00.00	0.00	(-)16,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)।
ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)						
2230-03.003.0102.0736-	मूल	12,50.00	12,50.00	3,78.31	(-)8,71.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन योजना						
2230-03.003.0102.0740-	मूल	12,50.00	12,50.00	18.94	(-)12,31.06	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना						
2230-03.003.0102.0741-	मूल	16,00.00	16,00.00	0.00	(-)16,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)।
ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)						
2230-03.003.0101.0736-	मूल	25,00.00	25,00.00	5,76.40	(-)19,23.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना						
2230-03.003.0101.0740-	मूल	25,00.00	25,00.00	12,41.81	(-)12,58.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना						
2230-03.003.0101.0741-	मूल	37,00.00	37,00.00	0.00	(-)37,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)।
ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)						
2230-03.101.0803.7490-	मूल	6,00.00	6,00.00	0.00	(-)6,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना						
2230-03.101.0802.7490-	मूल	8,40.00	8,40.00	0.00	(-)8,40.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना						
2230-03.101.0102.6471-	मूल	15,70.00	15,70.00	10,41.30	(-)5,28.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
जिला स्तर पर आदर्श आई.टी.आई. की स्थापना						

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-104.0102.8885- स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता	मूल पुनर्वि.	16,00.00 2,80.00	18,80.00	17,98.10	(-)81.90	2,80.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि सेवा भर्ती नियम 2004 के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों के वेतन भत्तों के भुगतान के कारण हुई।
2230-03.003.0101.6476- कौशल विकास की महत्ता का प्रचार प्रसार	मूल पुनर्वि.	12.00 2,50.00	2,62.00	94.31	(-)1,67.69	2,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि जिला स्तर पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल सम्मेलन में योजना के प्रचार प्रसार के कारण हुई।
2230-03.003.0101.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	10,99.53 3,30.00	14,29.53	12,56.48	(-)1,73.05	3,30.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,31.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,01.50 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मकान किराया भत्ता के अन्तर्गत प्रावधान कम होने एवं सातवां वेतनमान लागू किये जाने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 16,85.70 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) 97,52.27 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को मात्र 10.69 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-02.104.1401.6952- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण	मूल	35,20.00	35,20.00	18,22.93	(-)16,97.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-02.104.0701.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	पूरक	7,30.00	7,30.00	6.32	(-)7,23.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-02.104.0101.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	83,35.28 2,51.71	85,86.99	66,58.84	(-)19,28.15	2,51.71 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि पूर्व देनदारी एवं लो.नि.वि. (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) की मांग अनुसार भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-03.003.0103.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	9,00.00	9,00.00	0.00	(-)9,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-03.003.0102.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	9,00.00	9,00.00	2,58.60	(-)6,41.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4202-03.003.0101.0741- ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	मूल	13,00.00	13,00.00	0.00	(-)13,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)।

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-201.0103.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	20,14.80 57.00	20,71.80	21,47.07	+75.27	57.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि बजट प्रावधान कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4250-201.0102.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	27,97.30 23.54	28,20.84	33,85.47	+5,64.63	23.54 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि बजट प्रावधान कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2401-फसल कृषि कर्म, 2405-मछली उद्योग, 2801-बिजली, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	36,13,50			
पूरक	16,25,00	52,38,50	28,36,74	(-)24,01,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				23,95,47

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	26,89,54,76			
पूरक	3,10,00,01	29,99,54,77	25,07,42,45	(-)4,92,12,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				4,32,49,67

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	4,81	(-)20,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				10,19

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, नवम्बर 2017 में प्राप्त **fd;k x;k 16]25-00** लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 24,01.76 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 23,95.47 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-104.0101.4492- सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	मूल पुनर्वि.	13,90.40 (-)4,71.93	9,18.47	9,12.02	(-)6.45	4,71.93 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,72.80 लाख ₹ $\frac{1}{4}$ समर्पण 4,71.93 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,00.87 लाख ₹ $\frac{1}{2}$ की कमी एवं 1,00.87 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी शासन द्वारा आहरण प्रतिबंध लगाये जाने एवं मंहगाई भत्ते में प्रावधान के उपयोग नहीं होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	20.00 67.66 (-)82.73	4.93	4.93	0.00	समर्पण के रूप में 82.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश में प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2801-01.001.5018- बरगी केनाल बेडपावर हाउस के परिचालन एवं संधारण व्यय	मूल पूरक पुनर्वि.	2,00.00 15,57.34 (-)7,37.71	10,19.63	10,19.80	+0.17	समर्पण के रूप में 7,37.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर एवं शासन द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
2801-01.001.6818- सरदार सरोवर परियोजना के परिचालन एवं संधारण व्यय	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)11,00.00	9,00.00	9,00.00	0.00	समर्पण के रूप में 11,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय के आधार पर एवं शासन द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 3,10,00.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 (2,00,00.00 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (1,10,00.01 लाख ₹) esa izklr fd;k x;k अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 4,92,12.32 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 4,32,49.67 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-41.001.0101.2872- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	मूल पुनर्वि.	39,96.79 (-)7,57.46	32,39.33	29,47.45	(-)2,91.88	7,57.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,65.66 लाख ₹ $\frac{1}{4}$ समर्पण 9,55.66 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,10.00 लाख ₹ $\frac{1}{2}$ की कमी एवं 3,08.20 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वास्तविक व्यय के आधार पर, शासन द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं मंहगाई भत्ते में प्रावधान के उपयोग न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वास्तविकता आवश्यकता से कम प्रावधान होने, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन एवं एरियर के भुगतान एवं न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्य भारित/आकस्मिक कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-41.800.0703.2872- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	मूल पुनर्वि.	1,21,00.00 (-)30,63.19	90,36.81	91,21.07	+84.26	30,63.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 63.19 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 30,00.00 लाख ₹ $\frac{1}{2}$ अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (63.19 लाख ₹ $\frac{1}{2}$ 30,00.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-41.800.0701.2872- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)57,60.38	42,39.62	41,41.12	(-)98.50	57,60.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 73,60.38 लाख ₹ ¼समर्पण 3,60.38 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 70,00.00 लाख ₹ ½ की कमी एवं 16,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (23,60.38 लाख ₹)। वृद्धि वास्तविकता आवश्यकता से प्रावधान कम होने एवं तीव्रगति से चल रहे कार्यों के भुगतान के कारण हुई। 50,00.00 लाख ₹ की शेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-43.800.0703.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	54,00.00 (-)30,94.58	23,05.42	36,53.14	+13,47.72	30,94.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 20,64.34 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10,30.24 लाख ₹ ½ ds vk/kkj ij gqbZ (20,64.34 लाख ₹) 10,30.24 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-43.800.0702.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)28,68.98	71,31.02	52,78.75	(-)18,52.27	समर्पण के रूप में 28,68.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-43.800.0702.6534- इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)35,65.00	4,35.00	4,35.00	0.00	35,65.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 15,65.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 20,00.00 लाख ₹ ½ va'kr% dk;Z dh izxfr ds vk/kkj ij gqbZ (15,65.00 लाख ₹)। 20,00.00 लाख ₹ की अवशेष बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.800.0701.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,65,61.00 (-)1,60,58.24	5,02.76	7,31.63	+2,28.87	1,60,58.24 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 58.24 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,60,00.00 लाख ₹) अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (58.24 लाख ₹)। 1,60,00.00 लाख ₹ की अवशेष बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-45.800.0703.9091- औंकारेश्वर परियोजना	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)15,00.00	5,00.0	5,00.87	+0.87	समर्पण के रूप में 15,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर हुई।
4700-45.800.0702.9091- औंकारेश्वर परियोजना	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)12,07.73	22,92.27	8,49.35	(-)14,42.92	समर्पण के रूप में 12,07.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-45.800.0701.9091- औंकारेश्वर परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,37,30.00 (-)1,30,49.22	6,80.78	15,83.99	+9,03.21	1,30,49.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 6,39.22 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,24,10.00 लाख ₹½ va'kr% dk;Z dh izxfr ds vk/kkj ij gqbZ (6,39,22.00 लाख ₹)। 1,24,10.00 लाख ₹ की अवशेष बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-45.800.0102.5177- परियोजना का हिस्सा एन. एच.डी.सी. को भुगतान	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)27,50.00	22,50.00	24,14.12	+1,64.12	27,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-51.001.0101.8191- निष्पादन स्थापना (यूनिट-दो)	मूल पुनर्वि.	40,92.07 (-)3,64.72	37,27.35	30,14.56	(-)7,12.79	3,64.72 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11,10.47 लाख ₹ ¼समर्पण 10,50.47 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 60.00 लाख ₹ ½ की कमी एवं 7,45.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी मंहगाई भत्ते में प्रावधान के उपयोग न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर एवं शासन द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई, जबकि वृद्धि बजट प्रावधान कम होने, न्यायालय के निर्णय अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन-एरियर एवं कार्य भारित/आकस्मिक कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-66.800.0102.5091- लोअर गोई परियोजना	मूल पुनर्वि.	89,00.00 (-)63,88.63	25,11.37	24,67.51	(-)43.86	63,88.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 38,22.13 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 25,66.50 लाख ₹ ½ मुख्यतः कार्य की प्रगति के आधार एवं प्रावधान के पूर्ण उपयोग न होने के कारण हुई (38,88.63 लाख ₹)। 25,00.00 लाख ₹ की अवेशष बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-80.001.0101.1298- नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक उद्वहन योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	3,00,00.00 3,00,00.00 (-)65,49.35	5,34,50.65	5,34,50.65	0.00	65,49.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर राशि प्रावधान का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.1004- छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	39,50.00 (-)28,45.25	11,04.75	11,04.75	0.00	28,45.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर राशि प्रावधान का पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.1408- बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 (-)99,05.00	50,95.00	49,87.14	(-)1,07.86	99,05.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर वास्तविक देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-80.800.0101.6399- इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-एक)	मूल पुनर्वि.	35,00.00 (-)19,25.00	15,75.00	15,75.00	0.00	19,25.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4701-45.800.0102.5152- हालोन परियोजना	मूल पुनर्वि.	90,00.00 (-)21,50.00	68,50.00	68,51.73	+1.73	21,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की प्रगति के आधार पर प्रावधान के पूर्ण उपयोग नहीं होने के कारण हुई।
4801-01.203.0101.6403- इंदिरा सागर परियोजना यूनिट 1 का हिस्सा एन. एच.डी.सी. को भुगतान	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-)16,50.00	13,50.00	13,50.00	0.00	16,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4801-01.205.0102.9133- सरदार सरोवर परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)1,00,00.00	0.00	0.00	0.00	1,00,00.00 लाख ₹ की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4801-01.205.0101.9133- सरदार सरोवर परियोजना	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)25,00.00	0.00	0.00	0.00	25,00.00 लाख ₹ की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4801-01.235.0101.9091- औंकारेश्वर परियोजना	मूल पुनर्वि.	37,50.00 (-)20,28.78	17,21.22	16,51.88	(-)69.34	20,28.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ¼समर्पण 10,28.26 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10,00.52 लाख ₹ ½ अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (10,28.26 लाख ₹)। 10,00.52 लाख ₹ की अवशेष बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
4700-45.001.9091- औंकारेश्वर परियोजना	मूल पुनर्वि.	40,00.00 27,30.29	67,30.29	51,15.29	(-)16,15.00	27,30.29 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 32,30.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 4,99.71 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पंप हाउसों के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी वास्तविक व्यय के आधार पर एवं शासन द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-51.800.0101.9000- रानी अवन्ती बाई सागर परियोजना जबलपुर, यूनिट-दो	मूल पुनर्वि.	30,00.00 41,98.48	71,98.48	70,98.24	(-)1,00.24	41,98.48 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 42,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1.52 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान होने एवं तीव्र गति से चले रहे कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी कार्य की प्रगति के आधार पर हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4700-80.800.6398- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	4,80.00 14,45.00	19,25.00	15,10.00	(-)4,15.00	14,45.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी को विद्युत कनेक्शन के भुगतान हेतु एवं विद्युत प्रभार/संचालन एवं संधारण के व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0102.1250- अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 1,03,98.66	2,53,98.66	2,53,98.66	0.00	1,03,98.66 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,30,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 26,01.34 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि परियोजना में तीव्रगती से चल रहे कार्यों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (1,01.34 लाख ₹)। 25,00.00 लाख ₹ की अवशेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4700-80.800.0102.2085- बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	25,00.00 11,25.00	36,25.00	36,25.00	0.00	11,25.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 12,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,25.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि परियोजना में तीव्रगती से चल रहे कार्यों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी अंशतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई।
4700-80.800.0101.0651- उज्जैनी देवास उज्जैन पाइप लाईन योजना	मूल पुनर्वि.	5,00.00 1,15.76	6,15.76	6,15.76	0.00	1,15.76 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 13,80.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 12,64.24 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मोबीलाइजेशन/मशीनरी अग्रिम तथा अन्य कार्यों के भुगतान के कारण हुई। कमी मुख्यतः कार्य की प्रगति के आधार पर हुई (7,84.24 लाख ₹)। 4,80.00 लाख ₹ की अवशेष कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.1407- छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,50,00.00 82,29.97	2,32,29.97	2,32,29.96	(-)0.01	82,29.97 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 82,30.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.03 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि परियोजना में तीव्रगति से चल रहे कार्यों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई। जबकि कमी कार्य की प्रगति के आधार पर हुई।
4701-80.001.0101.5869- नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं	मूल पुनर्वि.	25.00 3,00.00	3,25.00	3,25.00	0.00	3,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन परियोजना के अन्तर्गत सर्वे कार्य के अंतिम देयकों के भुगतान के कारण हुआ।
4801-80.800.0101.4406- सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	मूल पुनर्वि.	1,13,89.32 4,28,14.24	5,42,03.56	5,19,31.79	(-)22,71.77	4,28,14.24 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 7,09,65.00 लाख ₹ एवं 2,81,50.76 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में समयावधि में अति-आवश्यक आधारित संरचना/भूमि का रूप व्यवस्था बनाये जाने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी प्रावधान राशि का पूर्ण उपयोग न होने, वास्तविक आधार पर व्यय, शासन द्वारा आहरण पर प्रतिबंध लगाये जाने एवं कार्य की प्रगति के आधार पर व्यय के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास समाप्त

(8) उचन्त लेन-देन:-
इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत किये गए व्यय में "उचन्त" शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। "उचन्त" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे में टिप्पणी (iii) में दी गई है।
वर्ष 2017-18 तक इस अनुदान में विभिन्न उचन्त उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचन्त लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंतशेष नामे + जमा(-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (लाख ₹ में)				
(1) भण्डार	+13.47	0.00	0.00	+13.47
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)3.82	0.00	0.00	(-)3.82
योग	+9.65	0.00	0.00	+9.65
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	(-)55.08	0.00	0.00	(-)55.08
(2) भण्डार	(-)21,11.65	0.00	0.00	(-)21,11.65
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)1,02.80	0.00	0.00	(-)1,02.80
(4) कार्यशाला उचन्त	(-)2,58.61	0.00	0.00	(-)2,58.61
योग	(-)25,28.14	0.00	0.00	(-)25,28.14
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) भण्डार	+67.09	0.00	0.00	+67.09
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)2,37.78	0.00	0.00	(-)2,37.78
योग	(-)1,70.69	0.00	0.00	(-)1,70.69

प्रभारित

- (9) 20.19 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 10.19 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (10) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.4641-स्थापना	मूल 10.00	10.00	0.00	(-)10.00	संपूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2801-बिजली, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,64,88,77			
पूरक	0	10,64,88,77	8,79,55,40	(-)1,85,33,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1,84,69,49

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	00	(-)1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,62,50,03			
पूरक	0	2,62,50,03	2,04,14,91	(-)58,35,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				54,86,61

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 1,85,33.37 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 1,84,69.49 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.0101.1474- जिला तथा परियोजना प्रशासन	मूल पुनर्वि.	15,54.63 (-)2,43.97	13,10.66	13,10.66	0.00	2,43.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,51.32 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,43.97 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 7.35 लाख ₹) एवं 7.35 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी सांकेतिक प्रावधान किये जाने एवं राशि का आहरण न होने से हुई। वृद्धि कम बजट प्रावधान होने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.102.0103.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-)17,50.00	52,50.00	52,50.00	0.00	17,50.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत व्यय के प्रस्ताव प्राप्त न होने से हुई।
2225-01.190.0103.3185- म.प्र. अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम	मूल पुनर्वि.	21,00.00 (-)2,10.00	18,90.00	18,90.00	0.00	2,10.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत व्यय के प्रस्ताव प्राप्त न होने से हुई।
2225-01.277.0803.7764- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 (-)32,82.63	1,67,17.37	1,67,17.37	0.00	32,82.63 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत पात्र हितग्राही न मिलने से हुई।
2225-01.277.0803.7765- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)35,61.00	4,39.00	4,39.00	0.00	35,61.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत व्यय के प्रस्ताव प्राप्त न होने से हुई।
2225-01.277.0603.0538- शिक्षित युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)3,65.00	1,35.00	1,35.00	0.00	3,65.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के विषिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.1398- छात्रावास/ आश्रमों का संचालन	मूल पुनर्वि.	66,24.21 (-)10,03.64	56,20.57	56,13.35	(-)7.22	10,03.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं सातवें वेतनमान के लागू होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	90,62.70 (-)2,35.60	88,27.10	88,26.10	(-)1.00	2,35.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,04.60 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,04.60 लाख ₹ +पुनर्विनियोजन 4,00.00 लाख ₹) एवं 7,69.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने एवं सातवां वेतनमान लागू होने के कारण हुई (7,54.60 लाख ₹) जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान होने, संविदा कर्मचारी के पारिश्रमिक में वृद्धि होने एवं विद्युत देयकों के भुगतान किये जाने के कारण हुई। 2,50.00 लाख ₹ की शेष कमी के विषिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.277.0103.5903- पोस्ट मैट्रिक शिक्षा	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00	0.00	10,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत व्यय के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.277.0103.7562- उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	11,00.00 (-)2,90.60	8,09.40	8,09.40	0.00	2,90.60 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत पात्र हितग्राही न मिलने से हुई।
2225-01.277.0103.7764- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 (-)55,36.15	1,44,63.85	1,44,63.85	0.00	55,36.15 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत अंशतः पात्र हितग्राही न मिलने एवं कम मिलने से हुई (37,48.92 लाख ₹)। 17,87.23 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.7765-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (उच्चतर माध्यमिक स्तर)	मूल पुनर्वि.	75,00.00 (-)26,11.01	48,88.99	48,88.99	0.00	26,11.01 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत पात्र हितग्राही न मिलने से हुई।
2225.01.277.0103.8735-अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण पत्र का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	4,00.00 (-)3,45.00	55.00	55.00	0.00	3,45.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत राशि का आहरण न होने एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार करने के बाद विभाग की बचत होने से हुई।
2225-01.277.0103.8801-सैनिक स्कूल/निजी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	14,00.00 (-)5,22.25	8,77.75	8,77.75	0.00	5,22.25 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत अंशतः कम हितग्राही होने से हुई (2,78.45 लाख ₹)। 2,43.80 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.277.0103.8807-छात्रावासों एवं आश्रमों के भवनों का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)2,15.27	17,84.73	17,84.73	0.00	2,15.27 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के विषिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0103.8011-सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-)4,00.23	3,99.77	3,99.77	0.00	4,00.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः हितग्राही कम होने के कारण हुई (50.00 लाख ₹)। 3,50.23 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2801-06.800.0603.5084-अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाईन का विकास	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)2,26.09	47,73.91	47,73.91	0.00	2,26.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विषिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0103.8829- अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए ज्ञानोदय विद्यालय	मूल पुनर्वि.	16,48.30 2,14.19	18,62.49	18,37.13	(-)25.36	2,14.19 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,72.05 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,57.86 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः कम बजट प्रावधान होने एवं मानदेय का भुगतान करने हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई (3,18.45 लाख ₹) 1,53.60 लाख ₹ की शेष वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0703.0326- अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	मूल पुनर्वि.	12,00.00 1,24.98	13,24.98	13,24.98	0.00	1,24.98 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,25.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.02 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित प्रकरणों का निराकरण होने एवं मांग होने से हुई। कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0703.5191- अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता / पुर्नवास सहायता	मूल पुनर्वि.	30,80.00 1,95.11	32,75.11	32,73.11	(-)2.00	1,95.11 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,05.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,09.89 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अत्याचार के अधिक प्रकरण प्राप्त होने से हुई जबकि कमी पद रिक्त रहने एवं पत्र हितग्राही न मिलने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0103.6102- अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार, पारितोषिक एवं सम्मान	मूल पुनर्वि.	1,10.00 3,92.30	5,02.30	5,02.30	0.00	3,92.30 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 6,52.23 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,59.93 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। कमी व्यय के प्रस्ताव प्राप्त न होने से हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0103.7763- अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	मूल पुनर्वि.	36,00.00 34,94.79	70,94.79	70,94.79	0.00	34,94.79 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन 35,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5.21 लाख ₹ की वृद्धि (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः पात्र हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि होने से हुई (24,00.00 लाख ₹) जबकि कमी पात्र हितग्राही न मिलने से हुई। 11,00.00 लाख ₹ की शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) 58,35.12 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 54,86.61 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0803.5635- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)70.05	29.95	29.95	0.00	70.05 लाख ₹ की प्रत्याषित बचत आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।
4225-01.800.0703.1400- आश्रम तथा छात्रावास भवन	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)14.67	85.33	35.03	(-)50.30	14.67 लाख ₹ की प्रत्याषित बचत आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4225-01.800.0103.1400- आश्रम तथा छात्रावास भवन	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)30,48.15	69,51.85	68,24.97	(-)1,26.88	30,48.15 लाख ₹ की प्रत्याषित बचत मुख्यतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न होने एवं व्यय के प्रस्ताव प्राप्त न होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4225-01.800.0103.4722- अनुसूचित जाति/ जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	1,10,00.00 (-)25,82.72	84,17.28	82,65.96	(-)1,51.32	25,82.72 लाख ₹ की प्रत्याषित बचत आहरण पर प्रतिबंध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण समाप्त

(6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.190.0103.3185- म.प्र. अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम	मूल पुनर्वि.	0.01 1,99.99	2,00.00	2,00.00	0.00	1,99.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.01 लाख ₹ की कमी (समर्पण के रूप में) का निवल प्रभाव था। वृद्धि निगम की अंश पूंजी में धनवेष्टन/निवेश हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4225.01.800.0103.6101- संत रविदास स्मारक निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 45.81	45.82	25.82	(-)20.00	45.81 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 54.19 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि रविदास स्मारक निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता होने से हुई जबकि कमी व्यय के प्रस्ताव प्राप्त न होने से हुई।

**अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,32,15,66			
पूरक	2,10,00,00	9,42,15,66	6,49,85,79	(-)2,92,29,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,89,35,05

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, 2]10]00-00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 ¼50]00-00 yk[k ₹½ ,oa uoEcj 2017 ¼1]60]00-00 yk[k ₹½ esa izklr fd;k x;k अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 2,92,29.87 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 2,89,35.05 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2401-119.0655- संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय	मूल 84,40.74 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)9,18.73	75,22.01	74,93.98	(-)28.03	9,18.73 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 16,96.98 लाख ₹ (समर्पण 9,68.98 लाख ₹ + पुनर्विनियोग 7,28.00 लाख ₹) एवं 7,78.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अंशतः सातवें वेतनमान लागू किये जाने के कारण हुई (2,28.00 लाख ₹)। 14,68.98 लाख ₹ की अवशेष वृद्धि के विशिष्ट कारणों तथा कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0703.1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत माईक्रों इरिगेशन योजना	मूल 35,20.00 पूरक 16,64.00 पुनर्वि. (-)27,12.73	24,71.27	24,71.27	0.00	27,12.73 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रकरण कम उपलब्ध होने के कारण

					1 2011
--	--	--	--	--	-----------

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0703.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	14,83.00 (-)11,53.67	3,29.33	3,29.70	+0.37	11,53.67 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश फरवरी 2018 में प्राप्त होने के कारण हुई। 0.37 लाख ₹ की आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
2401-119.0702.1482-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत माइक्रो एरिगेशन योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	47,60.00 20,80.00 (-)22,81.78	45,58.22	45,58.22	0.00	22,81.78 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण कम उपलब्ध होने के कारण हुई।
2401-119.0702.5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल पुनर्वि.	14,00.00 (-)9,64.52	4,35.48	4,33.03	(-)2.45	9,64.52 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से द्वितीय किश्त माह जनवरी 2018 में प्राप्त होने तथा केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।
2401-119.0702.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	19,50.00 (-)16,60.33	2,89.67	2,89.67	0.00	16,60.33 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश फरवरी 2018 में प्राप्त होने के कारण हुई।
2401-119.0701.1482-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत माइक्रो एरिगेशन योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	57,20.00 1,22,56.00 (-)45,94.97	1,33,81.03	1,33,82.69	+1.66	45,94.97 लाख ₹ (समर्पण 15,94.97 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 30,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण कम उपलब्ध होने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश का कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई। 1.66 लाख ₹ के आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
2401-119.0701.5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	57,86.00 (-)27,99.09	29,86.91	29,85.37	(-)1.54	27,99.09 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश फरवरी 2018 में प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0103.6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	8,00.00 (-)8,00.00	0.00	0.00	0.00	8,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
2401-119.0102.0694-नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)8,29.77	1,70.23	1,70.23	0.00	8,29.77 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आवंटित लक्ष्य की 30 प्रतिशत पूर्ति मनरेगा योजना में होने से मनरेगा मद से राशि व्यय किये जाने के कारण हुई।
2401-119.0102.6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	10,50.00 (-)10,50.00	0.00	0.00	0.00	10,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
2401-119.0102.6520-सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	मूल पुनर्वि.	5,66.60 (-)5,12.41	54.19	54.19	0.00	5,12.41 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत कृषकों द्वारा प्रमाणित बीजों के देयक समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई।
2401-119.0101.0694-नर्मदा नदी के तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण	मूल पुनर्वि.	38,50.00 (-)16,68.51	21,81.49	21,81.49	0.00	16,68.51 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत आवंटित लक्ष्य की 30 प्रतिशत पूर्ति मनरेगा योजना में होने से मनरेगा मद से राशि व्यय किये जाने के कारण हुई।
2401-119.0101.2816-फसल बीमा योजना	मूल पुनर्वि.	32,00.00 (-)7,49.07	24,50.93	24,50.93	0.00	7,49.07 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत बीमा कम्पनियों द्वारा अंतिम रूप से राशि की मांग न किये जाने के कारण हुई।
2401-119.0101.5153-उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	7,00.00 50,00.00 (-)8,29.92	48,70.08	48,70.08	0.00	8,29.92 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0101.6520-सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	मूल पुनर्वि.	18,13.12 (-)13,95.80	4,17.32	4,16.08	(-)1.24	13,95.80 लाख ₹ (समर्पण 10,25.80 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 3,70.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कृषकों द्वारा प्रमाणित बीजों के देयक समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई। (10,25.80 लाख ₹)। 3,70.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
2401-119.0101.6522-मसाला क्षेत्र विस्तार योजना	मूल पुनर्वि.	13,42.08 (-)10,42.16	2,99.92	2,99.92	0.00	10,42.16 लाख ₹ (समर्पण 10,12.16 लाख ₹+पुनर्विनियोजन 30.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कृषकों द्वारा प्रमाणित बीजों के देयक समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई। (10,12.16 लाख ₹)। 30.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2018)।
2401-119.0101.7370-शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	13,41.90 (-)9,68.35	3,73.55	2,26.60	(-)1,46.95	9,68.35 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत योजना में निरंतरता प्राप्त नहीं होने एवं राशि जारी होने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई।

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0101.6496-उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत एकीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	31,50.00 17,64.29	49,14.29	49,14.29	0.00	17,64.29 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 18,50.00 लाख ₹ की वृद्धि और 85.71 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वित्तीय वर्ष की शेष तीन माहों की अवधि के भुगतान होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,32,81,37			
पूरक	0	2,32,81,37	2,20,91,02	(-)11,90,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	30			
पूरक	0	30	00	(-)30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 11,90.35 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-103.0103.2103-	मूल	13,60.00	13,60.00	11,50.72	(-)2,09.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
धार्मिक सांस्कृतिक आस्था स्थलों का जीर्णाद्धार						
2250-103.0102.2103-	मूल पुनर्वि.	13,60.00 (-)7,78.96	5,81.04	4,28.74	(-)1,52.30	7,78.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
धार्मिक सांस्कृतिक आस्था स्थलों का जीर्णाद्धार						

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.1477- संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,44.33 (-)3.00	1,41.33	2.45	(-)1,38.88	3.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2250-800.2003- धर्मार्थ	मूल पुनर्वि.	1,40.67 3.00	1,43.67	34.02	(-)1,09.65	3.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों में वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान किये जाने एवं आयुक्त, उज्जैन से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2250-800.0103.2105- मेला प्राधिकरण	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)95.97	1,04.03	45.00	(-)59.03	95.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में) अतिरिक्त राशि की आवश्यकता न होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2250-800.0103.7227- तीर्थ यात्रा के लिये राजसहायता	मूल पुनर्वि.	23,00.00 (-)23,00.00	0.00	0.00	0.00	23,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत उक्त योजना जातियों के मध्य अन्तर वर्गीकरण नहीं हो पाने से हुई।
2250-800.0102.2105- मेला प्राधिकरण	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,35.00	65.00	45.00	(-)20.00	1,35.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अतिरिक्त राशि की आवश्यकता न होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2250-800.0102.7227- तीर्थ यात्रा के लिये राजसहायता	मूल पुनर्वि.	31,75.00 (-)31,75.00	0.00	0.00	0.00	31,75.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत उक्त योजना जातियों के मध्य अन्तर वर्गीकरण नहीं हो पाने से हुई।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व समाप्त

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.0258- अन्य संस्थाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,00.00 4,30.27	5,30.27	5,20.27	(-)10.00	4,30.27 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों में वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुक्रम में दीवूरमपोला श्रीलंका में स्थित माता मंदिर का निर्माण किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2250-800.6292- शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार	मूल पुनर्वि.	12,00.00 4,78.96	16,78.96	16,40.70	(-)38.26	4,78.96 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों में वृद्धि प्रदेश में स्थित शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2250-800.6921- अंगकोरवाट एवं सीतामैया-श्रीलंका की यात्रा के लिये अनुदान	मूल पुनर्वि.	55.00 3,00.00	3,55.00	3,09.10	(-)45.90	3,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों में वृद्धि श्रीलंका यात्रा पूर्ण होने के उपरांत यात्रियों को राशि का भुगतान किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2250-800.0101.7227- तीर्थ यात्रा के लिये राजसहायता	मूल पुनर्वि.	1,10,25.00 54,75.00	1,65,00.00	1,63,78.10	(-)1,21.90	54,75.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों में वृद्धि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का क्रियान्वयन होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

- (4) 0.30 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,77,48,11			
पूरक	69,60,51	8,47,08,62	7,46,58,77	(-)1,00,49,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				19,21

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,43,30,06			
पूरक	81,50,01	9,24,80,07	8,83,20,62	(-)41,59,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 (66,60.51 लाख ₹) एवं नवम्बर 2017 (3,00.00 लाख ₹) **esa izklr fd;k x;k 69]60-51** लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 1,00,49.85 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 19.21 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2210-01.110.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल 3,36,24.65 पूरक 50,45.00 पुनर्वि. (-)3,17.32	3,83,52.33	3,33,48.79	(-)50,03.54	3,17.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11,56.32 लाख ₹ की कमी तथा 8,39.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी बजट में बचत परिलक्षित होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान होने एवं गंभीर बीमारियों के इलाज पर व्यय की प्रतिपूर्ति करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर

					2018)।
--	--	--	--	--	--------

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.800.6974- सागर चिकित्सा महाविद्यालय	मूल	61,32.62	59,24.57	45,75.54	(-)13,49.03	2,34.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,94.35 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की कमी एवं 2,60.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी बजट में बचत परिलक्षित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान होने एवं गंभीर बीमारियों के इलाज पर व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	26.30				
	पुनर्वि.	(-)2,34.35				
2210-05.105.0527- इंदौर में परिचर्या महाविद्यालय	मूल	4,54.74	4,55.44	2,60.90	(-)1,94.54	0.70 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान होने एवं गंभीर बीमारियों के इलाज पर व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	0.70				
2210-05.105.1355- चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	मूल	6,56.56	6,86.56	4,08.64	(-)2,77.92	इस शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि (4.57 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी बजट में बचत परिलक्षित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	30.00				
	पुनर्वि.	0.00				
2210-05.105.1915- दन्त महाविद्यालय	मूल	10,95.93	15,49.33	11,13.81	(-)4,35.52	2,53.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान होने एवं गंभीर बीमारियों के इलाज पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	2,00.00				
	पुनर्वि.	2,53.40				
2210-05.105.9080- रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	मूल	10,00.00	10,00.00	1,47.97	(-)8,52.03	बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0961- कैंसर अस्पताल ग्वालियर को अनुदान	मूल पुनर्वि.	0.65 64.35	65.00	64.94	(-)0.06	64.35 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान होने के कारण हुआ।

पूँजीगत:

- (5) 41,59.45 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 81,50.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जुलाई 2017 में प्राप्त किया गया (45,00.00 लाख ₹) अत्यधिक था जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 36,50.01 लाख ₹ अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) 41,59.45 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (7) यद्यपि समग्र बचत मूल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुये:-

(अ) बचत:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.2052- ड्रामा केयर सेंटर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	17,00.00 (-)10,52.15	6,47.85	6,19.30	(-)28.55	10,52.15 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत बजट में बचत परिलक्षित होने के कारण हुई।
4210-03.105.6458- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना (13वां वित्त आयोग)	मूल पुनर्वि.	6,60.02 (-)3,05.00	3,55.02	3,27.10	(-)27.92	3,05.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-03.105.6885- चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)10,00.00	0.00	0.00	0.00	10,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत शीर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रावधान की संस्वीकृति को निरस्त करने के कारण हुई।
4210-03.105.0701.1946- बर्न यूनिट की स्थापना	पूरक	4,50.00	4,50.00	0.00	(-)4,50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-03.105.0701.6460- चिकित्सा महाविद्यालय में पी. जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	मूल पूरक	25.00 10,00.00	10,25.00	5,06.31	(-)5,18.69	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0422.1492- खंडवा चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	1,05,27.00 (-)35,00.00	70,27.00	68,09.68	(-)2,17.32	35,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन के रूप में) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-03.105.6460- चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	मूल	75.00	75.00	60.11	(-)14.89	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(ब) आधिक्य:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.9080- रतलाम एवं अन्य नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	मूल पुनर्वि.	25,00.00 5,52.15	30,52.15	27,82.73	(-)2,69.42	5,52.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान होने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-03.105.0701.2061- एम. बी.बी.एस. सीट्स में वृद्धि	पूरक पुनर्वि.	20,00.00 15,00.00	35,00.00	33,89.74	(-)1,10.26	15,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दायित्व का भुगतान किये जाने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4210-03.105.0101.7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	75,00.00 20,00.00	95,00.00	93,55.73	(-)1,44.27	20,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन दायित्व का भुगतान किये जाने के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2702-लघु सिंचाई, 2851-ग्राम एवं लघु उद्योग, 2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,49,68,71,29			
पूरक	64,36,69,04	3,14,05,40,33	2,87,92,43,52	(-)26,12,96,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 फरवरी एवं 31 मार्च 2018)				21,92,54,88

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,21,50,11			
पूरक	0	2,21,50,11	7,01,79	(-)2,14,48,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,39

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 26,12,96.81 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, 64,36,69.04 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान जो जुलाई 2017 (12,73,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया अपर्याप्त था, जबकि नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 51,63,69.04 लाख ₹ का अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 26,12,96.81 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 23 फरवरी एवं 31 मार्च 2018 को 21,92,54.88 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.196.0101.6968- हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	25,00.00 (-)20,00.00	5,00.00	7,63.60	+2,63.60	20,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-02.198.0703.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पूरक पुनर्वि.	3,30,60.00 2,21,11.02 (-)1,22,01.83	4,29,69.19	4,29,69.19	0.00	1,22,01.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई।
2215-02.198.0702.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पूरक पुनर्वि.	4,18,60.00 2,79,98.70 (-)1,56,45.60	5,42,13.10	5,42,13.10	0.00	1,56,45.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई।
2215-02.198.0701.5206- निर्मल भारत अभियान	मूल पूरक पुनर्वि.	10,00,80.00 6,69,41.72 (-)3,67,80.42	13,02,41.30	13,02,41.30	0.00	3,67,80.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई (1,17,80.42 लाख ₹) 2,50,00.00 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2216-03.198.0703.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	7,00,00.00 6,78,28.34 (-)1,51,62.84	12,26,65.50	12,26,65.50	0.00	समर्पण के रूप में 1,51,62.84 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई।
2225-01.196.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	1,30,00.00 (-)20,66.91	1,09,33.09	1,09,33.09	0.00	समर्पण के रूप में 20,66.91 लाख ₹ प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा क्रय पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।
2225-02.198.0102.0494- आश्रम	मूल पुनर्वि.	37,75.00 (-)12,80.00	24,95.00	24,65.41	(-)29.59	समर्पण के रूप में 12,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.198.0102.1392- छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)38,00.00	12,00.00	12,00.00	0.00	38,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-02.198.0102.8805- प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	14,50.00 (-)12,00.00	2,50.00	2,50.00	0.00	12,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-60.198.0802.8786- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	मूल पुनर्वि.	89,81.90 (-)14,03.63	75,78.27	75,85.08	+6.81	समर्पण के रूप में 14,03.63 लाख ₹ प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई।
2235-60.198.0102.9142- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	मूल पुनर्वि.	96,25.00 (-)17,21.27	79,03.73	75,11.73	(-)3,92.00	समर्पण के रूप में 17,21.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई।
2235-60.198.0101.9142- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	मूल पुनर्वि.	1,91,25.00 (-)22,04.86	1,69,20.14	1,60,53.97	(-)8,66.17	समर्पण के रूप में 22,04.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2501-06.198.0703.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल पुनर्वि.	1,41,00.00 (-)68,00.00	73,00.00	58,90.00	(-)14,10.00	68,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2501-06.198.0702.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल पुनर्वि.	2,00,00.00 (-)1,10,18.46	89,81.54	69,81.54	(-)20,00.00	1,10,18.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई (38,85.46 लाख ₹) 71,33.00 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-06.198.0701.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल पुनर्वि.	2,92,00.00 (-)1,11,77.37	1,80,22.63	1,51,02.63	(-)29,20.00	1,11,77.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई (6,77.37 लाख ₹) 1,05,00.00 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2505-01.198.0703.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	5,00,00.00 6,00,00.00 (-)4,39,22.53	6,60,77.47	6,60,77.47	0.00	समर्पण के रूप में 4,39,22.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई।
2505-01.198.0702.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	7,00,00.00 (-)3,43,04.85	3,56,95.15	3,56,95.15	0.00	3,43,04.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने एवं योजना प्रभारी से मांग कम प्राप्त होने के कारण हुई।
2505-01.198.0701.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	8,00,00.00 (-)3,49,19.82	4,50,80.18	4,50,80.18	0.00	3,49,19.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने एवं योजना प्रभारी से मांग कम प्राप्त होने के कारण हुई।
2515-198.0801.7886- मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)17,14.88	22,85.12	18,85.12	(-)4,00.00	समर्पण के रूप में 17,14.88 लाख ₹ प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2515-198.0703.6931- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	मूल	1,90,00.00	1,90,00.00	1,71,00.00	(-)19,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0702.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	11,49.47	11,49.47	0.00	(-)11,49.47	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
2215-198.0702.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	मूल	3,60,00.00	3,60,00.00	3,24,00.00	(-)36,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2515-198.0701.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल	18,67.00	18,67.00	0.00	(-)18,67.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2515-198.0701.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	4,50,00.00 (-)47,02.55	4,02,97.45	3,57,97.45	(-)45,00.00	समर्पण के रूप में 47,02.55 लाख ₹ प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2515-198.0701.8775- प्रशासन योजना जिला स्तर	मूल	80,00.00	80,00.00	39,99.84	(-)40,00.16	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2515-800.0802.7886- मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)28,01.87	11,98.13	7,98.13	(-)4,00.00	समर्पण के रूप में 28,01.87 लाख ₹ प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-196.0103.0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	21,00.00 (-)11,81.00	9,19.00	5,63.98	(-)3,55.02	समर्पण के रूप में 11,81.00 लाख ₹ प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-196.0102.0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	27,56.25 (-)15,38.00	12,18.25	7,37.27	(-)4,80.98	समर्पण के रूप में 15,38.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-196.0101.0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	82,68.75 (-)45,00.00	37,68.75	22,78.84	(-)14,89.91	समर्पण के रूप में 45,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-197.0103.4610- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल	61,16.00	61,16.00	50,59.13	(-)10,56.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.196.0102.2773- प्राथमिक शालाएँ	मूल	1,50,00.00	2,03,00.00	2,04,62.90	+1,62.90	38,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ प्रदाय किये जाने एवं मानदेय में वृद्धि के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	15,00.00				
	पुनर्वि.	38,00.00				
2202-01.196.0102.3496- माध्यमिक शालाएँ	मूल	60,00.00	79,00.00	79,63.90	+63.90	13,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापकों के मानदेय के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
	पूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	13,00.00				
2202-01.196.0102.9416- प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	मूल	5,50,00.00	6,57,43.00	6,55,97.97	(-)1,45.03	1,07,43.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,08,33.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 90.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अध्यापकों के मानदेय के साथ ही अंशदान के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशियों का आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
	पुनर्वि.	1,07,43.00				
2202-01.197.0102.2773- प्राथमिक शालाएँ	मूल	1,30,00.00	1,89,40.00	1,85,04.13	(-)4,35.87	46,40.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 48,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,60.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अध्यापकों के मानदेय के साथ ही अंशदान के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशियों का आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	13,00.00				
	पुनर्वि.	46,40.00				

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.198.0102.2773- प्राथमिक शालाएँ	मूल पूरक पुनर्वि.	1,60,00.00 16,00.00 44,00.00	2,20,00.00	2,18,37.14	(-)1,62.86	44,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 46,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,00.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अध्यापकों को मानदेय के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशियों का आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-01.198.0102.3496- माध्यमिक शालाएँ	मूल पूरक पुनर्वि.	85,00.00 8,00.00 24,00.00	1,17,00.00	1,16,84.68	(-)15.32	24,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 31,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 7,00.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अध्यापकों को मानदेय के साथ ही अंशदान के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई।
2202-02.196.0102.0581- हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालाएँ	मूल पूरक पुनर्वि.	30,00.00 3,00.00 8,00.00	41,00.00	40,65.06	(-)34.94	8,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापक संवर्ग को छठवें वेतनमान का लाभ प्रदाय किये जाने एवं मानदेय में वृद्धि के कारण हुई।
2202-02.196.0101.8403- अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिये अनुदान	मूल पुनर्वि.	19,20,00.00 2,50,00.00	21,70,00.00	21,49,83.52	(-) 20,16.48	2,50,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापकों को वेतन के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.197.0102.0581- हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें	मूल पूरक पुनर्वि.	23,00.00 3,00.00 4,00.00	30,00.00	29,77.61	(-)22.39	4,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापकों को वेतन के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
2202-02.198.0102.0581- हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें	मूल पूरक पुनर्वि.	40,00.00 4,00.00 7,70.00	51,70.00	50,21.41	(-)1,48.59	7,70.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 14,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6,30.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अध्यापकों को मानदेय के साथ ही अंशदान के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। जबकि कमी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि के आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
2225-02.196.0102.8844- कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ (कक्षा ग्यारहवीं)	मूल पुनर्वि.	3,50.00 4,00.00	7,50.00	5,74.63	(-)1,75.37	4,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन आयुक्त की मांग अनुसार गत वर्ष की लंबित साक्षरता प्रोत्साहन राशि के भुगतान के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
2501-06.198.0101.5484- समन्वित आजीविका कार्यक्रम अन्तर्गत जनसहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	0.01 2,00.00	2,00.01	2,00.01	0.00	2,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन योजना प्रभारी से अधिक मांग प्राप्त होने के कारण हुआ।

पूँजीगत:

- (5) 2,14,48.32 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को मात्र 6.39 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.0422.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल पुनर्वि.	63,00.10 (-)6.38	62,93.72	2,75.08	(-)60,18.64	समर्पण के रूप में 6.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि का आहरण न किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।
4515-800.0103.6084- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना	मूल	1,58,00.00	1,58,00.00	3,76.71	(-)1,54,23.29	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा)

राजस्व:

	कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,79,38,52		
पूरक	0	1,79,38,52	1,78,88,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 फरवरी एवं 31 मार्च 2018)			(-)50,02 50,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(1) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2415-01.120.0101.9051- बोहानी जिला नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना	मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00 0.00	0.00	0.00	50.00 लाख ₹ की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत अंशतः बोहानी गन्ना अनुसंधान केन्द्र का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई (45.00 लाख ₹)। 5.00 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	41,18,37,01			
पूरक	1,20,58,23	42,38,95,24	37,13,77,09	(-)5,25,18,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				5,23,56,84

37,13,77.09 लाख ₹ के कुल व्यय में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (8,58.03 लाख ₹), 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6917-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (7,54.47 लाख ₹), 2235-02-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम)-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (4,00.01 लाख ₹) एवं 2235-02-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना (सब स्कीम)-0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (1,35.59 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2018 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा 21,48.10 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,01			
पूरक	0	10,01	3,61	(-)6,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,39

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,96,38,05			
पूरक	0	1,96,38,05	1,17,82,96	(-)78,55,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				77,92,69

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 (66,52.23 लाख ₹), नवम्बर 2017 (54,06.00 लाख ₹) एवं मार्च 2017 (सांकेतिक) में 120]58-23 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 5,25,18.15 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 5,23,56.84 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.9041- महिला एवं बाल विकास संचालनालय	मूल पुनर्वि.	10,71.62 (-)2,44.95	8,26.67	8,26.50	(-)0.17	2,44.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,81.75 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,44.95 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 36.80 लाख ₹) एवं 36.80 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वास्तविक आवश्यकता से प्रावधान अधिक होने के कारण हुई (36.80 लाख ₹) जबकि वृद्धि वास्तविक आवश्यक से कम प्रावधान होने के कारण हुई। 2,44.95 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.102.0703.0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	मूल पुनर्वि.	1,89,94.76 (-)53,78.53	1,36,16.23	1,36,07.44	(-)8.79	1,36,07.44 लाख ₹ के व्यय में राशि 1,35.59 लाख ₹ इस शीर्ष को नामे तथा 29 मार्च 2018 को शीर्ष 8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था। 53,78.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 58,78.53 लाख ₹ की कमी (समर्पण 53,78.53 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,00.00 लाख ₹) एवं 5,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वास्तविक आवश्यकता से प्रावधान अधिक होने के कारण हुई (5,00.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि वास्तविक आवश्यकता से प्रावधान कम होने के कारण हुई। 53,78.53 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0702.0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	मूल पुनर्वि.	2,84,90.85 (-)63,33.43	2,21,57.42	2,21,51.83	(-)5.59	2,21,51.83 लाख ₹ के व्यय में राशि 4,00.01 लाख ₹ इस शीर्ष को नामे तथा 29 मार्च 2018 को शीर्ष 8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था। 63,33.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 68,33.43 लाख ₹ की कमी (समर्पण 63,33.43 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,00.00 लाख ₹) एवं 5,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वास्तविक आवश्यकता से प्रावधान अधिक होने के कारण हुई (5,00.00 लाख ₹), जबकि वृद्धि वास्तविक आवश्यक से प्रावधान कम होने के कारण हुई। 63,33.43 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.102.0701.9248- किशोरी शक्ति योजना	मूल पुनर्वि.	3,30.00 (-)3,30.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में 3,30.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.102.0103.5643- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	मूल पुनर्वि.	63,06.00 (-)11,39.23	51,66.77	51,66.77	0.00	समर्पण के रूप में 11,39.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.102.0103.6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)2,76.52	2,23.48	2,23.48	0.00	समर्पण के रूप में 2,76.52 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.102.0102.6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)3,00.09	1,99.91	1,99.91	0.00	समर्पण के रूप में 3,00.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.102.0101.5643- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	मूल पुनर्वि.	2,08,88.00 (-)31,28.71	1,77,59.29	1,77,59.29	0.00	समर्पण के रूप में 31,28.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0101.6442- अटल बाल आरोग्य मिशन	मूल पुनर्वि.	41,35.00 (-)25,67.08	15,67.92	15,67.92	0.00	समर्पण के रूप में 25,67.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.102.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	4,92.50 (-)2,90.29	2,02.21	2,02.21	0.00	समर्पण के रूप में 2,90.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.103.1201.9223- तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	मूल पुनर्वि.	30,00.00 (-)3,00.00	27,00.00	27,00.00	0.00	समर्पण के रूप में 3,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.103.0801.1327- वन स्टॉप सेन्टर (सखी)	मूल पुनर्वि.	4,91.78 (-)4,91.74	0.04	0.04	0.00	समर्पण के रूप में 4,91.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.103.0703.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	मूल पुनर्वि.	8,17.38 (-)4,22.75	3,94.63	3,91.57	(-)3.06	समर्पण के रूप में 4,22.75 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.103.0703.6917- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी. एम.एस.वाई)	मूल पुनर्वि.	6,45.51 (-)4,50.77	1,94.74	1,94.74	0.00	समर्पण के रूप में 4,50.77 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.103.0702.6103- समेकित बाल संरक्षण, योजना (आई.सी.पी.एस.)	मूल पुनर्वि.	8,17.38 (-)3,88.83	4,28.55	4,28.55	0.00	समर्पण के रूप में 3,88.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.103.0702.6917- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी. एम.एस.वाई)	मूल पुनर्वि.	9,68.24 (-)6,76.24	2,92.00	2,92.00	0.00	समर्पण के रूप में 6,76.24 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0701.6103-समेकित बाल संरक्षण, योजना (आई.सी.पी.एस.)	मूल पुनर्वि.	35,65.27 (-)9,54.42	26,10.85	26,09.88	(-)0.97	9,54.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 19,28.70 लाख ₹ की कमी (समर्पण 9,54.42 लाख ₹+ पुनर्विनियोजन 9,74.28 लाख ₹) एवं 9,74.28 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति के जारी होने में बिलंब के कारण हुई (9,74.28 लाख ₹), जबकि वृद्धि प्रावधान कम होने से राशि की आवश्यकता के कारण हुई। 9,54.42 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.103.0701.6917-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई)	मूल पूरक पुनर्वि.	19,72.37 1,19,06.00 (-)56,17.23	82,61.14	82,59.41	(-)1.73	82,59.41 लाख ₹ के व्यय में राशि 7,54.47 लाख ₹ इस शीर्ष को नामे तथा 29 एवं 31 मार्च 2018 को शीर्ष 8443—सिविल जमा 800— अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था। समर्पण के रूप में 56,17.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.103.0103.5033-वेध्या उन्मूलन योजना	मूल पुनर्वि.	4,83.98 (-)3,10.71	1,73.27	1,73.27	0.00	3,10.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2236-02.101.0702.6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	मूल पुनर्वि.	38,11.00 (-)4,80.29	33,30.71	33,30.71	0.00	समर्पण के रूप में 4,80.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2236-02.101.0702.9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	मूल पुनर्वि.	3,37,11.00 (-)39,32.77	2,97,78.23	2,97,78.10	(-)0.13	समर्पण के रूप में 39,32.77 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2236-02.101.0701.6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)	मूल पुनर्वि.	89,51.00 (-)9,43.20	80,07.80	80,07.80	0.00	समर्पण के रूप में 9,43.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 55-महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.102.0701.0851- राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर योजना	मूल पुनर्वि.	0.01 1,14.59	1,14.60	1,14.60	0.00	1,14.59 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,72.02 लाख ₹ की वृद्धि एवं 57.43 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सांकेतिक प्रावधान होने से योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यक के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.102.9042- बालवाड़ियों, शासकीय अनाथालयों तथा कुष्ठ रोगियों के लिये गृह	मूल पुनर्वि.	47.12 53.68	1,00.80	1,00.78	(-)0.02	53.68 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,14.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 60.82 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वास्तविक आवश्यकता से, प्रावधान कम होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.102.1201.1291- आई.सी.डी.एस. के सुदृढीकरण एवं पोषण स्तर सुधार की परियोजना (ईस्निप)	मूल पुनर्वि.	43,42.61 6,16.90	49,59.51	49,59.19	(-)0.32	6,16.90 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 24,97.08 लाख ₹ की वृद्धि एवं 18,80.18 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बजट प्रावधान कम होने से, राशि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई, जबकि कमी मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता से प्रावधान अधिक होने एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

प्रभारित

- (5) 6.40 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 6.39 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) 78,55.09 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 77,92.69 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0701.0658- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	मूल पुनर्वि.	1,01,00.00 (-)23,00.00	78,00.00	78,00.00	0.00	समर्पण के रूप में 23,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4235-02.102.0102.5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	27,00.00 (-)20,15.81	6,84.19	6,84.19	0.00	समर्पण के रूप में 20,15.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4235-02.102.0101.5360- आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	63,00.00 (-)33,34.08	29,65.92	29,03.52	(-)62.40	समर्पण के रूप में 33,34.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4235-02.800.0701.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	मूल पुनर्वि.	1,00.00 (-)1,00.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में 1,00.00 लाख ₹ (संपूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 56- ग्रामोद्योग
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,48,28,47			
पूरक	7,50	2,48,35,97	2,11,07,70	(-)37,28,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 एवं 31 मार्च 2018)				41,82,64

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	97,90			
पूरक	0	97,90	36,25	(-)61,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 एवं 31 मार्च 2018)				71,22

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 7-50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 28 एवं 31 मार्च 2018 को किया गया 41,82.64 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 31 मार्च 2018 को 37,28.27 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2851-103.8585- पंचायतों के कर्तव्यों और कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के लिये जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि. 1,67.89 (-)1,67.89	0.00	0.00	0.00	1,67.89 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत स्वीकृत पदों के विरुद्ध पद रिक्त रहने, सीधी भर्ती होने एवं पदोन्नति की प्रक्रिया अपूर्ण रहने से हुई।

अनुदान संख्या 56— ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-107.3778- रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	21,24.38 (-)3,47.09	17,77.29	18,55.30	+78.01	3,47.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,47.09 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,47.09 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,00.00 लाख ₹) एवं 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष में दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने के कारण हुई (3,47.09 लाख ₹)। वृद्धि सातवे वेतन आयोग में वेतनमान में वृद्धि होने से अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुई। 1,00.00 लाख ₹ की शेष कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0103.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	4,08.20 (-)2,82.16	1,26.04	20.25	(-)1,05.79	2,82.16 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने एवं पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई (2,47.92 लाख ₹)। 34.24 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56— ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-107.0102.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	10,39.62 (-)4,63.65	5,75.97	3,75.40	(-)2,00.57	4,63.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने एवं पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई (3,97.32 लाख ₹)। 66.33 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-107.0102.5146- टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	8,20.75 (-)4,56.02	3,64.73	2,92.49	(-)72.24	4,56.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने एवं टसर कोसाफल का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने से हुई (3,88.72 लाख ₹)। 67.30 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-107.0102.6778- एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	2,48.00 (-)60.67	1,87.33	25.29	(-)1,62.04	60.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-107.0101.2731- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	मूल पुनर्वि.	5,47.00 (-)2,91.09	2,55.91	2,07.53	(-)48.38	2,91.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने से हुई, मुख्य रूप से फील्ड ट्रायल हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न होने एवं पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने से हुई (2,84.89 लाख ₹)। 6.20 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 56— ग्रामोद्योग जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-107.0101.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल पुनर्वि.	25,71.17 (-)16,21.12	9,50.05	16,04.04	+6,53.99	16,21.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 17,13.12 लाख ₹ की कमी एवं 92.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने, पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं शहतूत पत्तीयां उपलब्ध न होने से निर्धारित भौतिक लक्ष्य पूर्ण न होने से हुई (11,69.21 लाख ₹) वृद्धि अंशतः सांतवे वेतन आयोग में वेतन वृद्धि होने से हुई (10.00 लाख ₹) 5,43.91 लाख ₹ की शेष कमी एवं 82.00 लाख ₹ की वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2851-107.0101.5146- टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	3,15.45 (-)2,89.64	25.81	43.60	+17.79	2,89.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने के कारण हुई (1,39.28 लाख ₹)। 1,50.36 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-107.0101.6794- उद्यमियों/स्व सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	मूल पुनर्वि.	3,34.00 (-)34.17	2,99.83	60.60	(-)2,39.23	34.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56— ग्रामोद्योग जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-103.0931- कन्द्रीय कार्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	4,35.28 7.50 (-1,00.96)	3,41.82	4,91.50	+1,49.68	1,00.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8.70 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,09.66 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-104.0101.9062- हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को स्थापना हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	5,65.46 2,31.57	7,97.03	7,95.68	(-)1.35	2,31.57 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान होने से हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2851-105.0103.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	4,80.00 52.50	5,32.50	5,32.50	0.00	52.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण अधिक राशि की आवश्यकता होने से हुआ।
2851-105.0102.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	3,60.00 1,24.00	4,84.00	4,53.00	(-)31.00	1,24.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने से हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-105.0101.1068- खादी बोर्ड के स्थापना व्यय हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	13,52.93 (-)14.85	13,38.08	19,97.25	+6,59.17	14.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2851-107.2304- निदेशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	2,58.58 (-)26.46	2,32.12	3,73.36	+1,41.24	26.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 12.00 लाख ₹ की कमी एवं 38.46 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सातवें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि होने से हुई। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्ययिता अधिरोपित किये जाने से हुई (26.46 लाख ₹)। 12.00 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 56— ग्रामोद्योग समाप्त

पूँजीगत:

- (5) 28 एवं 31 मार्च 2018 को किया गया 71.22 लाख ₹ का अभ्यर्पण, 61.65 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-107.0101.6336- रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएँ एवं अन्य निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	47.40 (-)45.62	1.78	5.16	+3.38	45.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा वेतन शीर्ष के अन्तर्गत दस प्रतिशत मितव्यायिता अधिरोपित किये जाने से हुई (36.14 लाख ₹)। 9.48 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4851-107.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	50.00 (-)25.12	24.88	30.97	+6.09	25.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

**अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	30,00,01			
पूरक	0	30,00,01	3,28,48	(-)26,71,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				25,76,03

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

- (1) 26,71.53 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 25,76.03 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.1201.6258- डेम रिहवीलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट	मूल पुनर्वि.	30,00.01 (-)25,76.03	4,23.98	3,28.48	(-)95.50	25,76.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पूंजीगत व्यय की सीमा निर्धारित किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेख के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई है।

2017-18 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ समाप्त

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंत शेष नामे+ जमा (-)
1	2	3	4	5
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— (लाख ₹ में)				
(1) भंडार	(-) 0.27	0.00	0.00	(-) 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	0.00	0.00	+ 2.21
योग	+ 1.94	0.00	0.00	+ 1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-) 1,94.83	0.00	0.00	(-) 1,94.83
(2) भंडार	+ 11,80.11	0.00	0.00	+ 11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 8,01.70	0.00	0.00	+ 8,01.70
(4) कार्यशाला उचंचंत	+ 49.66	0.00	0.00	+ 49.66
योग	+ 18,36.64	0.00	0.00	+ 18,36.64

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	21,85,04,59			
पूरक	13,00,00,00	34,85,04,59	26,00,20,98	(-)8,84,84,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				6,80,44

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	28,81,67			
पूरक	0	28,81,67	8,53,38	(-)20,28,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				19,28,29

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 8,84,84.11 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 13,00,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 8,84,84.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 6,80.44 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2245-01.101.6422- सूखा फसल क्षति सहायता	मूल 5,68,00.00 पूरक 13,00,00.00 पुनर्वि. (-)5,02,09.00	13,65,91.00	7,48,67.72	(-)6,17,23.28	5,02,09.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-01.101.8874- सूखा राहत एवं रोजगार के लिए अतिरिक्त प्रावधान	मूल	1,05.00	1,05.00	0.00	(-)1,05.00	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-01.102.2661- शहरी क्षेत्रों में पेयजल परिवहन	मूल	22,05.00	22,05.00	4,71.57	(-)17,33.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-01.102.6434- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन	मूल	10,50.00	10,50.00	3,62.89	(-)6,87.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-01.800.5497- सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अन्य कार्य	मूल	1,57.00	1,57.00	0.00	(-)1,57.00	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-02.101.2018- नगद दान	मूल पुनर्वि.	80,99.61 (-)15,00.00	65,99.61	53,24.96	(-)12,74.65	15,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वर्ष 2017-18 के दौरान वर्ष कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ¼vDVwcj 2018½। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.001.2304- निर्देशन एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	2,59.68 (-)4.50	2,55.18	1,61.19	(-)93.99	4.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8.65 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन 4.15 लाख ₹ + समर्पण 4.50 लाख ₹) की कमी एवं 4.15 लाख ₹ वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित यात्रा देयकों के भुगतान एवं सातवें वेतनमान का निर्धारण होने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.102.6436- आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	मूल	7,00.00	7,00.00	0.00	(-)7,00.00	संपूर्ण मूल प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.102.1301.2065- 14 th वां वित्त आयोग, क्षमता वृद्धि	मूल पुनर्वि.	8,83.33 (-)6,75.94	2,07.39	2,03.90	(-)3.49	6,75.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.800.7021- पाला से क्षति पर राहत	मूल पुनर्वि.	2,20,62.95 (-)70,00.00	1,50,62.95	49.64	(-)1,50,13.31	70,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पाला से फसल को क्षति नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-80.800.7250- वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति	मूल	2,00.00	2,00.00	69.23	(-)1,30.77	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-01.101.0096- अग्नि पीड़ितों को राहत	मूल पुनर्वि.	21,00.00 15,00.00	36,00.00	28,68.12	(-)7,31.88	15,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में वित्त वर्ष 2017-18 की शेष अवधि में अग्नि दुर्घटनाओं से प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.103.7024-राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा राहत निधि से प्राप्त राशि	मूल पुनर्वि.	0.01 5,02,09.00	5,02,09.01	5,02,09.00	(-)0.01	5,02,09.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में शेष राशि के समायोजन हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई।
2245-80.800.7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	मूल पुनर्वि.	3,96.05 70,00.00	73,96.05	30,96.06	(-)42,99.99	70,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में कीट प्रकोप फसल क्षति प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

(5) अकाल राहत निधि

2245-05-101-0474- आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण अकाल राहत निधि	0.01	0.00	(-) 0.01
--	------	------	----------

यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।

31 मार्च 2018 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंत शेष नामे + जमा (-)
(1) 101-निधि लेखा	(-)5,92.81	0.00	0.00	(-)5,92.81
(2) 102-निवेश लेखा	(-)5.34	0.00	0.00	(-)5.34
कुल	(-)5,98.15	0.00	0.00	(-)5,98.15

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2017-18 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

(6) राज्य आपदा मोचन निधि:-

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थान पर 14 दिसम्बर 2010 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, अग्नि, भू-स्खलन, हिम खण्डों का स्खलन, बादल फटना तथा कीटों का आक्रमण आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील थी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2017-18 हेतु निधि का अंशदान 9,67,00.00 लाख ₹ निश्चित किया गया, जिसका 75 प्रतिशत (7,25,25.00 लाख ₹) केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में दिया गया। अंशदान लेखा शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-01-आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 25 प्रतिशत (2,41,75.00 लाख ₹) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इन उद्देश्यों हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा" के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता है और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को अंतरित की जाती है। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2000 को 1,02,46.44 लाख ₹ का अंतिम शेष भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा में व्यपगत नहीं किया गया एवं अनंतिम रूप से मध्य प्रदेश में ही रखा गया। यह राशि मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं आरक्षित निधियां-111-आपदा राहत निधि से मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित की गई क्योंकि 14 दिसम्बर 2010 से राष्ट्रीय आपदा राहत निधि अस्तित्व में नहीं रह गई थी, यह राशि वित्त लेखे 2017-18 के विवरण संख्या-21 में मोटे अक्षरों में दर्शित की गई है। 1 अप्रैल 2017 को मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत जमा शेष 6,68,00.00 लाख ₹ था। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रोफार्मा सुधार द्वारा 6,68,00.00 लाख ₹ के समायोजन के कारण, 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष "निरंक" है। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-05-101-0475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन मुद्रा निधि-अकाल राहत निधि" में 9,67,00.00 लाख ₹ एवं मुख्य शीर्ष 2245-80-103-7024- को 5,02,09.00 लाख ₹ नामे कर, मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि में 14,69,09.00 लाख ₹ की राशि जमा की गई।

वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया 14,69,09.00 लाख ₹ का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2018 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत शेष निरंक था। जबकि निधि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण-पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज अदायगी- 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2017-18 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय समाप्त

पूँजीगत:

- (7) 20,28.29 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 19,28.29 लाख ₹ अभ्यर्पित की गई।
 (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-101.1301.2065-14 th वां वित्त आयोग, क्षमता वृद्धि	मूल पुनर्वि.	27,81.67 (-)19,28.29	8,53.38	8,53.38	0.00	19,28.29 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6245-01.800.2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जल कष्ट के निवारण हेतु ऋण	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	00	(-1)
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				1

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,00,00			
पूरक	0	2,00,00,00	2,00,00,00	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

**अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	34,65,00			
पूरक	10,00,00	44,65,00	44,27,22	(-)37,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,35,68,84			
पूरक	77,25,42	6,12,94,26	4,91,12,80	(-)1,21,81,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 37.78 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 10,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 37.78 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) यद्यपि 37.78 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखित अंतर परिलक्षित हुये:-

बचत:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.1954- म.प्र. कल्याण निधि से वित्तीय सहायता	पूरक	10,00.00	10,00.00	9,64.78	(-)35.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय समाप्त

पूँजीगत:

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 **esa izklr fd;k x;k** 77,25.42 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) 1,21,81.46 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-101.0101.8284- म.प्र. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल पूरक	2,75,65.00 77,25.42	3,52,90.42	2,59,23.40	(-)93,67.02	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4515-103.0101.6378- जनभागीदारी से क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासन का अंशदान	मूल	92,32.00	92,32.00	72,24.95	(-)20,07.05	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली पालन, 2700-मुख्य सिंचाई, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भण्डारण एवं भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,98,07			
पूरक	0	7,98,07	7,98,00	(-)07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				02

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	95,00,13			
पूरक	0	95,00,13	94,99,99	(-)14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				08

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 0.07 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 0.02 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

- (2) 0.14 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 0.08 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 62-पंचायत

(मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,72,10,68			
पूरक	0	1,72,10,68	1,49,63,50	(-)22,47,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20			
पूरक	0	1,20	00	(-)1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 22,47.18 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-101.2468- पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था	मूल 1,14.88	1,14.88	50.30	(-)64.58 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-101.2474- पंचायतराज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	मूल 1,64,49.70	1,64,49.70	1,43,81.15	(-)20,68.55 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-101.0101.2467- पंचायत संचालनालय	मूल 2,21.29	2,21.29	1,35.93	(-)85.36 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (3) 1.20 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,19,84			
पूरक	0	19,19,84	12,62,19	(-)6,57,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,00,00			
पूरक	0	6,00,00	4,05,00	(-)1,95,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 6,57.65 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.6609- पोस्ट मैट्रिक अल्प संख्यक कन्या छात्रावास	मूल 45.62 पुनर्वि. (-)11.00 34.62	18.08	(-)16.54	11.00 लाख ₹ की पुनर्विनियोजन के रूप में प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.9411- चर्च एवं दरगाह इत्यादि को अनुदान	मूल 35.00 35.00	3.00	(-)32.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)
2225-03.800.9413- वक्फ न्यायाधिकरण का गठन	मूल 1,08.07 1,08.07	73.51	(-)34.56	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)

अनुदान संख्या 63— अल्प संख्यक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.0801.2082- अल्प संख्यकों को मदरसा / शिक्षा प्रदान करना	मूल	4,50.00	4,50.00	0.00	(-)4,50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की बचत होने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0101.7571- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	59.01	(-)40.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

- (3) 1,95.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0801.5617- अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	मूल	6,00.00	6,00.00	4,05.00	(-)1,95.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन, 6217-शहरी विकास के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	77,64,84,21			
पूरक	10,80,00	77,75,64,21	70,91,73,78	(-)6,83,90,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				75,13,10

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,62,57,20			
पूरक	28,89,00	3,91,46,20	3,90,91,91	(-)54,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,13,00,00			
पूरक	0	1,13,00,00	14,60,16	(-)98,39,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 10]80-00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 6,83,90.43 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को मात्र 75,13.10 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.191.0101.2669-संविदा शिक्षकों को मानदेय	मूल	48,00.00	48,00.00	40,95.81	(-)7,04.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.101.0102.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	55,41.60 (-)40,12.00	15,29.60	2,14.83	(-)13,14.77	समर्पण के रूप में 40,12.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2215-01.101.0101.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	1,66,24.80 (-)19,05.00	1,47,19.80	1,37,55.98	(-)9,63.82	19,05.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 19,16.60 लाख ₹ की कमी एवं 11.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि सातवें वेतनमान के अनुसार भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0103.7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	मूल	75,00.00	75,00.00	4,00.00	(-)71,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0103.7146-मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम	मूल	45,00.00	45,00.00	29,32.50	(-)15,67.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0102.6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)10,00.00	10,00.00	6,90.00	(-)3,10.00	10,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0102.7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	मूल	25,00.00	25,00.00	4,70.85	(-)20,29.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0102.7146-मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम	मूल	20,00.00	20,00.00	5,35.00	(-)14,65.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0101.6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	मूल पुनर्वि.	40,00.00 (-)36,00.00	4,00.00	0.00	(-)4,00.00	36,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0101.7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	मूल	50,00.00	50,00.00	5,64.15	(-)44,35.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0101.7146-मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम	मूल	27,50.00	27,50.00	10,88.05	(-)16,61.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.192.0101.6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	मूल पुनर्वि.	15,00.01 (-)13,00.00	2,00.01	0.00	(-)2,00.01	13,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.192.0101.7145- मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	मूल	25,00.00	25,00.00	7,44.37	(-)17,55.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.192.0101.7146- मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम	मूल	13,75.00	13,75.00	4,45.03	(-)9,29.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.193.0102.6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)7,00.00	13,00.00	10,54.00	(-)2,46.00	7,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.193.0101.6221- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एण्ड मिडियम टाउन्स	मूल पुनर्वि.	15,00.01 (-)13,00.00	2,00.01	4,05.00	+2,04.99	13,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.193.0101.7145- मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	मूल	25,00.00	25,00.00	7,44.37	(-)17,55.63	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.193.0101.7146- मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम	मूल	13,75.00	13,75.00	4,10.00	(-)9,65.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.192.0101.9142- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)5.00	19,95.00	16,95.00	(-)3,00.00	5.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-191.6062- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-191.6063- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)10,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-191.8018- प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण	मूल	17,98,76.61	17,98,76.61	16,18,88.95	(-)1,79,87.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.192.0102.9416- प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	मूल	55,85.55	69,35.55	63,90.16	(-)5,45.39	7,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 11,40.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 3,90.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अध्यापकों/शिक्षा कर्मियों/संविदा शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों के मानदेय के साथ ही लंबित देयकों के अंशदान भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ, जबकि कमी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा राशि आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
	पूरक	6,00.00				
	पुनर्वि.	7,50.00				
2202-01.192.0102.9417- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	मूल	48,30.00	59,50.00	55,34.42	(-)4,15.58	9,90.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापकों/शिक्षा कर्मियों/संविदा शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लंबित देयकों के साथ ही अंशदान भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(अक्टूबर 2018)।
	पूरक	1,30.00				
	पुनर्वि.	9,90.00				
2202-01.192.0102.9418- माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	मूल	12,16.93	15,76.93	15,76.83	(-)0.10	2,60.00 लाख ₹ पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापकों/शिक्षा कर्मियों/संविदा शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लंबित देयकों के साथ ही अंशदान भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।
	पूरक	1,00.00				
	पुनर्वि.	2,60.00				

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.193.0102.9416- प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,20,00.00 24,00.00	1,44,00.00	1,46,17.76	+2,17.76	24,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापकों / शिक्षा कर्मियों / संविदा शिक्षकों / अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लंबित देयकों के साथ ही अंशदान भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-01.193.0102.9417- उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	21,96.70 1,50.00 4,70.00	28,16.70	26,90.11	(-)1,26.59	4,70.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापकों / शिक्षा कर्मियों / संविदा शिक्षकों / अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लंबित देयकों के साथ ही अंशदान भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2202-01.193.0102.9418- माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	मूल पूरक पुनर्वि.	11,15.73 1,00.00 2,40.00	14,55.73	12,66.80	(-)1,88.93	2,40.00 लाख ₹ पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अध्यापकों / शिक्षा कर्मियों / संविदा शिक्षकों / अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लंबित देयकों के साथ ही अंशदान भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2217-05.191.0101.7707- मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	7,50.00 24,00.00	31,50.00	30,75.00	(-)75.00	24,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.191.0101.9142- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	मूल	17,00.00	17,00.00	20,00.00	+3,00.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2235-02.192.0801.8786- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	मूल पुनर्वि.	27,97.00 (-)3.50	27,93.50	29,58.50	+1,65.00	समर्पण के रूप में 3.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या में कमी होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
3604-191.7668-	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	मूल	40,00.00	40,00.00	94,65.27	+54,65.27	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-191.8017-	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान	मूल	68,14.47	68,14.47	94,43.70	+26,29.23	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-192.8017-	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान	मूल	42,73.95	42,73.95	67,49.96	+24,76.01	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-192.8860-	वेट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि नगरीय निकायों को हस्तांतरण	मूल	3,01,18.72	3,01,18.72	3,10,25.71	+9,06.99	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
3604-193.8017-	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान	मूल	29,49.71	29,49.71	45,75.43	+16,25.72	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

प्रभारित

(5) 54.29 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(6) 98,39.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
6217-60.191.1203.7336-	एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	33,75.00	33,75.00	0.00	(-)33,75.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6217-60.191.1202.7336-	एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	11,25.00	11,25.00	0.00	(-)11,25.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6217-60.192.1203.7336-	एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	24,00.00	24,00.00	0.00	(-)24,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6217-60.192.1202.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	8,00.00	8,00.00	0.00	(-)8,00.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6217-60.193.1203.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	17,25. 00	17,25.00	6,98.55	(-)10,26.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
6217-60.183.1202.7336- एम.पी. अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (ए.डी.बी.)	मूल	5,75.00	5,75.00	2,32.85	(-)3,42.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 65—विमानन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 3053-नागर विमानन एवं 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	32,80,79			
पूरक	13,50,00	46,30,79	36,66,17	(-)9,64,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				9,64,47

राजस्व (दत्तमत) में दर्शाये गये व्यय (₹ 36,66,17,113) स्वीकृति दिनांक 22.11.2017 को शीर्ष 2052-091-4043 के अन्तर्गत आकस्मिकता निधि से लिया गया ₹ 2,90,35,519/- का अग्रिम शामिल है जिसकी पूर्ति वर्ष के अन्त तक शीर्ष 2052-091-4043 के अन्तर्गत इस निधि को पूरित किया गया।

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00,02			
पूरक	0	2,00,02	00	(-)2,00,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				2,00,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 9,64.62 लाख ₹ के अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, नवम्बर 2017 में प्राप्त किया गया 13,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 9,64.62 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 9,64.67 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 65— विमानन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.4043- विमानन संचालनालय-	मूल पूरक पुनर्वि.	27,80.75 13,50.00 (-)4,64.43	36,66.32	36,66.17	(-)0.15	4,64.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत डी.जी.सी.ए. द्वारा निर्धारित पदों पर नियुक्ति में विलम्ब होने, मजदूरी की दरों में वृद्धि न होने से बचत, पदस्थापना न होने, पायलटों को विदेशी प्रशिक्षण की अनुमति न मिलने, मितव्ययता बरतने, शासकीय विमानों की उड़ाने कम होने एवं किराये से लिये गये विमानों के देयक प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
3053-80.003.0101.0689- क्षेत्रीय संयोजन (रीजनल कनेक्टिविटी)	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)5,00.00	0.00	0.00	0.00	5,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासन की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण हुई।

पूँजीगत:

(4) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-80.800.0101.0690- अधोसंरचना एवं विमान पत्तन का विकास	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)2,00.00	0.00	0.00	0.00	2,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शासन की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान न किये जाने से हुई।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,39,98,85			
पूरक	0	9,39,98,85	7,97,96,37	(-)1,42,02,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20			
पूरक	0	20	00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	18,95,02			
पूरक	0	18,95,02	10,25,09	(-)8,69,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति क्रमांक 484/634/2018/54-1/ दिनांक 11.04.2018 राशि ₹ 1,32,75,62,015/- (राजस्व ₹ 1,24,05,68,715 + पूंजीगत ₹ 8,69,93,300/-) एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति के पृ.क्र. 112/22/बजट/आर.ई.एस./18 दिनांक 12.04.2018 राशि ₹ 1,55,66,76,167/- (अनुदान संख्या-66 राशि ₹ 57,58,702/-) दिनांक 31.03.2018 के पश्चात जारी होने से अमान्य कर दी गई है।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण जारी

- (2) 1,42,02.48 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.001.1474- जिला तथा परियोजना प्रशासन	मूल पुनर्वि.	14,60.37 8.00	14,68.37	12,47.77	(-)2,20.60	8.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 10.00 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन के रूप में) एवं 18.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0801.2676- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	मूल	84,00.00	84,00.00	41,35.11	(-)42,64.89	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.0496- आश्रम एवं छात्रावास	मूल पुनर्वि.	6,81.76 8.00	6,89.76	4,15.54	(-)2,74.22	8.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 2.10 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन के रूप में) एवं 10.10 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मजदूरी की दरों में कमी होने के कारण हुई जबकि वृद्धि पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने एवं सातवें वेतन आयोग लागू होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.2676- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	मूल	6,00,00.00	6,00,00.00	5,32,62.49	(-)67,37.51	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.5511- छात्र वृत्ति फार्मों का मुद्रण	मूल	5,00.00	5,00.00	2,00.00	(-)3,00.00	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.277.0101.6175-राज्य छात्रवृत्तियां	मूल	1,34,00.00	1,34,00.00	1,17,36.57	(-)16,63.43	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-03.277.0101.6890-जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	मूल पुनर्वि.	8,60.17 2.00	8,62.17	4,65.13	(-)3,97.04	2.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 3.50 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन के रूप में) एवं 5.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मजदूरी की दरों में कमी होने से हुई जबकि वृद्धि पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने एवं सातवें वेतन आयोग लागू होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्षान्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

(4) 0.20 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(5) 8,69.93 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0701.5512-जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण	मूल	4,70.00	4,70.00	1,21.18	(-)3,48.82	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।
4225-03.800.0701.6889-जिला स्तरीय कन्या छात्रावास का निर्माण	मूल	14,25.00	14,25.00	9,03.91	(-)5,21.09	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,53,85,02			
पूरक	30,00,00	6,83,85,02	5,09,26,20	(-)1,74,58,82
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				91,92,18

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,10,00			
पूरक	0	2,10,00	1,09,66	(-)1,00,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2018)				48,08

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,81,17,19			
पूरक	68,81,53	3,49,98,72	1,99,69,93	(-)1,50,28,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (16 जनवरी एवं 31 मार्च 2018)				1,10,69,56

1,99,69.93 लाख ₹ के कुल व्यय में शीर्ष 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना-1936-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढीकरण (24,50.00 लाख ₹) एवं 4216-01-106-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना-1936- न्यायािक क्षेत्र का सुदृढीकरण (14,50.00 लाख ₹) के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2018 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा को जमा की गई 39,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 30]00-00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 1,74,58.82 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को केवल 91,92.18 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.0183- अन्य अनुरक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)14,83.37	85,16.63	80,69.31	(-)4,47.32	14,83.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2059-01.053.1481- जिला प्रशासन	मूल पुनर्वि.	6,00.00 (-)3,60.08	2,39.92	2,48.06	+8.14	3,60.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-01.053.3383- विशेष मरम्मत भवन	मूल पुनर्वि.	12,00.00 (-)2,79.27	9,20.73	9,20.73	0.00	2,79.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-01.053.3387- मरम्मत—विश्राम गृह	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)1,12.48	3,87.52	3,92.81	+5.29	1,12.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-01.053.3645- शासकीय उच्चतर विद्यालय भवनों के रख रखाव	मूल पुनर्वि.	4,00.00 (-)1,84.33	2,15.67	2,32.40	+16.73	1,84.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2059-01.053.4220- षिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 30,00.00 (-)21,48.22	8,51.79	13,00.27	+4,48.48	21,48.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2059-01.053.4608- मुद्रांक एवं पंजीयन	मूल पुनर्वि.	1,50.00 (-)1,44.97	5.03	5.03	0.00	1,44.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.5009-शासकीय महाविद्यालय भवनों का रखरखाव	मूल पुनर्वि.	3,00.00 (-)1,46.00	1,54.00	1,49.00	(-)5.00	1,46.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-80.001.7246-परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	1,16,69.20	1,16,69.20	47,40.32	(-)69,28.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2216-05.053.0183-अन्य अनुरक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	65,00.00 (-)9,17.87	55,82.13	55,67.03	(-)15.10	9,17.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2216-05.053.1316-एफ टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	1,00,00.00 (-)28,93.91	71,06.09	70,64.13	(-)41.96	28,93.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2216-05.053.4090-विशेष मरम्मत	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)2,42.18	7,57.82	7,57.41	(-)0.41	2,42.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उचंत लेन-देन :-				
इस अनुदान के अन्तर्गत किये गए व्यय में 2059—लोक निर्माण 'उचंत' शीर्ष के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया है। 'उचंत' के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या-20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) की टीप (5) में की गई हैं।				
वर्ष 2017-18 के दौरान इस अनुदान में विभिन्न 'उचंत' उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित 'उचंत' लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-				

विवरण	1 अप्रैल 2017 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2018 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2059-लोक निर्माण कार्य (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)62,89.91	0.00	0.00	(-)62,89.91
(ii) भण्डार	+ 24,86.48	0.00	0.00	+ 24,86.48
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+1,47,81.37	0.00	0.00	+1,47,81.37
योग	+1,09,77.94	0.00	0.00	+1,09,77.94

प्रभारित

- (5) 1,00.34 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2018 को 48.08 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.7246-परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2059-80.800.1833- डिक्री धन का भुगतान ¼भारित½	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)48.08	1,51.92	1,09.66	(-)42.26	48.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2017 esa izklr fd;k x;k 68]81-53 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) 1,50,28.79 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 16 जनवरी एवं 31 मार्च 2018 को 1,10,69.56 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 67-लोक निर्माण कार्य-भवन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0840-केन्द्रीय जेल इन्दौर का निर्माण	मूल	30,00.00	30,00.00	0.00	(-)30,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4059-01.051.0848- जिला बुरहानपुर में नवीन जेल की स्थापना	मूल पुनर्वि.	9,00.00 (-)9,00.00	0.00	0.00	0.00	9,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4059-01.051.1933-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं व्ही.व्ही.पी.ए.टी. के लिये वेयर हाउस का निर्माण	पूरक पुनर्वि.	25,00.00 (-)25,00.00	0.00	0.00	0.00	25,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत ई.वी.एम. के गो-डाउन का निर्माण न होने से हुई।
4059-01.051.0103.8042-विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,60.00 (-)37.91	1,22.09	37.52	(-)84.57	37.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4059-01.051.0101.0849-जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)19,65.95	34.05	34.05	0.00	19,65.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4059-01.051.0101.7088-सर्वेक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	8,40.00 (-)4,36.43	4,03.57	2,63.41	(-)1,40.16	4,36.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7094-जेल सुधारों की योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-)5,16.30	4,83.70	4,83.70	0.00	5,16.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4059-01.051.0101.7382-जिला/उपपंजीयक कार्यालय-भवन निर्माण/विस्तार	मूल पुनर्वि.	4,00.01 (-)1,00.00	3,00.01	29.87	(-)2,70.14	1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वर्तमान माहों में आवंटन जारी नहीं होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.8041-लोक निर्माण विभाग के संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,00.00 (-)1,49.27	3,50.73	1,36.10	(-)2,14.63	1,49.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

अनुदान संख्या 67-लोक निर्माण कार्य-भवन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.8042- विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	6,30.00 (-)2,64.36	3,65.64	4,71.32	+1,05.68	2,64.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.9074- उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-)14,95.18	5,04.82	2,53.18	(-)2,51.64	14,95.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0701.6222- न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवासगृहों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	50,00.00 (-)21,90.38	28,09.62	28,08.40	(-)1.22	21,90.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0101.7593- आवासीय भवनों में लघु मूल प्रकृति के निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-)1,44.27	55.73	55.75	+0.02	1,44.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4853-02.800.0420.9276- -खनिज अन्वेषण एवं विकास हेतु भवन निर्माण	पूरक	3,81.52	3,81.52	1,96.79	(-)1,84.73	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

**अनुदान संख्या 68—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2810- अपारम्परिक उर्जा के स्रोत)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,59,46,46			
पूरक	0	1,59,46,46	1,51,09,42	(-)8,37,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 8,37.04 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2810-01.001.2304- निर्देशन एवं प्रशासन	मूल	2,04.19	2,04.19	1,00.56	(-)1,03.63	बचत के कारण कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2810-02.101.0101.7312- सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	मूल	1,50.00	1,50.00	13.24	(-)1,36.76	बचत के कारण कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।
2810-60.800.0101.3220- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान	मूल	8,01.00	8,01.00	2,16.00	(-)5,85.00	बचत के कारण कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17, 2015-16 एवं 2014-15 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 69—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण
(सभी दत्तमत)**

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2801-बिजली एवं 4225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	37,59,30			
पूरक	0	37,59,30	16,64,23	(-) 20,95,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,65,00			
पूरक	0	7,65,00	2,92,05	(-)4,72,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) 20,95.07 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2225-01.277.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल 7,45.70	7,45.70	3,30.56	(-)4,15.14	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2018)।
2225-01.277.0103.7396- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां	मूल 2,00.00	2,00.00	43.54	(-)1,56.46	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2018)।
2225-01.277.0101.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल 7,92.44	7,92.44	5,93.51	(-)1,98.93	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 एवं 2015-16 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 69— विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0103.4986- विमुक्त घुमक्कड जातियों हेतु विशेष प्राधिकरण को अनुदान	मूल	90.00	90.00	0.00	(-)90.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0103.7168- विमुक्त जाति आवास योजना	मूल	3,30.00	3,30.00	68.39	(-)2,61.61	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0103.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल	3,50.00	3,50.00	88.40	(-)2,61.60	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0103.7571- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	21.36	(-)78.64	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0102.7168- विमुक्त जाति आवास योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	75.00	(-)1,25.00	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
2225-01.800.0102.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	36.48	(-)1,63.52	इस शीर्ष के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।

पूँजीगत:

- (3) 4,72.95 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.277.0103.7758- छात्रावास भवन निर्माण योजना	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4225-01.277.0101.7758- छात्रावास भवन निर्माण योजना	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अक्टूबर 2018)।
4225-01.800.0101.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	2,00.00	2,00.00	70.38	(-)1,29.62	बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2018)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2016-17 के दौरान भी बचत हुई थी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xvi पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक (+) कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)
(हजार ₹ में)			
10. वन-			
राजस्व-			
प्रभारित	2,50,00,00	1,19,40,82	(-)1,30,59,18
12. ऊर्जा-			
पूंजीगत-			
दत्तमत	4,48,41,00	4,48,41,00	निरंक
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-			
राजस्व-			
दत्तमत	5,00,00	16	(-)4,99,84
पूंजीगत-			
दत्तमत	7,45,00,00	00	(-)7,45,00,00
23. जल संसाधन विभाग-			
राजस्व-			
दत्तमत	3,51,57,47	3,48,59,37	(-)2,98,10
पूंजीगत-			
दत्तमत	32,50,00	2,12,48	(-)30,37,52
24. लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल			
पूंजीगत-			
दत्तमत	4,31,25,02	00	(-)4,31,25,02
25. खनिज साधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	43,70,56	9,35,86	(-)34,34,70
पूंजीगत-			
दत्तमत	00	8,18	+8,18
29. विधि और विधायी कार्य-			
राजस्व-			
दत्तमत	57,99,15	00	(-)57,99,15
30. ग्रामीण विकास-			
पूंजीगत-			
दत्तमत	18,91,86,00	12,24,46,94	(-)6,67,39,06

परिशिष्ट-I-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
		(हजार ₹ में)	
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण—			
राजस्व—			
दत्तमत	2,50,00,00	00	(-)2,50,00,00
पूंजीगत—			
दत्तमत	1,50,00	00	(-)1,50,00
48. नर्मदा घाटी विकास—			
राजस्व—			
दत्तमत	11,69,00	00	(-)11,69,00
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,32,76,10	00	(-)2,32,76,10
53. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
राजस्व—			
दत्तमत	3,00,00	24,98,92	+21,98,92
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय—			
राजस्व—			
दत्तमत	9,67,00,00	14,69,09,00	+5,02,09,00
64. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता—			
राजस्व—			
दत्तमत	2,72,00,00	00	(-)2,72,00,00
68. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा—			
राजस्व—			
दत्तमत	68,31,00	00	(-)68,31,00
योग—			
राजस्व—			
दत्तमत	20,30,27,18	18,52,03,31	(-)1,78,23,87
प्रभारित	2,50,00,00	1,19,40,82	(-)1,30,59,18
पूंजीगत—			
दत्तमत	37,83,28,12	16,75,08,60	(-)21,08,19,52
egk;ksx			
राजस्व	22,80,27,18	19,71,44,13	(-)3,08,83,05
पूंजीगत	37,83,28,12	16,75,08,60	(-)21,08,19,52

परिशिष्ट-II
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xvi पर संदर्भित)

शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+पूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(लाख ₹ में)				
13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-0801-0908-कृषि संगणना	7,27.83	1,46.59	70.00
29- विधि एवं विधायी कार्य	2014-102-0101-0573-उच्च न्यायालय (भारित)	7,85.40	5,47.80	4,00.00
33- आदिम जाति कल्याण	4225-02-800-0602-5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रम	4,48,80.39	2,68,58.98	7,07.70
47- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2230-03-001-0801-7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	25,60.00	22,96.95	21,46.66
55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	5,24,13.06	4,84,87.80	8,58.03
55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0702-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	2,84,90.85	2,21,51.83	4,00.01
55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0703-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	1,89,94.76	1,36,07.44	1,35.59
55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0701-6917-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई. जी.एम.एस.वाई.)	1,38,78.37	82,59.41	7,54.47
67- लोक निर्माण कार्य भवन	4059-01-051-0701-1936-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढीकरण	25,00.00	24,67.93	24,50.00
67- लोक निर्माण कार्य भवन	4216-01-106-0701-1936-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढीकरण	15,00.00	14,50.00	14,50.00
योग		16,67,30.66	12,62,74.73	93,72.46